महानगर नई दिल्ली रविवार 4 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (14+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

पर्यटकों को निकालने के लिए वायुसेना के विशेष विमान तैनात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रियों एवं पर्यटकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने विशेष विमान तैनात किए हैं। वायुसेना के सी-17 ग्लोबमास्टर और आइएल-76 विमानों से पर्यटकों को निकालकर पठानकोट, जम्मू एवं दिल्ली में से कहीं एक जगह पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार ने वायुसेना को विशेष विमान तैनात करने के लिए कहा। वायुसेना का पहला सी-17 विमान शनिवार की रात को श्रीनगर पहुंच गया। सी-17 विमान एक बार में 230 लोगों को लेकर जा सकता है।

कश्मीर में तनाव

वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं के किराए में अच्छी-खासी बढ़ोतरी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को कीमतें नियंत्रण में लाने को कहा

वायुसेना ने लगाए सी-17 ग्लोबमास्टर और आइएल-76

शुक्रवार को घाटी से तुरंत निकल जाने के सरकार के बाकी पेज 8 पर

सी-17 ग्लोबमास्टर (फाइल फोटो)

पाक बैट का हमला नाकाम, सेना ने सात आतंकी मारे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम उल्लंघन कर रही पाकिस्तानी फौज ने भारी गोलाबारी के बीच बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने की कोशिश की है। पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर एक्शन टीम (बैट) के कमांडो ने कई आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए जम्मू-कश्मीर के केरन सेक्टर में अग्रिम मोर्चे पर स्थित भारतीय चौकियों पर हमला किया। इस हमले को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में सात आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें बैट के चार कमांडो थे। सबूत के तौर बाकी पेज 8 पर

घुसपैठ की कोशिश में नियंत्रण रेखा पर मारे गए सभी आतंकी

सेना ने जारी की शव की उपग्रह से ली गई तस्वीर।

तीन देशों ने अपने नागरिकों को कश्मीर जाने से मना किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

आस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन की सरकारों ने परामर्श जारी कर अपने देशों के नागरिकों को जम्मू-कश्मीर जाने से परहेज बरतने को कहा है। इन देशों ने अपने परामर्श में जम्मू-कश्मीर में मौजूदा हलचल का जिक्र किया है। साथ ही, केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से जारी किए गए उस आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों से लौटने के लिए कहा गया है। इन देशों ने वहां बम-ग्रेनेड हमले, गोलीबारी और अपहरण समेत अप्रत्याशित हिंसा का खतरा जताया है।

ब्रिटेन के विदेशी एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय (एफसीओ) ने कहा कि उनके देश के नागरिक जम्मू शहर और लद्दाख को छोड़कर जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों में न जाएं। एफसीओ ने कहा, 'दो अगस्त 2019 को भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को सलाह बाकी पेज 8 पर

राज्यपाल ने कहा

370 और 35ए रद्द नहीं होंगे

श्रीनगर, 3 अगस्त (भाषा)।

नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने उनकी पार्टी को भरोसा दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को रद्द किए जाने पर या राज्य को तीन हिस्सों में बांटने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इन मुद्दों पर केंद्र से सोमवार को संसद में आश्वासन चाहते हैं। अब्दुल्ला और उनकी बाकी पेज 8 पर

सत्यपाल मलिक

कश्मीरी अवाम को जानबूझ कर डरा रहा विपक्ष : भाजपा

जम्मू, 3 अगस्त (भाषा)।

रवींद्र रैना

भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे लोगों के बीच जानबूझ कर घबराहट उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वे बाकी पेज 8 पर

भारतीय सेना ने कहा

क्लस्टर बम पर पाक का दावा झूठा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

नियंत्रण रेखा पर आए दिन संघर्षविराम उल्लंघन करने वाली पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि भारतीय सुरक्षा बल क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस दावे को झूठा करार बाकी पेज 8 पर

क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप पाकिस्तान के धोखे, छल और झूठ का उदाहरण : सेना

एनआइटी-श्रीनगर अनिश्चितकाल के लिए बंद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

कश्मीर घाटी में तनाव के मद्देनजर श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कक्षाएं स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। छात्रों को हॉस्टल खाली कर उनके गृह राज्यों को लौटने को कहा गया है। छात्रों ने वहां से निकलना शुरू बाकी पेज 8 पर

कई संस्थानों के हॉस्टल खाली कराए गए

पाक ने करतारपुर गलियारे का 90 फीसद काम पूरा किया

इस्लामाबाद, 3 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे पर 90 फीसद काम पूरा कर लिया है। इसमें 'जीरो लाइन' से गुरुद्वारा साहिब तक मुख्य सड़क, पुल और इमारतों का निर्माण शामिल है। नवंबर में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर इस गलियारे का उद्घाटन किए जाने की योजना है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर स्थित दरबार साहिब को गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा। इससे भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वीजा मुक्त आवागमन की सुविधा मिलेगी। इन श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब जाने के लिए केवल एक 'परमिट' लेना होगा। एक खबर के अनुसार भारत से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था नौ नवंबर को पाकिस्तान बाकी पेज 8 पर

गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर होना है गलियारे का उद्घाटन।

पाकिस्तान के दरबार साहिब को गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा गलियारा।

मुठभेड़ में पांच महिला नक्सलियों सहित सात मारे गए

रायपुर, 3 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले में सुरक्षाबलों ने शनिवार को मुठभेड़ में पांच महिला नक्सली सहित सात नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी घायल हुआ है।

राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव जिले के बाघनदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतागोटा गांव के जंगल में शनिवार की सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में सात नक्सलियों को मार गिराया है। मरने वालों में पांच महिला नक्सली भी शामिल हैं। इस दौरान डीआरजी का एक जवान भी घायल हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाघनदी थाना क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना के बाद डीआरजी और जिला बल के जवानों को शुक्रवार रात को अभियान में रवाना किया गया था। दल जब शनिवार सुबह सीतागोटा गांव के जंगल में था, नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। लगभग दो घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी बाकी पेज 8 पर

डीआरजी का एक जवान घायल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सफल नक्सल विरोधी अभियान के लिए पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई दी।

सीबीआइ ने सीतापुर जेल में की सेंगर से पूछताछ

लखनऊ, 3 अगस्त (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शनिवार को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ की। सेंगर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में इस समय सीतापुर जेल में बंद है। सीबीआइ का तीन सदस्यीय दल सीतापुर जिला जेल गया और कई घंटे तक सेंगर से पूछताछ की। दल के सदस्य दोपहर में सीतापुर जेल गए। इस बीच, विधायक के तीन शस्त्रों के लाइसेंस शुक्रवार को निरस्त कर दिए गए।

सीबीआइ की एक अन्य चार सदस्यीय टीम शनिवार को बलात्कार पीड़िता के उन्नाव स्थित गांव गई। माखी बाकी पेज 8 पर

उन्नाव बलात्कार कांड

सीबीआइ की एक अन्य चार सदस्यीय टीम शनिवार को बलात्कार पीड़िता के उन्नाव स्थित गांव गई।

पीड़िता को नहीं आया होश, 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में

भाजपा विधायक का सेंगर से हमदर्दी जताने वाला वीडियो वायरल

विस्तृत खबर पेज 8 पर

जनसत्ता बारादरी

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि तीन तलाक जघन्य अपराध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता पर सार्थक बहस कर राष्ट्रीय जनमत बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। भीड़ की हिंसा पर उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध को न तो जायज ठहराना चाहिए और न उसे सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना चाहिए। अहम मुद्दों पर उनसे विस्तृत बातचीत पढ़ें पेज 7 पर

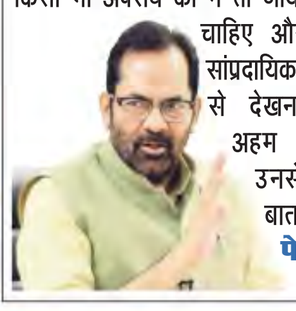

एशिया में मिसाइलें तैनात करना चाहता है अमेरिका

इसका मकसद चीन के उभरते दबदबे को रोकना

सिडनी, 3 अगस्त (एएफपी)।

अमेरिका के नए रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने शनिवार को कहा कि वाशिंगटन एशिया में जल्द ही मध्यम दूरी तक मार करने वाली नई मिसाइलें तैनात करना चाहता है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में चीन के उभरते दबदबे की काट करना है।

यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका मध्यम दूरी तक मार करने वाले पारंपरिक हथियार एशिया में तैनात करने पर विचार कर रहा है क्योंकि अब वाशिंगटन 'इंटरमीडिएट..रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस' (आइएनएफ) संधि से बंधा नहीं है। उन्होंने कहा, 'हां मैं ऐसा करना चाहूंगा।' अमेरिका बाकी पेज 8 पर

अमेरिका के नए रक्षा मंत्री एस्पर ने कहा कि चीन को अमेरिकी की योजना से हैरानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इससे हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस बारे में कुछ समय से बात कर रहे थे।'

भारत-अमेरिका में रक्षा सहयोग पर बनी सहमति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

भारत-अमेरिका रक्षा नीति समूह (डीपीजी) की 15वीं बैठक वाशिंगटन में हुई। इसमें भारत और अमेरिका के आला अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। भारत में रक्षा उत्पादन और स्टार्ट अप में अमेरिकी कंपनियां भागीदारी करेंगी। रक्षा नीति समूह भारत और अमेरिका के बीच रक्षा मुद्दों पर शीर्ष आधिकारिक स्तर की बैठक प्रक्रिया है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा और मार्गदर्शन करता है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि बैठक में अधिकारियों ने दोनों देशों के रक्षा उद्योग एवं उद्यमों के बीच सहयोग की अहमियत को रेखांकित किया। साथ ही इस संबंध में सहायक होने वाली नीति पर आगे बढ़ने के संबंध में सहमति जताई गई।

इस बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के बाकी पेज 8 पर

वाशिंगटन में भारत-अमेरिका रक्षा नीति समूह की 15वीं बैठक

रविवारी

4 अगस्त, 2019

इजहार-ए-दीवार

दीवारों पर लिखने और चित्रकारी की परंपरा पुरानी है। पर जबसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दीवार लेखन पर रोक लगाने का प्रयास हुआ है, इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बता रहे हैं सुशील राघव और मृणाल वल्लरी।

• कविताएं/ यामिनी नयन गुप्ता • कहानी/ रामदरश मिश्र • प्रसंग/ मिथिलेश श्रीवास्तव • समाज/ नासिरा शर्मा • शख्सियत/ मैथिलीशरण गुप्त • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

चमकते-दमकते फैशन का दौर • रेनू दत्त

•कविता/ सूर्यकुमार पांडेय •कहानी/ सिराज अहमद

दरअसल

चुनाव जीत कर कार्यकर्ताओं को न भूलें सांसद

सांसदों को सीख

कड़ी मेहनत करें, संसद की कार्यवाही में हिस्सा लें

विरासत से नहीं, विचारधारा से मिली सत्ता : मोदी

जनसत्ता संवाददाता/एजंसी
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संसदीय नियम कायदों व संसद के भीतर व बाहर आदर्श आचरण के तौर-तरीकों की जानकारी देने के लिए शनिवार को शुरू हुई दो दिवसीय सांसद कार्यशाला 'अभ्यास वर्ग' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों को कई नसीहतें दी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा व सोच के कारण केंद्र की सत्ता तक पहुंची है, न कि एक परिवार की विरासत के कारण। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे कार्यकर्ताओं से अपना संपर्क बनाए रखें, उनसे रिश्ते बनाएं। साथ ही सांसद सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं बल्कि चुनाव जीतने के बाद भी कार्यकर्ताओं की बात सुनें और संसद की कार्यवाही में सक्रिय हिस्सेदारी करें। पार्टी सांसदों को कड़ी मेहनत की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि इन बातों को कागज पर नहीं दिल में उतारें। वे शनिवार को संसद भवन के बालयोगी सभागार में नए लोकसभा व राज्यसभा सांसदों के 'अभ्यास वर्ग' को संबोधित कर रहे थे।

संसद के दोनों सदनों के पार्टी के 380 सांसदों को संबोधित करते हुए मोदी ने पार्टी एवं कार्यकर्ताओं की तुलना मां से की जो अपने बच्चे का पोषण करती है लेकिन जब वह खुद पर ज्यादा ध्यान देने लगता है तब वो (मां) उपेक्षित महसूस करती है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से पार्टी और कार्यकर्ताओं को नहीं भूलने और उन्हें तवज्जो देने को कहा ।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रधानमंत्री को उद्धृत करते हुए कहा, 'मोदी ने भाजपा को एक परिवार बताया और पार्टी सांसदों से कहा कि वह केवल विचारधारा के कारण आगे बढ़ रही है। पार्टी सांसदों को अपने आप में एक कार्यकर्ता को बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री की नसीहत

मोदी ने पार्टी एवं कार्यकर्ताओं की तुलना मां से की जो अपने बच्चे का पोषण करती है लेकिन जब वह खुद पर ज्यादा ध्यान देने लगता है तब वो (मां) उपेक्षित महसूस करती है।

हमारी उम्र कितनी भी क्यों न हो, हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। यह सतत रूप से चलते रहना चाहिए।

संसद भवन में शनिवार को भाजपा सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Ranbir Singh S/o Jot Ram Sharma R/o-A-1/98,Lawrence Road,Keshav Puram,Delhi-110035,have changed my name from Ranbir Singh to Ranbir Sharma for all future purposes. 0040506088-1

I,Chandershekhar Kajla S/o-Suresh Pal Singh R/o-Sukhram ka bass, Surajgarh, Jhunjhunu, Rajasthan have changed,my name,from Chandershekhar Kajla to Chandershekhar for all purposes. 0040506200-5

I, Varun Chowdhry R/O-E-270 Greater kailash part-1 Delhi-110048. changed my minor son name Saarthak Chowdhary TO Saarthak chowdhry D-O-B-29/09/2006.. 0040506157-5

I, UJJWAL S/O Brijesh Mohan R/O-11/220 Sector-3 Rajender Nagar SahaibabadGhaziabad UP, Have changed my name as UJJWAL SACHDEVA. 0130011935-1

I, Suman Kajla W/o-Suresh Pal Singh R/o-Sukhram ka bass,Surajgarh, Jhunjhunu, Rajasthan have changed,my name,from Suman Kajla to Suman Devi for all purposes. 0040506200-6

I, Sukhvinder Singh S/o Amar Pal Singh R/o N-34, Jangpura Extension, New Delhi-110014, have changed my name from Sukhvinder Singh to Sukhwinder Singh for all purposes. 0040506081-1

I, Sugandha Prashar W/O, Shyamrup Roy Choudhury R/o H-1546, Chittranjan-Park, ND-19 have changed my name to Sugandha Prashar Roy Choudhury. 0040506157-1

I, Shirley Denis, H.No.B-104, 1st-Floor, Amar-Colony, Lajpat-Nagar-IV, N.Delhi-110024, has changed my minor son's name,Chris Raj to Chris Remy Denis., permanently. 0040506157-6

I, Shaida W/O, Mohammad Khalid Ansari R/o H No 33, 34, Pocket 8, Dda Flat, Nasirpur, Dwarka, South West Delhi-45, have changed my name to Saida for all purposes. 0040506188-1

I, Saiyida Khubi Zehra Nqavi, W/O Shane Kazim Naqvi R/O.H.No.942/19, Gali.No.40, Zakir-Nagar, Okhla, New Delhi-110025.Have Changed My Son Name, From Syed Mohammad Qasim Naqvi To Shane Qasim Naqvi. 0040506167-8

I, Sachin Kumar S/o-Shyam Lal R/o-D-12, Prithviraj-Road, Adarsh-Nagar, Delhi-110033.,inform to all my name wrongly-written in my Daughter-Record as Sachin Goel instead of Sachin Kumar. 0040506167-5

I, SATISH Kumar S/o shri Chattar singh R/o.h.no-268 st.no-9 near-chatri wala-kuva mandoli-village Delhi-93 infrom that name of my has been mentioned as satish in my service record .The my Correct name is Satish Kumar .both are same person.for all future purpose. 0040506190-10

I, Rohit Gupta, S/o Sh. Parasnath Saklu Gupta, r/o House No 202, Sector 11-A. Chandigarh, have changed my name to Rohit P Gupta vide affidavit AH 324458, dt 01/08/19 notarized by Devinder Kumar Gupta, for all future purposes. 0050152639-1

I,Gautam Kumar S/o Vijay Pal Singh R/o Vill.-Gijhore, Sec-53,Noida,Distt-Gautam Budh Nagar,U.P.,have changed my Daughter name from Kritika to Kritika Chauhan. 0040506088-2

I, Renu W/o Sh. Manish Kumar R/o Plot No. A-53, Deepak Vihar, Near Raghubir Singh Modern School, Vikas Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059, I want to inform to all public that in my 10th Class Marksheet/documents my name is written as P RENU but my actual name is RENU. I inform that P RENU and RENU is same person who is me. 0040506182-1

I, Rekha Arora W/O Sh. Kamal Arora R/O R-21, Block-R, Khirki Extn. Malviya Nagar, New Delhi-110017. Have changed my name from Rekha Rani to Rekha Arora for all future purposes. 0040506126-1

I, Rashmi Rani W/o Sanjeev Jain R/o-A-3/58-59, 2nd-Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Rashmi Jain. 0040506157-4

I, Ram Niwash Mittal s/o Mange Ram Mittal R/o.H.No.143, G/F DU-Block, Pitampura, Delhi-110034,have changed my name to Ram Niwas Mittal.,permanently. 0040506167-9

I Manoj Kumar S/o Late Sh.Prakash Chandra Dwivedi R/o E-2/13, Shastri Nagar, Delhi-110052 have changed my name to Manoj Kumar Dwivedi for all purposes. 0040506075-2

I Jagriti Sinha, R/o Flat 511, Jhelum Apartment, Plot No. 8, Sector 5, Dwarka, New Delhi 110075 Have Changed My Name To Jagriti Rai. 0070668226-1

व्यक्तिगत

I, Rahul S/o Raj Kumar R/o RZB-38A, B-Block,Mahabir Vihar,Dabri Delhi-45 have changed to my name Rahul Gupta for all Purposes 0040506088-5

I, Priyanka D/o Suresh Pal Singh R/o-Sukhram ka bass, Surajgarh, Jhunjhunu, Rajasthan have changed,my name,from Priyanka to Priyanka Kajla for all purposes. 0040506200-4

I, Prakash Chand Joshi S/o Narayan Dutt Joshi R/o-389-G, Pocket-2, Mayur-Vihar Phase-I, Delhi-110091 have changed my name to Prakash Joshi. 0040506167-3

I, Pooja Kumari,W/o Late.Sandeep Jaiswal H.No.832, Village-Challera, GaliNo.3, Sector-44, Noida, G.B.Nagar, U.P.201301, have changed my name to Pooja Jaiswal., permanently. 0040506157-9

I, Payal Jindal W/o Pardeep Jindal R/o-A-72, Swaroop-Nagar Delhi-110042 have changed my name to Sushma Jindal for all purposes. 0040506157-2

I, Parvinder Singh Solanki S/o Randhir Solanki R/o-144 B, Near.Bud-Chowk, Pooth-Kalan, Delhi-110086, have changed my name to Parvinder Solanki. 0040506157-10

I, Pankaj Patwal S/o Surender Singh Patwal, R/o-154, 3rd-Floor, Pocket-19, Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Pankaj Singh. 0040506190-1

I, Nitin S/o Sucha Singh R/o G-6/326, First-Floor, Sector-16, Rohini, Delhi-110089 have changed my name to Nitin Waraich. 0040506157-11

I, Neeraj Kumar Jain S/O Kailash Chandra Jain R/O-162 Sec-14 Faridabad Have Change Name To Neeraj Jain For All. 0040506190-2

I, Navneet Kumar s/o Om Parkash r/o B-1001, R G Residency, Sector-120, NOIDA, G B Nagar, UP-201301, have changed my name to NAVNEET NAGPAL. 0040506070-1

I, Naresh Kumar Gupta., s/o late Shri.Ram Bharose Lal,Resident of-A-25, Ground-Floor, Jangpura-Extension, New Delhi-110014.have changed my name to Naresh Gupta. 0040506167-6

I, Muskan Gandhi D/o Pawanjit Singh Gandhi R/o Side No.11, Plot No.5, Third Floor, West Patelnagar, Delhi-110008 have changed my name to Sachleen Kaur 0040506069-1

I, Mukesh s/o late Shri Dheeraj Ram R/o B-202, Sagar Apartment, Plot No. C-58/15, Sector-62, Noida (U.P), have changed my name to Mukesh Kumar for all purposes. 0040506072-1

I, Manmeet Singh Bhatia S/oTrilok Singh Bhatia Residing at-B-234,Jhilmil Colony, Jhilmil, New Delhi-110095,have Changed the name of my minor son Ramneek Bhatia aged-17years and he shall here-after be known as Ramneek Singh Bhatia 0040506077-1

I, Kuldeep Kumar S/o Yad Ram R/o-G-101 Street-No.2 Brahmpuri Delhi-110053 have changed my name to Kuldeep Kumar Shrama. 0040506167-4

I, Jougender Singh S/o Darshan Singh R/o 42, Ram-Nagar, Shahdara-110051 have changed my name to Jogender Singh. 0040506167-2

I, Jaiveer Singh Pundir S/o Balbir Singh Pundir R/o WZ-81A Main Gali Mohan Nagar, Nangal Raya, Delhi-110046, have changed my name to Jaibir Singh Pundir. 0040506121-1

I, Hemlata Goswami, W/O Rajbeer Giri R/O-11/848, Vasundhara, Ghaziabad, UP-201012, change my name as Hemlata Giri, for all purposes. 0040506157-3

I, Gurvinder Singh S/o Jogender Singh R/o 42, Ram Nagar, Shahdara-110051.have changed my name to Gurvinder Singh Bhatia. 0040506167-1

I, Faisal Firozi S/o-Ferozuddin R/o-B-1, Mukund Apartments, 16-Yamuna-Road, Civil-Lines, Delhi-110054.,inform that name of mine has been wrongly-written as Faisal Ferozee in my Passport No.:H6132704. My Correct-name is Faisal Firozi. 0040506157-7

I, Dol Raj Shahi, S/o Hul Bahadur Shahi, R/o Nepal, Distt.Tanhu, Army.No-5848867, HAV.Dol Raj Shahi that My Son's Name has been Wrongly and Mistakenly Written in my Army-Record as Basant Kumar Shahi instead of Basan Shahi.that my Son's true and correct-name is Basan Shahi. 0040506157-8

I Vansh Malhotra S/o Sh.Rajiv Malhotra R/o House No.50, Gali No.52, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 have changed my name to Vansh Raj Malhotra for all purposes. 0040506075-1

I Sristi D/o Jaspal Singh R/o H-17/287 Sangam Vihar New Delhi 110062, have changed my name to Sristi Kaur 0040506085-1

I, Divya Shree Gupta W/o Ankit Bansal R/o House No.2053. Ist floor, Old Anaj Mandi Narela, Delhi-110040, have changed my name to Divya Bansal. 0040506121-2

I, DHARAMBIR, S/O Sh. Balbir Singh R/O House no. 48, Post office wali gali Mundaka, West Delhi-110041. Informs that my name 'Dharambir & Daarambir' are same and one person. 0040506076-1

I, Beena Lijiraj W/o Sh. N.L. Rajukutty R/o B-1/3, U.D.A.P Colony, Nehru Nagar, New Delhi-110065, have changed my minor son's name from "ANUSH N. RAJ" to "ABHIRAM RAJ" for all future purposes. 0040506135-1

I, ANIL KUMAR TIWARI S/o Mr.Harishankar Tiwari R/o-B-118-A, 3rd-Floor, Devli-Road, Duggal-Colony, Khanpur-Pushpa Bhawan, New Delhi-110062,have changed my name to ANIL TIWARI., for all future purposes. 0040506167-7

I Vikram Soni Father Of, Ashwika Soni R/O-18 Shukuntala-Farms M.G.Road New Delhi-110030.,Have Changed My Daughter Name Ashwika Soni To Ashhwika Soni D.O.B.-07/06/2007. 0040506190-3

I, Raju Rathore S/o Shri Virendra Kumar R/o-E-348,New Ashok Nagar,Delhi-110096,have changed my name from Raju to Rathore for all purposes. 0040502499-6

मैं सेना नं. 13993368 एच, रैंक–नायक एम्बुलेंस असिस्टेन्ट, शिव मोहन पुत्र श्री राम सेवक, जाति–पाल, निवासी–ग्राम–चम्पतपुर, पोस्ट–डेरापुर, जिला–कानपुर देहात, उ.प्र., की पत्नी का नाम त्रुटिवश सेवा पुस्तिका में ममता देवी तथा जन्म तिथि–20.01.1978 अंकित हो गई है, जिसके स्थान पर सही नाम ममता पाल तथा जन्म तिथि–12.01.1976 ही माना एवं जाना जाए।

खोया+पाया

It is notified,for the information,that my original-qualifying-examination certificate of year-2016-2017, class-10th and Roll.No-8754117, issued by CBSE has-been actually lost. Candidate Name-Vijay,Ph-7800814057. 0040506167-10

I, Neelam D/o Raj Kumar R/o D-37, Sahyog Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have lost my certificates & marksheets of Class-10th Roll No.6416011, Year-2009 and Class-12th Roll No.9708071, Year-2011, passout from CBSE, Delhi and B.A. Graduation Roll No.2361221, Year-2014, passout from DU, SOL 0040506079-1

Lost and Found

IT IS Notified that I, Harbans Lal Sehgal,S/o, Late. Shri. Sawan Mal Sehgal, 2C/39,new Rohtak Road (New Delhi) have Lost Thair original builder Buyer Aggrement Flat no. 501, Between Vatika Land base Pvt. Ltd. & H.L. Sehgal & Hari Sehgal & Rachana Sehgal Mrs. Neelam Pasricha & Mrs. Prabha Pasricha.

If Someone found May contact on Above Address or no: 9810172076

रिक्त स्थान

Youtube channel requires singers, musicians, humor writers, cartoonists, actors. Vasant Kunj South Delhi. 9990212777.Send details first to zebraonbeach@gmail.com 0050152365-1

PUBLIC NOTICE

This is to inform all concerned that my clients Sh. Nawab S/o Sh. Saddik and his wife Smt. Shakeela R/o H.No.-66, Chadiyan Kairana, Shamli, Uttar Pradesh-24774 have disowned and dis-inherited their daughter namely Ms. Shna and from all the movable and immovable properties of my above clients. My clients shall not be liable for the any act of the said Ms. Shna.

Ashish Rana (Advocate)
Ch.No.-323, Civil Wing,
Tis Hazari Court, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it Known to all that client Mr. DEEPAK KUMAR & MRS. SUSHMA MENDIRATTA R/O-G-6B,1st FLOOR,TILAK VIHAR, DELHI-110018 disowned own Daughter Preeti Gambhir & Deepak Kumar Bhola (son-in-law) R/o- J-17, Beriwala bagh, Subhash nagar Delhi-110027 from my all movable/ immovable properties/assets. Hereafter because he married without my client permission my client not be held responsible If he done any kind of criminal offences & my family is not liable for this and for any kind of acts done by him in money or transaction and any illegal/legal and property purpose in future.

RITU VERMA (ADVOCATE)
Enrl No: D/1126/92
Mob:- 9811270278

PUBLIC NOTICE

The public at large is hereby informed that Shri Amarjeet Singh S/o Late Shri Jagat Singh R/o WZ-380, Second Floor, Gali No. 21, Shiv Nagar, Janakpuri New Delhi-110058 has disinherited and disowned his elder son, Mr. Paramjit Singh and also his wife, namely Mrs. Sharandeep Kaur, they will have no right to claim any share in my immoveable or moveable properties. He disown both of them.

-sd-
RAJEEV GUPTA
Advocate
SNG & PARTNERS
R-26, South Extension-II,
New Delhi-110 049
Mob.: 9811160640

जयपुर, 3 अगस्त। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चार लोगों ने बैंक कर्मचारियों से नोटों से भरा बैग लूट लिया। (भाषा)

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री सुरिंदर शर्मा पुत्र श्री रतन लाल शर्मा निवासी ए–31/25ए, नेता जी, गली नं.–1, मौजपुर, शाहदरा, दिल्ली–110053 ने अपने पुत्र अंकित कुमार शर्मा से अपने सभी सम्बन्ध–विच्छेद कर लिए हैं और इन्हें अपनी सभी चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में इनसे किसी प्रकार का लेनदेन/व्यवहार करने वाले स्वयं जिम्मेवार होगा, मेरे मुवक्किल अपने वारिसान सहित जिम्मेवार नहीं होगा।

हस्ता./–
चन्द्रा प्रकाश राणा (अधिवक्ता)
चै.नं. 433–434, वैस्टर्न विंग,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–54

PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT SMT. SUNITA GROVER D/O SHRI B.R. GROVER RESIDENT OF C-1/107A, LAWRANCE ROAD, DELHI-110035, IS THE OWNER OF LIG FLAT NO.107A, FIRST FLOOR, IN BLOCK C-1, SITUATED AT LAWRANCE ROAD, DELHI, HAVE MISPLACED/LOST THE ORIGINAL DEMAND LETTER. POSSESSION SLIP, BANK CHALLAN, N.O.C OF ELECTRICITY AND WATER IN RESPECT OF ABOVESAID PROPERTY, VIDE NCR NO.1162019/2019, DT.18.6.2019, IF ANY BODY FINDS THESE DOCUMENTS, PLEASE INFORM HER AT THE ABOVESAID ADDRESS, PH.NO.9810028786.

IF ANY OTHER CLAIMENT HAS ANY RIGHT IN THE AFORESAID PROPERTY, HE/SHE SHOULD FILE AN FIR AND GIVE INTIMATION TO DY. DIRECTOR, DDA VIKAS SADAN, INA, NEW DELHI WITH IN 30 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE OF THIS NOTICE.

Sd/-
SACHIN KUMAR (ADVOCATE)
RU.- Mkt. Pitampura.
Delhi-110088

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Sunil Jatav S/o Sh. Kamlesh Kumar Jatav R/o 83, Raja Pur Gaon, Sector-9, Rohini, North West Delhi, Delhi- 110085 declare that name of mine and my minor daughter has been wrongly written as Sunil Kumar Jatav and Deepika Jatav in my minor daughter Dimple aged about 9 years school record, birth certificate and Aadhar Card. The actual name of mine and my minor daughter is Sunil Jatav and Dimple, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my clients Sh. Vijay Kumar and his wife Smt. Surjeet Kaur, resident of New MS-57, 58, Mohan Garden Opp. O.K. Model School, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have disowned their son Sh. Satinder Singh and his wife Smt. Jatinder Kaur, from all of their movable and immovable properties and alos severed all social relations with them immediate effect. My client shall not be responsible for their acts in future.

Sd/-
GAURAV KAJLA
(Advocate)
Ch. No. T-1D, Tehsil Lane,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My clients Shri Anil S/o Smt. Champi and his wife namely Smt. Kavita both R/o 60, Priyadarshni Colony, Kashmiri Gate, Delhi-110006 have severed all their relations from their son namely Shivam and his wife Smt. Ritika debarred them from all their movable/immovable properties and all assets due to their disobedience, misbehavior and misconduct towards my clients. My clients shall not be responsible for their any acts, deeds and transactions in future.

Sd/-
(Tanya Kathuria)
Advocate
Ch. No. E-220,
Karkardooma Coruts, Delhi-32

PUBLIC NOTICE

My client Smt. Madhu Bala w/o Late Sh. Subhash Chand Shah R/o D 49/3, Krishna Park Devli Road Khanpur Delhi- 110062, have disowned/disinherited their son Sh. Ashish Shah and his wife Smt. Mamta along with their son master Vihaan from all their movable and immovable properties and severed all their relations with him. He has moved out of my client's relation and properties own his own extinguishing all his existing and future rights and claims. Hence, he is out of my client's approach and control. My client will not be responsible for any civil and criminal act performed by him. If any person who deals with the above said person my do so at his/her own risk, cost and consequences.

Sd/-
VIVEK AGGARWAL (Advocate)
Chamber No 756-A, Western Wing
Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client **Smt. Sushma Rani Sharma** wife of late shri Raj Kumar Sharma resident of C-9A, Block-C, Sanjay Enclave, Uttam Nagar, New Delhi-110059, has disowned/debarred her son namely **Yogesh Sharma & his wife Ayushi** from her movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and she has severed her relations with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody deals with them will do so at her/their own risk and responsibility.

Mayor Chhabra & Associates
Advocates
Wz-95, First Floor, School Road,
Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

Through this notice, **SH. AJAY VASUDEVA, SECRETARY, PANAESHA EDUCATION SOCIETY, At, -26/3, EAST KRISHNA NAGAR, DELHI-110051**, give information to general public that vide resolution dated 29.05.2019 the management of the Panaesha Education Society with a majority vote has expelled membership of Sh. Hawa Singh (ex-member architect) from the society for all purposes and now onwards the above named society has no concern from Sh. Hawa singh in whatsoever manner. Anybody transacting any business with Sh. Hawa Singh is doing that in his/her own risk.

Sd/-
SANDEEP KAUSHIK (Advocate)
Enrl No. D-3442/2012

PUBLIC NOTICE

Be it known to whole world at large that we, Shri Raju Ranjan Gupta S/o Mahadev Sah, and Meena Devi W/o Raju Ranjan Gupta, have disowned and disinherited our sons namely Inderjeet Kumar Gupta and Rajesh Kumar Gupta, from all our movables and immovable properties situated in India w.e.f. 03.08.2019. Hence forth, they will not have any right, title and interest in any of our movable and immovable properties w.e.f. from 03.08.2019. Further, from today, we will not be responsible for any acts, actions and deeds committed by them.

Manoj Kumar (Advocate)
13D, Tyagi Enclave, MohanGarden,
New Delhi-110059

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री माता दीन सिरोहिवाल पुत्र स्व. प्रभाती लाल एवं श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री माता दीन सिरोहिवाल, दोनों निवासी मकान नं. बी–16, फर्स्ट फ्लोर, डबल स्टोरी, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008, ने अपने पुत्र नवीन कुमार पुत्र श्री माता दीन सिरोहिवाल एवं श्रीमती रेखा पत्नी श्री नवीन कुमार, दोनों हाल निवासी मकान नं. बी–16, सैकेण्ड फ्लोर, डबल स्टोरी, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 को, कहना न मानने, दुर्व्यवहार करने एवं नियंत्रण से बाहर होने के कारण, अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल करके उनसे अपने सभी पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। आज के बाद उनके किसी भी कार्य, लेन–देन व व्यवहार के प्रति मेरे मुवक्किल व उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त नवीन कुमार एवं श्रीमती रेखा से किसी भी प्रकार का लेन–देन या व्यवहार करता है तो उसके लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

(नवेद आज़म)
एडवोकेट
चै. नं. के–131, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–54

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Krishan Kumar Gupta son of late Sh. Gopi Ram r/o 1/12, First- floor, Roop Nagar, Delhi-110007 has severed his relationship with his son Sh. Parmod Kumar and his wife and their children since a long and due to their disrespectful behavior and continuous harassment my client have also disowned and disinherited them as his legal heirs /successors and has also disowned/ debarred them from his entire movable and immovable properties including properties no. 2280-2281, 2290 to 2292, Medganj, Sadar Bazar, Delhi. Any body dealing with them, will do at his/her/their own cost and risk. My above named client shall not be responsible for any acts / deeds done by Sh. Parmod Kumar and his wife and their children either in past or in future.

Sd/-
SUNIL GUPTA
(ADVOCATE)
Ch. No. 311-312, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

चिकित्सकों की हड़ताल रोकने को एम्स ने जारी किया नोटिस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त ।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल रोकने के लिए एम्स प्रशासन ने शनिवार को नोटिस जारी किया। बावजूद इसके आंदोलनकारी छात्र और डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। डॉक्टरों ने देशवासियों के नाम खुला पत्र जारी कर लोगों से अपने इलाज की बेहतरी के लिए आंदोलन के समर्थन की अपील की है।

प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट्स फोरम के डॉ अजय वर्मा ने कहा है कि इसमें किए लगभग सभी अहम प्रावधानों में खामी है। जबकि डॉ विजय ने आरोप लगाया कि ये प्रावधान गरीब विरोधी, छात्र विरोधी और अलोकतांत्रिक हैं। हड़ताल करने वालों में आरएमएल अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एफओआरडीए) और युनाइडेट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (यूआरडीए) भी शामिल हैं। यूआरडीए ने देश भर में चिकित्सा सेवाएं बंद रखी है।

शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। हालांकि एम्स सहित कुछ अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं सुबह आठ बजे बहाल कर दी गई थीं जिससे मरीजों को थोड़ी राहत मिली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट्स फोरम ने विधेयक को जनविरोधी करार देते हुए आंदोलन का समर्थन किया है।

सफदरजंग अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिले निर्देश पर हड़ताल कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ शनिवार को नोटिस जारी किया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से चेतावनी जारी किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी उत्तेजित हो गए थे।

चिकित्सा अधीक्षक सुनील गुप्ता ने अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा कि मंत्रालय ने मुझे आपको सूचित करने को कहा है कि हड़ताली चिकित्सक तत्काल काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई जैसे सेवा से निलंबन या बर्खास्तगी, छात्रावास खाली कराने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

चंडीगढ़ पीजीआइ के डॉक्टर भी हड़ताल पर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त ।

चंडीगढ़ के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान पीजीआइएमईआर के 1300 से अधिक रेजीडेंट डॉक्टर शनिवार को एनएमसी विधेयक के खिलाफ बेमियादी हड़ताल पर चले गए। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान (पीजीआइएमईआर) में इमरजेंसी और आइसीयू सेवाओं को छोड़कर बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाएं प्रभावित रहीं। पीजीआइएमईआर रेजीडेंट डॉक्टर संघ के अध्यक्ष उत्तम ठाकुर ने कहा कि रेजीडेंट डॉक्टरों ने शनिवार को अस्पताल की सभी सेवाएं बंद कर दीं, लेकिन आपातकालीन और आइसीयू सेवाएं चालू रहीं। संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि ओपीडी समेत सभी नियमित सेवाएं अगले नोटिस तक बंद रहेंगी।

वित्त मंत्रालय का फरमान, प्रेस ब्रीफिंग में नहीं पूछ सकते सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

वित्त मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय की तर्ज पर पत्रकारों को समाचारों की 'ब्रीफिंग' देनी शुरू कर दी है। मंत्रालय में होने वाले संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के सवाल पूछने पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों से सवाल सीधे नहीं पूछे जा सकते। पूछने से पहले सवाल ई–मेल करना होगा।

हाल में वित्त मंत्रालय में बगैर पूर्व अनुमति के पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। नए आदेश के मुताबिक, पत्रकारों को मंत्रालय में जाने के लिए पूर्व अनुमति जरूरी कर दी गई। ऐसा पांच जुलाई को जारी हुए आम बजट के बाद किया गया है।

अमूमन राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में वित्त मंत्रालय के अधिकारी पत्रकारों को ब्रीफ कर दिया करते थे। नए नियमों के मुताबिक, सप्ताह में एक दिन हर गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग का नियम बनाया गया है। विदेश मंत्रालय का यही रुटीन है। विदेश मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, प्रवक्ता की प्रेस ब्रीफिंग में कोई पूरक सवाल नहीं पूछा जा सकता। उसी तर्ज पर वित्त मंत्रालय ने भी नियम बना दिए हैं कि अधिकारी अपना बयान पढ़ेंगे और किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देंगे।

जाधव को राजनयिक पहुंच पर पाक ने चुप्पी साधी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच के प्रस्ताव भारत की आपत्तियों के बाद पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली है। भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को लेकर शुक्रवार को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग अधिकारियों और जाधव के बीच मुलाकात नहीं हो सकी। भारत ने पाकिस्तान के प्रस्ताव में राजनयिक पहुंच के दौरान उसके अधिकारी की मौजूदगी और कैमरे से रिकॉर्डिंग जैसी शर्तें रखी थीं, जिसे भारत ने अमान्य कर दिया।

बच्चा चोर होने के शक में व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई

छतरपुर (मध्य प्रदेश), 3 अगस्त (भाषा)।

छतरपुर जिले के हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को भीड़ ने 47 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर बच्चा चोर होने के शक में बेरहमी से पिटाई कर दी।

छतरपुर जिले में तीन दिन में यह तीसरा मामला है, जब भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में किसी को पीटा। इससे पहले छतरपुर जिले के नौगांव पुलिस थाने इलाके में भी ऐसे ही दो मामले हुए थे। इस मामले में हरपालपुर पुलिस थाने के जांच अधिकारी भुवनेश शर्मा ने बताया कि झांसी निवासी राकेश खटीक बांदा से झांसी जा रहा था। लोगों ने उसे बच्चा चोर होने के शक में पीटा। मामला क्योंकि रेलवे स्टेशन का है, इसलिए मामला जीरो पर कायम कर जीआरपी को भेज दिया है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी सुनील रिछारिया ने बताया कि बांदा से झांसी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करने वाला यह व्यक्ति स्टेशन पर उतरा। उसको देखते ही लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और बुरी तरह से पीटने लगे। उसका बचाव करने वाले एक युवक को भी लोगों ने पीटा। बाद में उसे हरपालपुर थाना पुलिस को सौंप दिया गया।

नौगांव पुलिस थाना प्रभारी राकेश साहू ने बताया कि शुक्रवार को नौगांव पुलिस थानांतर्गत गर्रोली में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में एक मूक–बधिर को जमकर पीटा, जबकि बृहस्पतिवार को नौगांव में बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा। दोनों का इलाज चल रहा है। इन दोनों मामलों में मामला दर्ज कर जांच जारी है।

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर महिला के उत्पीड़न का मामला दर्ज

मुंबई, 3 अगस्त (भाषा)।

भोजपुरी अभिनेता–गायक पवन सिंह पर 25 वर्षीय महिला अभिनेत्री का सोशल मीडिया पर कथित यौन उत्पीड़न करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। मलवानी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि सिंह ने भद्दी टिप्पणियां पोस्ट की और उसके सोशल मीडिया हैंडल पर उसकी अश्लील तस्वीरें अपलोड की। उन्होंने कहा कि पुलिस को दर्ज कराए अपने बयान में महिला ने कहा कि सिंह उससे दोस्ती जारी रखना चाहता था और उसने ऐसा नहीं करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

महिला की शिकायत के आधार पर उपनगर मलाड में मलवानी पुलिस ने सिंह, उनके सहयोगी और अन्य के खिलाफ शुक्रवार को एक मामला दर्ज किया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और धारा 354 तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की छानबीन चल रही है।

देहरादून के लालढांग से तीन गुलदारों का शव मिला

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 3 अगस्त ।

हरिलार वन प्रभाग के लालढांग क्षेत्र में तीन गुलदारों के शव मिलने से वन प्रभाग में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन महकमे ने हरिलार वन प्रभाग की चिड़ियापुर रेंज में एक गुलदार के शव को बरामद किया। थोड़ी देर में ही कुछ दूरी पर दो अन्य गुलदार भी मृत मिले।

सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएफओ आकाश वर्मा ने कहा कि आज सुबह रवासन नदी के करीब एक गुलदार का शव मिला। इस शव की जांच हो रही थी तभी सूचना मिली कि दो अन्य गुलदारों की भी मौत हुई है।

इलाके में कॉम्बिंग कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फोरेंसिक सबूतों की भी तलाश की जा रही है। वन विभाग ने पूरे हरिलार में अलर्ट जारी कर दिया है।

'ऑपरेशन जीएसटी' में फंसे गोदाम मालिक

1.18 करोड़ का सामान बरामद

जीएसटी के सामान की जांच के लिए दिल्ली भर में वैट की बड़ी जांच

एक साथ 41 टीमें उतरी, 140 टैक्स अधिकारी भी हुए शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

दिल्ली के गोदामों में बिना बिल का 1.18 करोड़ का माल बरामद हुआ है। कारोबारियों की जांच के लिए शुक्रवार देर रात दिल्ली में 'ऑपरेशन जीएसटी' चलाया गया। इसके तहत एक साथ 41 टीमों को दुकानों व गोदामों की जांच के लिए उतारा गया। इन जांच टीमों में 140 कर (टैक्स) अधिकारी भी शामिल हुए। इस जांच अभियान में 1.18 करोड़ का माल पकड़ा गया है। इस माल की खरीद-फरोख्त का कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है।

इस जांच में वैट विभाग ने 41 परिसरों व 26 ट्रांसपोर्टर के यहां पर छापे मारे। माल वाहक वाहन चलाने वाले ऑपरेटर के यहां हुए इन छापों में टीमों को 18 जगहों पर विभाग को गड़बड़ियां मिली हैं। इनके पास गोदाम में रखे गए इस सामान के जीएसटी बिल व अन्य जरूरी कागजात नहीं थे, जो किसी भी सामान को देश में एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए जरूरी हैं। विभाग के मुताबिक, जांच में पकड़े गए इस सामान की अनुमानित कीमत करीब 1.18 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन गोदाम मालिकों के खिलाफ तय नियमों के तहत जांच शुरू की गई है और पकड़े गए सामान का आकलन भी शुरू कर दिया गया है। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के मुताबिक इन गोदाम मालिकों के खिलाफ वैट विभाग के पास लगातार शिकायत आ रही थी। इसके बाद से ही विभाग ने संबंधित जगहों की निगरानी शुरू कर दी थी। इसके लिए विशेष जांच टीमें भी लगाई थीं, जिन्होंने अभियान के दौरान करीब 200 वाहनों की जांच की थी। विभाग के मुताबिक अब तक 166 ट्रक की जांच की जा चुकी है, इसमें करीब 4.18 करोड़ के सामान को पकड़ा गया है। ऐसे मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने यह भी तय किया है कि आने वाले दिनों में भारवाहक वाहनों की जांच को और तेज किया जाएगा। इसकी मदद से बिना टैक्स सामान ले जाने वाले लोगों की धरपकड़ की जा सकेगी।

निगम ने पकड़े 2529 आवारा पशु

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जुलाई।

एक विशेष अभियान के तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 2529 आवारा पशुओं को पकड़कर आम लोगों को राहते देने का दावा किया है। निगम ने यह अभियान एक जनवरी से अब तक जारी रखा है। निगम का दावा है कि दिवाली तक लगभग सभी आवारा पशु पकड़ लिए जाएंगे। निगम की नई रणनीति के तहत आवारा पशु पकड़ने के लिए निगम का दल और सहायक पुलिस दल सुबह पांच बजे निकलता है। वह किसी भी निर्धारित स्थान पर एकत्र होकर अचानक किसी संभावित क्षेत्र में छापा मार कर आवारा पशु को पकड़कर उसे सुरक्षित जगह पर भेज देता है।

उन्नाव मामला : दिल्ली में सुनवाई शुरू, सेंगर और शशि सिंह को पेश करने का आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

उन्नाव बलात्कार मामले की सुनवाई दिल्ली में शनिवार से शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई करने बैठी तीस हजारी की अदालत ने मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और सह आरोपी शशि सिंह को सोमवार दोपहर उनके समक्ष पेश करने का आदेश दिया। ये दोनों गिरफ्तार हैं। इन दिनों दोनों सीतापुर जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ अदालत ने पेशी वारंट जारी कर कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर और सह आरोपी शशि सिंह को सोमवार दोपहर साढ़े 12 बजे पेश किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीस हजारी अदालत के जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा को सनसनीखेज उन्नाव बलात्कार कांड से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई का जिम्मा सौंपा है। उन्नाव बलात्कार मामले के अलावा जज धर्मेश शर्मा पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले की भी सुनवाई करेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजंसियों से सवाल किया था।

तीन चौथाई बहुमत के साथ बनेगी भाजपा सरकार : अरुण सिंह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने शनिवार को व्यापारी प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नकारात्मक सरकार कहा। उन्होंने कहा कि इस नकारात्मक सरकार को हटाने के लिए आम जनता तैयार है और दिल्ली में इस सरकार का विकल्प केवल भाजपा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा तीन चौथाई बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए काम करें।

अरुण सिंह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है और इस वजह से आज कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है। इसके अतिरिक्त हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी 'आप' व कांग्रेस ने अपना पूरा दम लगाया था। इसके बाद भी इन्हें जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं 'आप' के नेताओं की जमानत तक जब्त हुई है। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में जनता के पास भाजपा एक विकल्प है। पार्टी ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चला रखा है।

चांदनी चौक योजना पर विवाद, भाजपा ने की अस्थायी रोक की मांग

चांदनी चौक पुनर्निर्माण के विवादों को लेकर भाजपा ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से गुहार लगाई है। मामले में शनिवार को भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल से मांग की है कि इस विवाद निपटारे तक इस निर्माण को रोका जाए। उन्होंने बताया कि चांदनी चौक में दरीबा के पास 13 मीटर की सड़क बन जाने के बाद सड़क की ऊंचाई दुकानों से अधिक हो जाएगी। इस वजह से मानसून के दौरान कारोबारियों को परेशानी उठानी होगी।

नौकरी देने वाले बनें युवा : सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि युवाओं को इस तरह से दक्ष होना चाहिए ताकि वे नौकरी मांगने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। नेताजी सुभाष युनिवर्सिटी ऑफ टेकनोलॉजी के ओरिएंटेशक कार्यक्रम में विद्यार्थियों से उन्होंने यह बात कही। सिसोदिया ने छात्रों से 'देश सर्वप्रथम' की विचारधारा को पहली तरजीह देने का मंत्र भी दिया।

उपराज्यपाल ने निगम क्षेत्र में पौधा लगाया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जुलाई।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार सुबह रानी झांसी ग्रेड सेपरेटर ने नीचे बर्फखाना रोटरी गोल चक्कर पर अमलतास का पौधा लगाया। बैजल ने अधिकारियों से क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने को कहा है। उत्तरी दिल्ली के मेयर अवतार सिंह, उपमेयर योगेश वर्मा, अध्यक्ष स्थायी समिति जयप्रकाश, आयुक्त वर्षा जोशी सहित सभी अधिकारी मौजूद थे।

मेयर ने कहा कि अधिक से अधिक स्वदेशी पौधे जैसे नीम, पीपल, बेल, शीशम और जामुन लगाने की कोशिश की जा रही है। इन पौधों की हमारे जीवन में अधिक उपयोगिता है और ये वातावरण में अच्छे से बढ़ते हैं। इस हरित क्षेत्र के पूरी तरह से विकसित होने के बाद यह आगंतुकों के लिए ऑक्सीजन बैंक के रूप में काम करेगा और इसकी प्राकृतिक सुंदरता मनभावन और तरोताजा करने वाली होगी। जयप्रकाश ने बताया कि रानी झांसी ग्रेड सेपरेटर में कुल 27413 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र है जहां विभिन्न प्रजातियों की 1.43 लाख झाड़ीनुमा पौधों के रोपण के अलावा 15 विभिन्न देशी प्रजातियों के 2000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं।

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

आपका सहयोग महत्वपूर्ण है...

कार, मोटरसाईकिल व स्कूटर को बेचने से पहले खरीददार की पहचान सुनिश्चित कर लें

अपने इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो तत्काल सूचित करें

गेस्ट हाउस का रूम बुक करने से पहले अतिथि की पहचान संबंधी कागजों की जांच करें

पुलिस सत्यापन के बिना अपने परिसरों को किराये पर न दें

अपराध व आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में

लावारिस वस्तुओं को न छुएं

कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर 1090 पर कॉल करें

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें : cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in
लिखें : पुलिस आयुक्त दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नंबर 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

तुरंत पुलिस सहायता के लिए 100 नम्बर पर कॉल करें
पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें–1090

DP/9133/19

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
विद्युत विभाग, कार्यालय कार्यपालक अभियंता (विद्युत)
वितरण दक्षिण प्रभाग
33केवी एस/एस किदवई नगर (पश्चिम), नई दिल्ली–110023

ई–अधिप्राप्ति निविदा सूचना

कार्य का नाम : वर्ष 2019–20 के दौरान राजपथ एरिया के दक्षिण में यूजी केबलों एवं जीएस पिलर का आरएंडएम।
उपशीर्ष: एलटी एक्सएलपीई पीवीसी केबलों के लिए विभिन्न आकारों के एनएस टाइप एसटी टीएच ज्वाइंट किट्स की आपूर्ति।
अनुमानित लागत : ₹23,49,970/-
ई–अधिप्राप्ति समाधान के माध्यम से निविदा जारी होने की तिथि : 31.07.2019
ई–अधिप्राप्ति समाधान के माध्यम से बोली/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय : 09.08.2019 को अप. 3.00 बजे
ई–अधिप्राप्ति समाधान के माध्यम से बोली/निविदा खुलने की तिथि/समय : 09.08.2019 को अप. 3.30 बजे
विस्तृत विवरण www.ndmc.gov.in या https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
टिप्पणी: एनडीएमसी में ई–निविदा में भाग लेने के लिए आवेदन सेवा प्रदाता (एनआईसी) के साथ पंजीकरण अनिवार्य है।
हस्ता./–
Tender ID No. 2019_NDMC_177494_1 कार्यपालक अभियंता (डी/एस)
To be The Global Benchmark for a Capital City

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स राधिका पॉलिमर्स व अन्य,
सी/ओ क्लेरियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 129, मुनिम प्लाजा, 20 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002

जो कि मैसर्स राधिका पॉलीमर्स व अन्य और क्लेरियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड (कम्पनी) के सहयोग से सेक्टर – 102 में एक वाणिज्यिक कॉलोनी के विकास की प्रक्रिया शुरु कर रहा है, जो गुरुग्राम में 5.846875 एकड़ में है। जो दिनांक 05.09.2012 के लाइसेंस नम्बर 93 और दिनांक 12.06.2014 को लाइसेंस नम्बर 30 और 31 के प्रावधान के अनुसार है। जिसकी स्वीकृति महानिदेशक शहरी एवं सम्पदा योजनकार विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा दी गई है। और जबकि कम्पनी को IGBC द्वारा गोल्ड रेटिंग के आधार पर F.A.R को जोड़ने और भवन के अन्दर अन्य सामूली बदलाव करने का प्रस्ताव करती है। और जबकि, रामी परिवर्तनों को 25.07.2019 को महानिदेशक शहरी एवं सम्पदा योजनकार विभाग द्वारा सिद्धांत रुप में अनुमोदित किया गया है।

और जबकि, बिल्डिंग प्लान में ऐसे संशोधन की अनुमति देने के लिए पूर्व शर्त के रुप में, महानिदेशक शहरी एवं सम्पदा योजनकार विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ के कार्यालय को यह पता लगाने की आवश्यकता है कि बिल्डिंग प्लान के संशोधन में कोई आपत्ति है या नहीं।

तदानुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उपरोक्त वाणिज्यिक कॉलोनी के प्रस्तावित बिल्डिंग प्लान को संशोधित करने के लिए किसी भी वर्तमान आवंटी को अपनी–अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पूर्व अनुमोदित प्लान महानिदेशक शहरी एवं सम्पदा योजनाकार विभाग मेमो न. ZP-979/SD(BS)/2015/9451 दिनांक 05.06.2015 व बिल्डिंग प्लान जो कि महानिदेशक शहरी एवं सम्पदा योजनकार विभाग, मेमो न ZP-979/AD(RA)/2019/17606 दिनांक 25.07.2019 द्वारा संशोधित होने के लिए प्रस्तावित है। आपके अवलोकनार्थ हमारी वेबसाइट www.satyagroups.in पर मौजूद है।

उक्त बिल्डिंग प्लान को कम्पनी कार्यालय, प्लॉट नंबर–B, सेक्टर–44, गुरुग्राम के साथ–साथ सीनियर टाउन प्लानर, हुड्डा कामप्लेक्स, सेक्टर–14, गुरुग्राम के कार्यालय में भी देखा जा सकता है। संशोधित भवन योजना पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति करने वाले इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, सीनियर टाउन प्लानर, हुड्डा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–14, गुरुग्राम के कार्यालय मेंअपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है अन्यथा यह समझा जयेगा कि उपरोक्त प्रस्तावित बिल्डिंग प्लान के बाबत वर्तमान आवंटियों को कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 04 August, 2019
क्लेरियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Bata®

BATA INDIA LIMITED
REGD. OFFICE: 27B, CAMAC STREET, 1st FLOOR, KOLKATA 700016 | CIN: L19201WB1931PLC007261
Telephone: (033) 23014400, Fax: (033) 22895748, E-mail: corporate.relations@bata.com, Website: www.bata.in

EXTRACT FROM THE STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2019

(in Rs. Millions except per share data)

S.No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		3 months ended 30th June 2019	3 months ended 31st March 2019	Corresponding 3 months ended 30th June 2018	Year ended 31st March 2019	3 months ended 30th June 2019	3 months ended 31st March 2019	Corresponding 3 months ended 30th June 2018	Year ended 31st March 2019
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	8,821.43	6,793.90	7,972.84	29,284.44	8,827.55	6,802.38	7,980.03	29,311.03
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,555.42	1,052.14	1,278.81	4,782.65	1,558.08	1,056.36	1,277.65	4,776.87
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,555.42	1,052.14	1,278.81	4,782.65	1,558.08	1,056.36	1,277.65	4,776.87
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,007.30	882.69	825.53	3,296.60	1,009.73	886.66	824.11	3,289.94
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,006.23	865.66	822.26	3,297.98	1,008.66	869.63	820.84	3,291.32
6	Equity Share Capital	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				16,822.69				16,775.80
8	Earning per share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) not annualized- Basic & Diluted	7.84	6.87	6.42	25.65	7.86	6.90	6.41	25.60

Note:

a) Revenue from operations for the quarter ended 30th June 2019 of Rs. 8821.43 million have increased by 11% over the corresponding period last year.
b) Profit before tax for the quarter ended 30th June 2019 of Rs. 1555.42 million has increased by 22% over the corresponding period last year.
c) Effective 1st April, 2019, the Company adopted Ind AS 116 "Leases", applied to all lease contracts existing on 1st April, 2019 using the modified retrospective method and has taken the cumulative adjustment to retained earnings, on the date of initial application. Accordingly, Company is not required to restate the comparative information for the year and quarter ended 31st March, 2019 and quarter ended 30th June, 2018. Consequently, performance of the current period is not comparable with previous period results.
d) The report of Statutory Auditors is being filed with National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and The Calcutta Stock Exchange Limited. For more details on audited results, please visit Investor Relations section of our website www.bata.in and Financial Results at Corporate section of www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.cse-india.com.

For and on the behalf of the Board of Directors

Kolkata
02.08.2019

Ram Kumar Gupta
DIRECTOR FINANCE

Rajeev Gopalakrishnan
MANAGING DIRECTOR

Bata
NEW ARRIVALS EVERY FRIDAY
NEW STYLES, COLOURS AND DESIGNS.

स्कूल के लिए निकला था बच्चा, तालाब में मिला शव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

दक्षिणी दिल्ली में घर से स्कूल के लिए निकले एक बच्चे का शव शनिवार सुबह तालाब में मिला। परिजनों की मौजूदगी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में पोस्टमार्टम कराने के लिए रखा गया है। फतेहपुर बेरी पुलिस आसपास के लोगों और स्कूल प्रशासन से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

दक्षिणी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, फतेपुर बेरी के आयानगर ई-ब्लाक में रहने वाले मदन लाल गोठवाल का 12 साल का बेटा शुभम शुक्रवार को स्कूल गया था। आयानगर के गर्वमेंट ब्वॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ने वाला शुभम अपने घर से स्कूल के लिए निकला था और फिर वापस लौटकर नहीं आया। आमतौर पर वह दोपहर ढाई बजे तक स्कूल से घर आ जाता था। शुक्रवार को जब स्कूल से समय पर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई और वे उसे तलाशने लगे। शुक्रवार देर रात को घर वालों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस घर वालों के साथ तलाश कर ही रही थी कि शनिवार सुबह एक राहगीर ने पुलिस को बताया कि आयानगर एअरफोर्स स्टेशन के पीछे घने जंगल में एक पोखरनुमा झील है। उसमें पानी रहता है और बच्चे कभी-कभी उसमें स्नान करने चले जाते हैं। सुबह करीब 8 बजकर 30 मिनट पर जब पुलिस स्थानीय लोगों के साथ वहां पहुंची तो बच्ची की लाश मिली।

मां नहीं बन सकी तो बीवी के लिए बच्चा चुराया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

शादी के आठ साल बाद जब महिला मां नहीं बन सकी तो उसने अपने पति को छोड़ दिया। इस बात से दुखी उसके पति ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नेबसराय में रहने वाले एक साढ़े चार साल के बच्चे का अपहरण कर लिया और बच्चे को अपनी पत्नी के पास ले गया। वारदात की जानकारी जैसे ही पीड़ित परिजनों को मिली, उन्होंने इसकी सूचना नेब सराय थाना पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे करीब 60 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कमल किशोर को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित परिवार को बच्चा सौंप दिया है।

एम्स के संकाय सदस्य भी आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक के खिलाफ

विधेयक का विरोध करते डॉक्टर।

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 3 अगस्त

आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक के खिलाफ आंदोलनकारी छात्रों के साथ एम्स के संकाय सदस्य भी खड़े हुए। एम्स के रेजीडेंट डॉक्टरों व छात्रों के साथ संकाय सदस्यों ने शनिवार को बैठक की। फेम्स इस मामले में सोमवार को जीबीएम करके अपनी रणनीति तय करेगी। उन्होंने शनिवार को बैठक में छात्रों व डॉक्टरों के साथ इस विधेयक की तमाम पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने इस विधेयक में आयोग को स्वायत्तता न दिए जाने को चिंताजनक बताया और आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए सरकार चिकित्सा शिक्षा व सेवा को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसलिए आयोग को स्वायत्तता भी नहीं दी गई है।

एक संकाय सदस्य ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाया और कहा कि जिस तरह इस विधेयक को पारित कराने की जल्दबाजी की जा रही है उससे भी यही जाहिर होता है। जबकि 2017 से तैयार इस विधेयक पर चर्चा कराने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन सरकार इससे जुड़ी दिक्कतों को दूर किए बिना व चिकित्सा क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लिए बिना आनन फानन में यह विधेयक पास कराना चाहती है। संकाय सदस्यों ने कहा कि निजी मेडिकल कालेजों की 85 फीसद सीटों पर शुल्क तय करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए ताकि गरीब घरों के बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। वर्ना वे मेधावी होकर भी इस आदर्श पेशे में पढ़ाई व काम करने से महरूम रह जाएंगे क्योंकि इस विधेयक के मौजूदा स्वरूप में पारित होने से पहले से ही महंगी चिकित्सा शिक्षा का और तेजी से व्यवसायीकरण हो जाएगा।

इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य के मसले पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक तरह से सरकार इस विधेयक के जरिए झोलाछाप डॉक्टरों को लाइसेंस देने की बात कह रही है। जबकि सरकार को विधेयक में यह साफ करना चाहिए था कि वह इस तरह की बेमानी शर्तों के जरिए क्यों व क्या फायदा लेना चाहती है। जबकि इससे लोगों की जान को जोखिम में डालना होगा।

संकाय सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वह लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परीक्षा नेक्स्टा का पूरा खाका पेश करती। लेकिन यह करने की बजाय सरकार ने संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों को भी दरकिनार करके हड़बड़ी में विधेयक पास कराने की जो कोशिश की है वह समझ से परे है। एक संकाय सदस्य व विभागाध्यक्ष ने शिकायत निवारण प्रणाली पर विधेयक में कोई प्रावधान न होने पर भी चिंता जाहिर की। इस बीच एम्स आरडीए के डॉक्टर आदर्श ने देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सरकार एक विधेयक लाई है जिसमें कुछ लोगों को थोड़े समय का प्रशिक्षण देकर अंग्रेजी दवाएं मरीजों को देने का अधिकार दे रही है। जबकि उन लोगों को मानव शरीर के अंदर की क्रिया प्रतिक्रिया व अंगों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी। एक तरह से यह झोलाछाप डॉक्टरों को अंग्रेजी दवाई देने का अधिकार दिया जा रहा है। यह भी साफ नहीं कि वे कितने पढ़े-लिखे होंगे या किस तरह की बीमारियों का इलाज करेंगे या कौन-कौन सी दवाएं दे सकेंगे।

29 लाख के बिस्कुट के साथ हवाई अड्डे से व्यक्ति गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति को सात सोने के बिस्कुट के साथ पकड़ा गया है। इन सात सोने के बिस्कुटों का दाम 29 लाख रुपए बताया गया है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने शनिवार सुबह 11 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल तीन पर एक यात्री को संदिग्ध हालत में घूमते देखा। एमएल मीणा दमन से एअरएंडिया की एक फ्लाइट से दिल्ली आया था। बहुमंजिली कार पार्किंग के पास संदिग्ध हालत में जब उसे रोककर जांच की गई तो पाया गया कि उसके बैग में सोने के सात बिस्कुट हैं।

महिला को पीसीआर ने बचाया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने पर शाहदरा में एक महिला ने खुद को घर में बंद कर लिया। परिजनों के आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो पीसीआर को इत्तिला दी गई। पीसीआर को मिली तो उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर बेहोश मिली महिला को हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया।

पटपड़गंज में युवक का शव मिला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

पटपड़गंज थाना क्षेत्र में एक टैटू ब्वॉय के सिर पर भारी चीज से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को मृतक के पास से कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। मृतक के हाथ पर सन्नी एस नाम का टैटू और हथेली के पास टैटू से सुरूर गुदा हुआ है। मध्य जिला पुलिस के उपायुक्त जसमीत सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.

निगमित कार्यालय/मुख्यालय : जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, छठी मंजिल, 14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020 टेली.: (022) 22851765/66/67 ई-मेलः corporate@gichf.com वेबसाइटः www.gichfindia. com

दिल्ली क्षेत्र कार्यालय : यूजीएफ- 10ए-ई, कंचनजुंगा बिल्डिंग 18, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001,

टेलीः 011-23731669, 23327548, 41522024, ई-मेलः delhi@gichf.com

नीलामी बिक्री के लिए मुहरबंद निविदाओं द्वारा बोलियों को आमंत्रण

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. (जीआईसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा हस्ताक्षरी ने उक्त सूचनाओं में वर्णित देय राशि का भुगतान करने के लिए उन्हें बुलाने के लिए निम्नलिखित ऋणियों/गिरवीकर्ताओं को मांग सूचना जारी की थी। हालांकि ऋणी/गिरवीकर्ता देय राशि का भुगतान करने में असफल रहे, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	फाइल नं.	ऋणी/सह-ऋणी/ गारंटर का नाम	संपत्ति का पता	मांग सूचना की तिथि	भौतिक कब्जा की तिथि	31.08.19 तक कुल बकाया (रुपए में)	आरक्षित मूल्य
1.	UP0660600000050 द्वारका शाखा	यशवीर सिंह चौहान	फ्लैट नं. एफ-5, पहली मंजिल, प्लॉट नं. एफ-18, खसरा नं. 156ए, साई उपवन गांव- यूसुफपुर चक्साबेरी, जिला-जीबी नगर, उ.प्र.-201301	02.02.2018	15.03.2019	1195702/-	949378/-
2.	DL0110610002968 दिल्ली शाखा	अनुराधा चारी	फ्लैट नं. 405, तीसरी मंजिल, खसरा नं. 774/26, टॉवर-ए, रॉयल रेजीडेंसी, हाउस निकेतन डेरा मंडी छत्तरपूर महरौली नई दिल्ली-110047	08.09.2017	03.04.2019	4235344/-	34,88,000/-

उक्त परिसंपत्तियों/संपत्तियों (सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम व शर्तों और इसके अंतर्गत नियमों में) की नीलामी बिक्री के लिए इस सार्वजनिक सूचना के अतिरिक्त, ''जहां है जैसा है के आधार'' और ''जहां है जो है के आधार'' पर उक्त संपत्तियों की खरीद के लिए मुहरबंद कवर/रों में प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

नीलामी बिक्री की नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. उपरोक्त संपत्तियों को उक्त वर्णित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा उपरोक्त संबंधित आरक्षित मूल्यों का जमा धरोहर राशि/यों /(ईएमडी) 10 प्रतिशत जमा कराने की आवश्यकता होगी।
3. उक्त जमा को सफल बोलीदाता/ओं के मामले में समायोजित किया जाएगा, अन्यथा वापस किया जाएगा। उक्त जमा धरोहर राशि/यों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
4. उपरोक्त जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के सहित प्रस्ताव(ओं) संपत्ति की खरीद (संपत्ति का विवरण) के लिए मुहरबंद कवर ऊपरलिखित प्रस्ताव/ओं में होने चाहिए और यह नीलामी तिथि अर्थात् 04.09.2019 की एक दिन पहले जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., यूजीएफ-10 ए-ई, कंचनजुंगा बिल्डिंग 18, बाराखंभा रोड, मेट्रो स्टेशन के सामने, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।
5. चूंकि, निविदाओं के खुलने के बाद, इच्छुक बोलीदाता जो आरक्षित मूल्य से कम में नहीं, अपनी बोलियां जमा करा चुका हैं, बोली राशि में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के स्वयं के निर्णय पर अवसर दिया जाएगा।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों/निविदाओं को जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., यूजीएफ-10 ए-ई, कंचनजुंगा बिल्डिंग 18, बाराखंभा रोड, मेट्रो स्टेशन के सामने, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में स्थित स्थल पर उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा।
7. सफल बोलीदाताओं को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति पर तुरंत पहले से जमा ईएमडी के संयोजन पर बिक्री मूल्य की राशि का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा, असफल होने पर जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। बिक्री मूल्य का 75 प्रतिशत प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय पर स्वयं बिक्री के सुनिश्चितीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर देययोग्य होगा। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि को जमा करने में असफल होने पर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
8. सफल बोलीदाता को सभी बकाया राशि अर्थात् म्यूनिस्पिल कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली प्रभार, पानी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, बिक्री कर (यदि लागू हो), यदि कोई है और बिक्री मूल्य के अतिरिक्त संबंधित संपत्तियों के संबंध में सभी बकाया सहित अन्य आकस्मिक शुल्क, लागत का वहन करना होगा।
9. ऊपर उक्त संपत्तियों की जांच प्राधिकृत अधिकारी की सुविधा अनुसार और अनुरोध पर की जा सकती है।
10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम या किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसपर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
11. निविदा फॉर्म या अन्य सूचना रु. 100/- केवल के मूल्य पर किसी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से उपलब्ध कराए/प्राप्त किए जा सकते हैं।

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./-
(प्राधिकृत अधिकारी)

दिनांकः 04.08.2019
स्थानः नई दिल्ली

बेकाबू ट्रक फ्लाईओवर से गिरा, चालक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

आइपी स्टेट थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक ट्रक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना सुबह करीब 4 बजकर 55 मिनट पर पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर चालक और दो अन्य लोगों को बाहर निकाला और घायल हालत में तीनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ट्रक चालक राजस्थान, मेवात निवासी जलालुउद्दीन उर्फ कल्ली (45) को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में शाहरुख और वाजिद घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक अनियंत्रित ट्रक फ्लाईओवर से नीच गिर गया है और हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि एक ट्रक फ्लाईओवर के नीचे पड़ा है। उसमें भरी पेटियां सड़क पर फैल गई हैं। पीसीआर तीनों घायलों को पास के अस्पताल में लेकर गई है। शुरुआती छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि जलालुउद्दीन महाराष्ट्र से मिर्च लेकर आजादपुर सब्जी एंव फल मंडी जा रहा था। इसी दौरान फ्लाईओवर पर ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक नीचे जा गिरा।

शराब तस्करों को पकड़ने गए पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी के साथ बदसूलकी और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार देर रात करीब साढ़े बारह बजे की है। थाने में तैनात कांस्टेबल राम किशन को सूचना मिली थी कि मदनुपर खादर के मकान नंबर बी1/920 में शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ करने लगे। इसी दौरान मकान मालिक अशोक की पत्नी कुसुम और गुड्डी नामक एक अन्य महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करने लगी।

उन्होंने पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया और कांस्टेबल के साथ हाथापाई करने लगे। महिला चप्पल से पुलिसकर्मी की पिटाई करने की कोशिश करने लगी। इस दौरान कांस्टेबल ने अपने आप को बचाने के लिए हवा में एक गोली चलाई और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले से जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी अपने आप को बचाने के लिए लोगों को डरा-धमका रहा है, लेकिन एक महिला उसके साथ मारपीट करने को उतारु है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त कुमार ज्ञानेश का कहना है कि फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अन्य को हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिसकर्मी ने हवाई गोली चलाकर बचाई अपनी जान

कालिंदी कुंज थाने पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार

भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र हरित ऊर्जा से होगा रोशन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

हरित ऊर्जा से दिल्ली का भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आईआईसी) रोशन होगा। इसके लिए आईआईसी में 70 किलोवॉट का सोलर रूफ टॉप प्लांट तैयार किया गया है। बिजली कंपनी टाटा पावर ने यह पहल की है। इस प्लांट से हर साल 90 हजार यूनिट बिजली बनेगी, जिससे सालाना 11 लाख रुपए की बचत होगी। यह प्लांट बिजली बिल को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण से हर वर्ष 63 टन तक कार्बन तत्वों में कमी लाएगा।

शुक्रवार को टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने इस प्लांट की शुरुआत की। इस प्लांट की निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है। इसकी मदद से प्रतिदिन होने वाले बिजली उत्पादन की सटीक जानकारी रखी जा सकेगी। इसमें प्रतिदिन उत्पादित व खर्च की गई बिजली की जानकारी और बिजली की बचत की जानकारी उपलब्ध होगी। प्रवीर सिन्हा ने बताया कि इस प्लांट का रखरखाव 5 साल तक टाटा पावर ही करेगा। इसके बाद संबंधित एजंसी ही इसका रखरखाव संभालेंगी। उन्होंने बताया कि एक किलोवॉट के प्लांट पर कंपनी करीब 50 हजार रुपए खर्च कर रही है। टाटा पॉवर ने आईआईसी के साथ मिलकर यह पहल की है।

देश भर में 100 शहरों में ऊर्जा संयंत्र की योजना

टाटा सोलर पावर की मदद से देश भर के 100 शहरों से सोलर बिजली की परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत अब तक 28 शहरों में काम शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी सोलर पावर के एमडी आशीष खन्ना ने दी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया सकेगा और कार्बन तत्वों में कमी लाई जा सकेगी।

नई दिल्ली

खबरों में शहर

किताब का लोकार्पण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त

आज के चुनौतीपूर्ण और व्यस्त समय में खुद को व्यवस्थित व मस्तिष्क को स्थिर रखने में प्रार्थना व विपश्यना आज के समाज की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल डॉ. कर्ण सिंह ने ये बातें श्री एम की पुस्तक 'कैसे करें ध्यान?' के लोकार्पण कार्यक्रम में कहीं। किताब का प्रकाशन पेंगुइन प्रकाशन ने किया है। कर्ण सिंह ने कहा कि स्व-प्रबंधन का नया व रोचक तरीका इस किताब में बताया गया है। यह पुस्तक प्रश्न-उत्तर रूप में लिखी गई है। श्री एम ने कहा कि मनुष्य में व्याप्त दैवीय गुण ही इश्वर है। मनुष्य के मस्तिष्क को स्पष्टता देने का काम विपश्यना करती है। इस पुस्तक में विपश्यना से जुड़े तमाम अनुभवों व सवालों को शामिल किया गया है।

युवक को ऑटो चालक ने बंधक बनाकर लूटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त

शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में ऑटो सवार तीन बदमाशों ने चाकू की नोंक पर एक युवक को बंधक बनाकर लूट लिया। लूट के बाद बदमाश युवक को ऑटो से फेंक कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित मोहम्मद खुर्शीद (19) की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि जब युवक ऑटो में सवार हुआ था तब चालक समेत तीन लोग पहले से बैठे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद खुर्शीद बिहार, कटिहार का रहने वाला है। वह बिहार से बस पकड़कर बीती गुरुवार रात करीब आठ बजे कश्मीरी गेट बस अड्डा पर पहुंचा था।

आभूषण कारोबारी की चाकू मारकर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

बाहरी दिल्ली के अमन विहार में एक आभूषण कारोबारी की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वारदात रोडरेज की है या लूट की कोशिश के बाद की हत्या की, पुलिस इस पर अभी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, कारोबारी सोनू कुमार (37) परिवार के साथ नांगलोई में किराए के मकान में रहता था। इलाके में ही उसकी आभूषण की दुकान है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम वह अपनी मोटरसाइकिल से सेक्टर-25 रोहिणी अपनी बहन के घर जा रहा था। इलाके के पीर बाबा की दरगाह से कुछ आगे चलने पर ही मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने चलती गाड़ी पर सोनू की जांघ में चाकू मार दिया। पुलिस का कहना है कि परिवार और चश्मदीदों के बयान के बाद ऐसा संदेह है कि सोनू की इलाके के बदमाशों से राह में चलते हुए किसी बात को लेकर कहासूनी हो गई और उसके बाद बदमाशों ने उसका पीछा कर चाकू मार दिया। यह भी संभव है कि बदमाशों ने उसका पीछा कर लूटपाट की कोशिश की होगी लेकिन मौके पर कुछ लोगों के शोर मचाने पर बदमाश पकड़े जाने के डर से फरार हो गए।

योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का समय : गौतम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

दिल्ली के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो के संकल्प के साथ एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। वे शुनिवार को दलित समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, एससी-एसटी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों व कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली सरकार की सभी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की भी अपील की। उन्होंने दावा किया कि अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दिल्ली सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ते हुए सरकार को मजबूती देनी है। एक ईमानदार सरकार ने अपने हर वादे को पूरा करके दिखाया है और अब बिजली बिल माफ करते हुए दिल्ली की आम जनता को मजबूत किया है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया हैबिटाट सेंटर : बापू पर लिखी पुस्तक पर चर्चा, गुलमोहर सभागार, इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

प्रदर्शनी

आइफैक्स : सुरज घई की कला प्रदर्शनी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसायटी गैलरी, 1 रफी मार्ग, सुबह 11 बजे से 8 अगस्त तक।

इंडिया हैबिटाट सेंटर : फिल्म, स्टेन, इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

मुजफ्फरनगर दंगा : आरोपी की जमीन जब्त करने का आदेश

मुजफ्फरनगर, 3 अगस्त (भाषा)।

जिले की एक सत्र अदालत ने जिले के अधिकारियों को मुजफ्फरनगर दंगा मामले के एक आरोपी की जमीन को जब्त करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गौतम ने यह आदेश इस लिए जारी किया ताकि आरोपी रविंदर सिंह यह जमीन बेच नहीं पाए।

आरोप है कि सिंह ने अन्य लोगों बिशन सिंह, तेंदू, देवेंद्र और जितेन्द्र के साथ 27 अगस्त, 2013 को जनसथ क्षेत्र के कवाल गांव में शाहनवाज नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। छह आरोपियों में से पांच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंह अभी भी फरार चल रहा है।

आइएएस अधिकारी की गाड़ी की टक्कर से पत्रकार की मौत

हादसे के 17 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार

तिरुवनंतपुरम, 3 अगस्त (भाषा)।

आइएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को एक पत्रकार की मौत के मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आइएएस पर कथित तौर पर नशे में अपनी गाड़ी से पत्रकार की मोटरसाइकिल में टक्कर मारने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि घटना के करीब 17 घंटे बाद यह गिरफ्तारी हुई है।

अधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत गिरफ्तार किया गया है। 33 वर्षीय अधिकारी को गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वेक्षण निदेशक नियुक्त किया था।

एक जांच अधिकारी ने बताया, 'हमने वेंकटरमन को अस्पताल में गिरफ्तार किया। हमने उन पर आइपीसी की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया है।'

केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा कि उनकी सरकार बशीर की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। एक फेसबुक पोस्ट में विजयन ने यह भी कहा कि वह पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

वेंकटरमन एक डॉक्टर हैं और वह मेडिकल के प्रतिभावान छात्र रहे हैं। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में परास्नातक की डिग्री लेने के बाद वह हाल ही में राज्य लौटे हैं। उन्होंने कथित तौर पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक अखबार के ब्यूरो प्रमुख के. मोहम्मद बशीर (35) की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। उस समय पत्रकार काम से घर लौट रहे थे। बशीर के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, राज्य मंत्री कडक्कमपल्ली सुरेंद्रन, ई चंद्रशेखरन, पी थिलोथमन, विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीतला, भाकपा प्रदेश सचिव कणम राजेंद्रन और अन्य विधायकों समेत विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बशीर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। पत्रकार जगत ने भी विदाई दी।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता सीतू मलिक की हादसे में मौत

केंद्रपाड़ा/भुवनेश्वर, 3 अगस्त (भाषा)।

इस साल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले सीतू मलिक (16) की शुक्रवार शाम ओड़ीशा के केंद्रपाड़ा में सड़क हादसे में मौत हो गई। सीतू ने बहादुरी दिखाते हुए पिछले साल अपने चाचा को मगरमच्छ के जबड़े से बचाया था।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि सीतू मलिक को इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। उसे भारतीय बाल कल्याण परिषद का पुरस्कार मिला था। शुक्रवार शाम राजनगर इलाके में जरीमुला के पास सड़क हादसे में सीतू और उसके चचेरे भाई बापू मलिक की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक पर जा रहे दोनों भाइयों को कुचल दिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे में सीतू और उसके चचेरे भाई की मौत पर शोक जताते हुए परिजनों को दो लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है।

> मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे में सीतू और उसके चचेरे भाई की मौत पर शोक जताते हुए परिजनों को दो लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है।

सीतू ने बहादुरी दिखाते हुए मगरमच्छ से अपने चाचा विनोद मलिक को बचाया था। यह घटना पिछले साल फरवरी में हुई थी। तालाब से बाहर आए एक मगरमच्छ ने सीतू के चाचा को जकड़ लिया था। मगरमच्छ को देख कर सीतू ने लाठी से ताबड़तोड़ उस पर वार किया, इससे घबरा कर मगरमच्छ वापस तालाब में चला गया।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–।।

एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, फोन नं. 28752163, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

शाखा के प्राधिकृत अधिकारी का विवरण पता

नामः श्री एस.के. कोहली | ईमेल : kohli.satish@sbi.co.in | मो. नं.: 8527117373 | शाखा का फोन नं. 011-28753163

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के प्रभारित चल / अचल आस्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति(यों) का कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित सम्पत्ति / यों की ई–नीलामी "जैसा है जहां है आधार और जैसा है जो कुछ भी है" आधार पर की जाएगी।

ई–नीलामी की तिथि व समय दो घंटे (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) 06-09-2019 दोपहर 12.00 बजे से अर्पाह्न 02.00 बजे तक

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाईटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी	धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10%	बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	मैसर्स डीजीएस इलैक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड	₹ 150.15 लाख दिनांक 29.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	भूतल पर दुकान नं. 1–2, एसआरडी कृष्णा टॉवर, चिमनीभाई धर्मशाला / डीएवी कॉलेज रोड, प्लॉट नं. 3ए / 157 पर, ब्लॉक–ए, एन आई टी, फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल (22.30 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्रीमती मंजू देवी पत्नी के पी सिंह और के पी सिंह पुत्र श्री हरि सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 23.46 लाख	₹ 2.35 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री मनोज कुमार सिंह मो. 9816636723
			भूतल पर दुकान नं 17, एसआरडी कृष्णा टॉवर, चिमनीभाई धर्मशाला / डीएवी कॉलेज रोड, प्लॉट नं. 3ए / 157 पर, ब्लॉक–ए, एन एच–3, एन आई टी, फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल (37.16 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्रीमती मंजू देवी पत्नी के पी सिंह और के पी सिंह पुत्र श्री हरि सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 22.10 लाख	₹ 2.21 लाख	₹ 0.10 लाख	
2	मैसर्स डीजीएस इलैक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड	₹ 150.15 लाख दिनांक 29.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	बेसमेंट पर दुकान नं. 10(बी), एसआरडी कृष्णा टॉवर, चिमनीभाई धर्मशाला / डीएवी कॉलेज रोड, प्लॉट नं 3ए / 157 पर ब्लॉक–ए, एन एच–3, एन आई टी, फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल 29.72 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती मंजू देवी पत्नी के पी सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 16.86 लाख	₹ 1.69 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री मनोज कुमार सिंह मो. 9816636723
3	मैसर्स श्री गिरिराज ट्रेडिंग कम्पनी गारंटरः श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री विश्वनाथ	₹ 31,88,146.24 दिनांक 06.11.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी मकान सह दुकान नं. 125, वार्ड नं. 9, जुलाना मण्डी, जीन्द हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 120.402 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री विश्वनाथ के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 21.93 लाख	₹ 2.20 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री राजीव लाहोटी मो. 8826798206
4	श्री सुखविन्दर सिंह	₹ 30,52,091.00 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	सम्पत्ति क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी., 39 / 3सी–34, उमेश विहार, टीपी नगर, मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुखविन्दर सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 28.80 लाख	₹ 2.89 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
5	मैसर्स अमित हैट्रोकैम लैब्स इंडिया लिमिटेड	₹ 390.75 lacs दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	ए2 / 10, औद्योगिक क्षेत्र, संडीला, जिला हरदोई यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 8098.32 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स हैट्रोकैम लैब्स इंडिया लि. के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 98.16 लाख	₹ 9.82 लाख	₹ 1.00 लाख	श्री एम के सिंह मो. 9816636723
6	मैसर्स अमित हैट्रोकैम लैब्स इंडिया लिमिटेड	₹ 390.75 लाख दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	जी–1, औद्योगिक क्षेत्र, संडीला, जिला हरदोई यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 1540 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स हैट्रोकैम लैब्स इंडिया लि. के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 19.11 लाख	₹ 1.92 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एम के सिंह मो. 9816636723
7	मैसर्स अभिषेक इंटरप्राईजेज़ गारंटरः 1. मैसर्स विजय कॉटन मिल्स, उचाना 2. श्री तरसेम कुमार पुत्र श्री देश राज	₹ 241.30 लाख दिनांक 29.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	सम्पत्ति का वह समस्त भाग अंश जोकि फैक्ट्री भूमि एवं भवन जिसका क्षेत्रफल 8 कनाल (4046.82 वर्ग मी.), रेलवे रोड, ऊँचाना, जीन्द (हरियाणा) में स्थित, यह सम्पत्ति श्री तरसेम कुमार पुत्र श्री देश राज के नाम पर है (खुला प्लॉट) (यह संपत्ति क्र.सं. 8 की संपत्ति के साथ संयुक्त रूप से बेची जाएगी। दोनों संपत्तियों के लिए केवल संयुक्त बोली स्वीकार की जाएगी)	₹ 91.42 लाख	₹ 9.15 लाख	₹ 1.00 लाख	श्री एस के श्रीवास्तव मो. 8283955009
8	मैसर्स अभिषेक इंटरप्राईजेज़ गारंटरः 1. मैसर्स विजय कॉटन मिल्स, उचाना 2. श्री तरसेम कुमार पुत्र श्री देश राज	₹ 241.30 लाख दिनांक 29.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	सम्पत्ति का वह समस्त भाग अंश जोकि फैक्ट्री भूमि एवं भवन जिसका क्षेत्रफल 16 कनाल 2 मारला (8146.84 वर्ग मी.), रेलवे रोड, ऊँचाना, जीन्द (हरियाणा) में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स विजय कॉटन मिल्स, उचाना के नाम पर है। (खुला प्लॉट) (यह संपत्ति क्र.सं. 7 की संपत्ति के साथ संयुक्त रूप से बेची जाएगी। दोनों संपत्तियों के लिए केवल संयुक्त बोली स्वीकार की जाएगी)	₹ 175.10 लाख	₹ 17.51 लाख	₹ 1.00 लाख	श्री एस के श्रीवास्तव मो. 8283955009
9	मैसर्स सूर्या प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि.	₹ 9,13,75,808.29 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	प्लॉट नं. 7, ब्लॉक–ई, भारत नगर, भिवानी में स्थित, क्षेत्रफल 183.94 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री विजय कुमार और श्री हेमंत कुमार के नाम पर है (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 53.52 लाख	₹ 5.36 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस के श्रीवास्तव मो. 8283955009
10	श्री योगेश कुमार शर्मा और श्री अवनीश कुमार शर्मा गारंटरः श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री देवराज	₹ 27,14,681/- दिनांक 14.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	प्लॉट नं. 159–ए, फ्लैट नं. 3, प्रथम तल, तुराब नगर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित क्षेत्रफल 70 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विजय कुमार और श्री हेमंत कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 17.29 लाख	₹ 1.73 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री राजीव लाहोटी मो. 8826798206
11	श्री पंकज कुमार गारंटरः श्री मनोज भाटी पुत्र श्री राजबीर सिंह भाटी	₹ 14,16,809.25 दिनांक 24.04.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	प्लॉट नं. 425–डी पर निर्मित तीसरे तल का फ्लैट, छत के अधिकार के, राम नगर, मोहम्मद इस्माईल खान @ तुराब नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 30.75 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दास के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 8.44 लाख	₹ 0.85 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री राजीव लाहोटी मो. 8826798206
12	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. जी–1, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–।, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 41.0805 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 17.50 लाख	₹ 1.75 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
13	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एफ–2, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–।, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 41.0805 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 17.50 लाख	₹ 1.75 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
14	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एफ–3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–।, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 41.0805 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 17.00 लाख	₹ 1.70 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
15	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एस–2, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–।, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 32.51 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 13.20 लाख	₹ 1.32 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
16	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एस–3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–।, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 32.51 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर हैं। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 13.20 लाख	₹ 1.32 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
17	मैसर्स मोहन ट्रेडर्स	₹ 2,12,60,916.79 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	250 वर्ग गज, रिहायशी प्लॉट जोकि प्लॉट नं. 2374–टी–21 के पीछे, खसरा नं. 271 / 284 में से, गांव–थाना मामुरपुर, राज शाही रोड, बवाना रोड, नरेला, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री राम कुमार के नाम पर है। (खुला प्लॉट)	₹ 82.23 लाख	₹ 8.23 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस के श्रीवास्तव मो. 8283955009
18	मैसर्स सी एयर कंडीशनियर्स प्रा. लि.	₹ 4,50,56,867.76 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	लीज होल्ड व्यावसायिक ऑफिस नं. 304, तीसरा तल, बिना छत के अधिकार के म्युनिसीपल नं 5041, खसरा नं. 80 / 31, 6–फैज बाजार, प्रकाश चैम्बर, 06–नेताजी सुभाष मार्ग, वार्ड नं. 9, दरियागंज, दिल्ली–02 में स्थित, क्षेत्रफल 43.47 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री स्वतंत्र कुमार सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 25.46 लाख	₹ 2.55 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस के श्रीवास्तव मो. 8283955009
19	मैसर्स आर एस डी इंडस्ट्रीज़	₹ 8.95 करोड़ दिनांक 12.10.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फैक्ट्री भूमि एवं भवन, खसरा नं. 24 / 2, 025 पल्कशी, गाँव कुदारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन–एमपी, क्षेत्रफल 8.35 एकड़, या 3.384 हैक्ट., यह सम्पत्ति श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र सतपाल गुप्ता के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 96.16 लाख	₹ 9.62 लाख	₹ 1.00 लाख	श्री एस.पी अहूजा मो. 9868215572
20	मैसर्स भगवती सेल्स् कॉरपोरेशन	₹ 31,25,116.00 दिनांक 15.07.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	भूतल पर दुकान न. 1, बिना छत के अधिकार के, जिसका क्षेत्रफल 8.19 वर्ग मी., सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. वार्ड VIII/173 का भाग / गली बंदूक वाली, अजमेरी गेट, दिल्ली–110006 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री राजेश कुमार शर्मा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 19.47 लाख	₹ 1.95 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस.पी अहूजा मो. 9868215572
21	श्रीमती आशा गोयल पत्नी श्री दिनेश जिंदल	₹ 13,21,269.06 दिनांक 15.10.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 175, खसरा नं. 199 में से, पुराना लाल डोरा आबादी, मेन बाजार, गाँव बवाना, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती आशा गोयल के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 22.25 लाख	₹ 2.23 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री राजीव लाहोटी मो. 8826798206
22	मैसर्स लाफी कसल्टेंसी एंड मार्केटिंग सर्विसेज	₹ 47,36,869.49 दिनांक 26.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फ्लैट नं. 45–बी (एमआईजी), प्रथम तल, ब्लॉक–ए, एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट्स, सैक्टर–105, नोएडा में स्थित, क्षेत्रफल 153.59 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री ललित मोहन माथुर (मृतक), सुश्री शशि माथुर के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 67.47 लाख	₹ 6.75 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
23	श्री गजेंद्र डागर और श्रीमती वसुंधरा डागर	₹ 70,96,544.00 दिनांक 15.11.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 1575, सैक्टर 7–ई, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री गजेन्द्र डागर और श्रीमती वसुंदा डागर के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 249.62 लाख	₹ 25.00 लाख	₹ 1.00 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
24	श्री मेनुद्दीन पुत्र श्री बादल खान गारंटरः श्री हरचरण सिंह	₹ 14,16,095.21 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	तृतीय तल पर फ्लैट नं 402, बिना छत के अधिकार, प्लॉट नं 232 / 71 पर निर्मित, खसरा नं. 20एम का भाग, गाँव मेहमासारी बनाम कोट गाँव, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित (क्षेत्रफल 65.03 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्री मेनुद्दीन पुत्र श्री बादल खान के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 12.21 लाख	₹ 1.23 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
25	मैसर्स श्याम मेडिकोस	₹ 69.26 लाख दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	(1) दुकान नं. के–6, ब्लॉक 8, सैक्टर–3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री दुष्यंत सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 29.71 लाख	₹ 2.98 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस.पी अहूजा मो. 9868215572
			(2) दुकान नं. के–4, ब्लॉक 8, सैक्टर–3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री दुष्यंत सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 27.02 लाख	₹ 2.71 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस.पी अहूजा मो. 9868215572
26	श्री अरुण जैन पुत्र श्री किशन लाल जैन	₹ 45,56,510.00 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फ्लैट ई–232, द्वितीय तल, स्वर्णजयंती पुरम, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 160 मी., बिना छत के अधिकार के यह सम्पत्ति श्री अरुण जैन पुत्र श्री किशन जैन के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 40.00 लाख	₹ 4.00 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर श्रीनिवासन मो. 8527666678
27	मैसर्स मोहित स्टील्स	₹ 29,03,313.90 दिनांक 09.04.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	खेवत नं. 397 का हिस्सा, खतौनी नं. 534, खसरा नं. 218/19 (4-13),20/1 (3-1) 21(8-0), 22(7-16) 238/1, (4-16), 2(8-11) वाका हनुमान धानी से मुक्तिधाम, पीपल वाली जोधी के पास, रेलवे क्रॉसिंग तहसील और जिला भिवानी (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल 379.4 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री अशोक कुमार और श्री प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री उमा शंकर के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 13.50 लाख	₹ 1.35 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री राजीव लाहोटी मो. 8826798206
28	श्री सोनू जैन और श्रीमती डिम्पी जैन	₹ 18,58,000/- दिनांक 20.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	द्वितीय तल, प्लॉट नं. 26 के आगे का हिस्सा, शताब्दी पुरम गाजियाबाद, छत के अधिकार के साथ, क्षेत्रफल 78 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री सोनू जैन और श्रीमती डिम्पी जैन के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 12.25 लाख	₹ 1.25 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर श्रीनिवासन मो. 8527666678
29	मैसर्स ब्लू बेल्स	₹ 24.05 Lacs दिनांक 29.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मौजा–परखेदा में प्लॉट, सीरियल नं. 39, पी.एच. नं. 16, प्लॉट नं. 21, कॉम्पटे तहसील और जिला नागपुर, क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट (185.87 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्री बिमल लाहो के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 10.00 लाख	₹ 1.00 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव मो. 8283955009
30	मैसर्स साई बिल्डकॉन गारंटरः श्री परवीन कुमार सरीन	₹ 28.52 लाख दिनांक 29.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	प्लॉट नं. 21 पर अर्धनिर्मित मकान, क्षेत्रफल 429.21 वर्ग मी., खसरा नं. 314, रेवेन्यू गाँव कनौरा परगना दौराला, तहसील सरदाना जिला मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री प्रवीन कुमार शरीन के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 18.32 लाख	₹ 1.84 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव मो. 8283955009
31	श्री विरेन्द्र ठाकुर	₹ 114.89 लाख दिनांक 26.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	सम्पत्ति मकान नं. एल–42, सैक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल प्लॉट एरिया 107.50 वर्ग मी. और कुल कवर्ड क्षेत्रफल 307.50 वर्ग मी. भूतल, प्रथम और द्वितीय तल का, यह सम्पत्ति श्री विरेन्द्र ठाकुर के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 84.80 लाख	₹ 8.48 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
32	मैसर्स एम.एस. इंडस्ट्रीज गारंटरः श्रीमती सुमन देवी	₹ 17.84 लाख दिनांक 26.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	सम्पत्ति एमपीएल नं. 140, रिहायशी प्लॉट नं. 24 का उत्तरी हिस्सा, खसरा नं. 139 / 3, सत विहार, गली नं. 6, गाँव वेतल, शारदापुरी के पास, ककर खेड़ा सैक्टर–4, परगना और तहसील मेरठ में स्थित, क्षेत्रफल 88.25 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती सुमन देवी के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 25.18 लाख	₹ 2.52 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
33	मैसर्स अनाम इलेक्ट्रोनिक्स गारंटरः श्री सबुद्दीन पुत्र स्व. हाजी बशीर अहमद	₹ 16.14 लाख दिनांक 26.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	साम्यिक बंधक मकान नं. 274, मोहल्ला छसियावाड़ा, सिकंदराबाद, जिला बुलदशहर, क्षेत्रफल 36.05 वर्ग मी., (प्रथम और द्वितीय तल) यह सम्पत्ति सबुद्दीन पुत्र हाजी बशीर अहमद के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 11.27 लाख	₹ 1.13 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345
34	सुश्री शालिनी शर्मा पत्नी श्री हेमंत कुमार सोनी	₹ 15.45 लाख दिनांक 30.06.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. 1बी, प्रथम तल, प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 26, एम आई शताब्दीपुरम, गोविन्दपुरम, डासना, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 69.67 वर्ग मी., बिना छत के अधिकार के, यह सम्पत्ति शालिनी शर्मा पत्नी श्री हेमंत कुमार सोनी के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 14.00 लाख	₹ 1.40 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस.पी अहूजा मो. 9868215572
35	माया देवी शिक्षा समिति	₹ 28.75 लाख दिनांक 28.06.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	साम्यिक बंधक रिहायशी मकान क्षेत्रफल 217.94 वर्ग मी., जोकि मोहल्ला दयानंद नगर, शामली, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति सुश्री वंदना पत्नी श्री अरुण कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 47.63 लाख	₹ 4.77 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस.पी अहूजा मो. 9868215572
36	श्री नरेश पाल	₹ 22,44,854.00 दिनांक 20.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फ्लैट नं. 38ए, भूतल, खसरा नं. 19, गोविन्दपुरम, रैसीडेन्सी, न्यू शताब्दी नगर, गाँव डासना गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 117.05 वर्ग मी. (1260 वर्ग फीट) यह सम्पत्ति श्री नरेश पाल के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 14.50 लाख	₹ 1.45 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री आर श्रीनिवासन मो. 8527666678

भागीदारी हेतु अनुरोध पत्र/केवाईसी/ईएमडी के प्रमाण आदि की प्रस्तुति की तिथि व समय 04.09.2019 को अप. 4.00 बजे तक या उससे पहले
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 02.09.2019 को अर्पा. 04.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया भारतीय स्टेट बैंक के सिक्योर क्रेडिटर्स की वेबसाइट www.sbi.co.in पर दिए गए लिंक को देखें।

सरफैसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 04.08.2019 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–।।, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

नई दिल्ली

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

कष्टदायक संघवाद

मैं ने 28 फरवरी, 1997 को अपने बजट भाषण में 'सहकारी संघीय राजव्यवस्था' वाक्य का प्रयोग किया था। मैं यह दावा तो नहीं करता कि सबसे पहले मैंने ही इस वाक्य का प्रयोग किया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि 'सहकारी संघीय राजव्यवस्था' का प्रयोग बजट भाषणों और अन्य मौकों पर बार-बार किया जाता रहा है।

राज्य संप्रभु हैं

'सहकारी संघवाद' का मतलब क्या होता है? यह वाक्य बताता और पुष्टि करता है कि भारत एक संघीय राज्य है। इसमें एक केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं। हर सरकार के अपने निश्चित विधायी क्षेत्र हैं। केंद्र सरकार (संसद के द्वारा) राज्य सरकारों के तय अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। राज्य सरकार भी (विधानसभा के द्वारा) केंद्र सरकार के लिए तय अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। कुछ ऐसे भी अधिकार क्षेत्र हैं जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। विधायी क्षेत्रों का बंटवारा ही संघवाद की विशेषता है। संवैधानिक योजना का आदर करना ही सहकारी संघवाद है।

फिर भी, भारत के संविधान में अपवादस्वरूप ऐसे विशेष प्रावधान हैं जो संसद को किसी भी मामले पर (धारा 248), यदि जरूरी हो तो राज्य सूची के विषय सहित सीमित अवधि के लिए ऐसे किसी भी विषय पर जो 'राष्ट्रहित के लिहाज से जरूरी या उचित हो' (धारा 249) और आपातकाल लागू कर दिए जाने पर किसी भी विषय पर (धारा 250) कानून बनाने का अधिकार देते हैं।

धारा 258(2) एक महत्त्वपूर्ण धारा है। संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य सरकार या इसके अधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकता है और शुल्क लगा सकता है, लेकिन केंद्र राज्य को पैसा उसी के अनुरूप देगा, जैसा कि तय किया हुआ है। यह प्रावधान राज्यों की संप्रभुता, अधिकारों और शक्तियों की पुष्टि करता है।

जबर्दस्ती विधेयक पास

भाजपा की सरकार एक अलग तरह की सरकार है। यह न तो राज्यों के अधिकारों का सम्मान करती है, न ही संवैधानिक सीमाओं और बारीकियों पर गौर करती है।

भाजपा सरकार ने जिस तरह से राज्यसभा में विधेयक पास कराए हैं उससे उसकी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है। लोकसभा जनता का सदन है, जबकि राज्यसभा राज्यों की परिषद है। राज्यसभा के सदस्यों का पहला कर्तव्य राज्यों के हितों का संरक्षण करना और उन्हें आगे बढ़ाना है। दो अगस्त तक, लोकसभा ने इस सत्र में अट्ठाईस विधेयक पास किए और राज्यसभा ने छब्बीस। और इनमें से एक भी विधेयक पर विपक्षी दलों के साथ सलाह-मशविरा नहीं किया गया। एक विधेयक भी विस्तृत छानबीन के लिए स्थायी समिति या प्रवर समिति को नहीं भेजा गया। किसी भी विधेयक पर राज्य सरकारों से कोई राय-मशविरा नहीं किया गया, उन विषयों पर भी, जो संविधान की समवर्ती सूची (सूची 3) में शामिल हैं और जिनसे राज्यों के अधिकार प्रभावित होते हैं। सरकार ने विपक्ष द्वारा रखे गए संशोधनों में एक को भी नहीं माना।

कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे। जस्टिस पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 110 के दायरे को स्पष्ट किया है और सरकार उस फैसले से बंधी है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, यह सुझाव दे सकती है और लोकसभा को लौटा सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर मंजूरी को रोक नहीं सकते हैं और न ही इसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। इन सीमाओं का फायदा उठाते हुए और धारा 110 का निर्लज्जतापूर्ण उल्लंघन करते हुए सरकार ने कम से कम दस गैर-वित्तीय कानूनों को वित्त (क्रमांक 2) विधेयक के जरिए संशोधित करा लिया और इस तरह सरकार राज्यसभा द्वारा होने वाली छानबीन या पुनर्विचार के राष्ट्रपति के निर्देश को टाल गई।

सूचना का अधिकार कानून 2005 का शुरुआती कानून के रूप में सबने स्वागत किया था। इस कानून की धारा 15 सभी राज्य सरकारों को राज्य सूचना आयोग के गठन के लिए अधिकृत करती है। राज्य सरकार ही राज्य सूचना आयुक्तों का चयन और उनकी नियुक्ति करेगी। शुरुआती कार्यकाल पांच साल का रखा गया था। अब तक वेतन, भत्ते और सेवा से संबंधित अन्य शर्तें तय करने का अधिकार (धारा 16) राज्य सरकार के पास ही था। अब, शुरुआती कार्यकाल, वेतन और सेवा संबंधी शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है! हमने पूछा, क्यों? इसका कोई जवाब नहीं था।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक कुल मिला कर राज्यों को अपमानित करने जैसा है। चिकित्सा शिक्षा को संचालित करने के लिए राज्य सरकार की हर शक्ति छीन ली गई है और हर राज्य को चार साल में सिर्फ दो साल के लिए आयोग में अपना सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है! यह वैसा ही अच्छा है जैसे चिकित्सा शिक्षा के विषय को तीसरी सूची से पहली में कर दिया जाए। फिर भी यह राज्यों के बिना किसी विरोध के राज्यों की परिषद में पारित हो गया!

हर तरह से छल

राज्यसभा में विधेयकों को पास कराने के लिए सरकार वोटों का जुगाड़ कर कैसे लेती है? मुसलिम महिला (विवाह में अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, जिसे तीन तलाक विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, को ही लें। सरकार चौरासी के मुकाबले निन्यानवे वोटों से इसलिए जीत गई, क्योंकि इस विधेयक पर मतदान के वक्त विपक्ष के छियालीस सदस्य गैरहाजिर थे! बसपा का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, सपा के छह सदस्य गैरहाजिर थे, एनसीपी के चार में से दो सदस्य मौजूद नहीं थे, उसी दिन कांग्रेस के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया (और अगले दिन भाजपा में शामिल हो गया) और कांग्रेस के भी चार सदस्य गैरहाजिर रहे। अन्नाद्रमुक, जद (एकी), टीआरएस और पीडीपी जो इस विधेयक के खिलाफ बोलते रहे थे, विधेयक पर मतदान के वक्त गायब हो गए!

कानूनों को पास कराने के लिए भाजपा ने बांटने, फुसलाने, डराने, धमकाने या गुप्त 'सौदेबाजी' करने जैसे हर तरीके का इस्तेमाल किया है, जो राज्यों को नगर निगमों में तब्दील करके रख देंगे और एकत्व के अनर्थकारी विचार में एक और आयाम जुड़ जाएगा- हर चीज के लिए एक सरकार।

इस आदेश के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस विधायक को निष्काशित किया पार्टी से। यह काम अगर पिछले साल ही किया होता, जब उन्नाव की उस बच्ची की शिकायत पर सेंगर को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो लोग मानते कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में नैतिकता की राह पर चलना चाहती है। इतना विलंब हुआ है, सेंगर को बचाने के इतने प्रयास हुए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी की छवि भी खराब हुई है और व्यक्तिगत तौर पर मोदी की भी। क्यों विलंब हुआ, कोई नहीं जानता और वह भी ऐसे कांड में, जहां बच्ची की शिकायत है कि उसका सामूहिक बलात्कार किया है सेंगर और उसके साथियों ने।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के तारे अब इतना नहीं चमक रहे हैं। इमरान खान हाल में गए वॉशिंगटन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार और डोनाल्ड ट्रंप उनके करिश्मे से इतना प्रभावित हुए कि कश्मीर समस्या में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रख दिया यह कहते हुए कि मोदी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी ओसाका में कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने भी कश्मीर के मसले में अमेरिका की मध्यस्थता की बात की थी। बाद में हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की तरफ से ऐसी कोई दरखास्त नहीं की गई है, लेकिन नुकसान हो चुका था। जिस पाकिस्तान के बारे में ट्रंप कभी कहा करते थे कि वह एक झूठा और धोखेबाज देश है, जिसने अमेरिका के अरबों डॉलर लेकर अमेरिका के जवान मारे हैं अफगानिस्तान में, उस पाकिस्तान के लिए फिर से वित्तीय मदद दिलवाने की अब बातें करने लगे हैं।

हम जानते हैं कि ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाना चाहते हैं अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव होने से पहले। लेकिन फिर भी यह कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने यह बाजी मार ली है। भारत को न्योता तक नहीं मिला है निकट भविष्य में अफगानिस्तान में शांति वार्ता में भाग लेने के लिए। इधर अपने कश्मीर में शांति बहाल होने के बदले तनाव बना रहा उन अफवाओं को लेकर कि मोदी इस राज्य की विशेष स्थिति को हटाना चाहते हैं। धारा 370 को हटाने की बातें भारतीय जनता पार्टी दशकों से करती आई है, सो इन अफवाओं की अहमियत है। नतीजा, कश्मीर घाटी फिर से उबाल पर आ रही है। कहां गए मोदी के अच्छे दिन?

भाषा बनाम सियासी मंशा

कौशलेंद्र प्रपन्न

भाषा के चुनाव और सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में राजनीति का हस्तक्षेप प्रकारांतर से भाषायी विमर्श और भाषा के शिक्षण शास्त्र को नजरअंदाज करता है। एक ओर जहां नई शिक्षा नीति का प्रारूप और पूर्व की शिक्षा नीतियां, समितियां मानती और सिफारिश करती हैं कि बच्चों को बहुभाषी परिवेश प्रदान किया जाना चाहिए। स्कूल इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका में माना गया है। स्कूल में जिस भाषा को तवज्जो दी जाती है वही बच्चों के लिए स्वीकार्य मान ली जाती है। अमूमन पाया जाता है कि बच्चों को स्कूली और घर की भाषा के बीच के द्वंद्व में डोलना पड़ता है। हालांकि जहां एक ओर नीतियां मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्र विशेष की भाषा को शिक्षा का माध्यम मानती हैं, वहीं दूसरी ओर इससे भी मुंह नहीं फेर सकते कि सरकारें भाषा के चुनाव में अपने हित और स्वार्थ को तरजीह देती हैं। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली सरकार का फैसला है। दिल्ली में मैथिली भाषा को स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय अकादमिक विमर्श से नहीं निकला है, बल्कि आगामी चुनाव के मद्देनजर एक खास वर्ग, राज्य और भाषाभाषियों का समर्थन और वोट अपनी ओर करने का प्रयास है।

मैथिली और भोजपुरी को राजनीतिक प्रश्रय देना सीधे-सीधे त्रिभाषा सूत्र को हाशिए पर धकेलना भी है। अगर भोजपुरी और मैथिली को स्कूलों में पढ़ाने के प्रति सरकार संजीदा है, तो क्यों नहीं वह गढ़वाली, कोंकणी, अवधी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, मलयाली आदि भाषाओं को भी स्कूलों में पढ़ाने के प्रति सजग है? जबकि बच्चों और अभिभावकों की संख्या पर नजर डालें तो दिल्ली से सटे राज्यों- राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्यों से बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बिहार प्रांत से भी अभिभावक दिल्ली में हैं, पर सिर्फ बिहार की मैथिली को क्यों राज्याश्रय प्रदान किया जाए। भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करने की मंशा भी दिल्ली सरकार प्रकट कर चुकी है।

यह कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित कदम ही माना जाएगा। इसमें अकादमिक, भाषाविदों, शिक्षाशास्त्रियों से राय नहीं ली गई होगी। अगर यह कदम उठाने से पूर्व शैक्षिक मंथन किए गए होते, तो शायद महज मैथिली और भोजपुरी को यह तवज्जो नहीं मिलती, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं को भी चिंतन की परिधि में रखा जाता। त्रिभाषा सूत्र या फिर भाषा पर विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर विचार किया जाता, तो ऐसी गलती नहीं होती।

कोठारी आयोग की सिफारिशें भी इस ओर इशारा करती हैं कि मातृभाषा, क्षेत्र की भाषा और एक भारतीय भाषा का अध्ययन-अध्यापन किया जाए। बच्चों को स्कूली स्तर पर भारतीय भाषाओं से परिचय कराना मुख्य स्थापनाओं में से एक है। जब भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्द्धन की सिफारिश की गई, तो इसमें यह संदेश निहित है कि राज्य की भाषा के साथ ही बच्चे की मातृभाषा और एक भारतीय भाषा का चुनाव बच्चे को प्रदान किया जाए। यहां दिल्ली सरकार को विचार करना होगा कि क्या वह पूर्व और वर्तमान की शिक्षा नीतियों की सिफारिशों और निर्देशों को नजरअंदाज कर एक नई शुरुआत करना चाहती है?

हालांकि गांधीजी ने वर्धा में शिक्षामंत्रियों के सम्मेलन में कहा था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उस वक्त गांधीजी के इस अनुमोदन का समर्थन जाकिर हुसैन ने भी किया था। लेकिन राजनीतिक ताकतें इसे अमल में लाने से रोकने में सफल रहीं। भाषा सीखने-सिखाने को लेकर समय समय पर राजनीति हस्तक्षेपों का एक लंबा इतिहास रहा है। भाषायी संघर्ष और भाषायी द्वंद्व से बच्चों के साथ ही बड़ों को भी जूझना पड़ता है। एक बच्चे की नजर से देखें और सोचें तो पाएंगे कि एक बच्चा, जिसकी घर की भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक फांक है, तो ऐसे में वह किसी भी भाषा के साथ न्याय नहीं कर पाता।

एक ओर भाषायी भूगोल में विस्तार हो रहा है, वहीं बच्चा ऐसी भाषा का चुनाव करना चाहता है, जिस भाषा का बाजार हो और बाजार में रोजगार हो। ऐसे में क्या सरकार मैथिली भाषा में तमाम विषयों के पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक का निर्माण समय पर पूरी कर पाएगी। ऐसे सवालों, बल्कि चुनौतियों का पूर्वानुमान लगा कर हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या हमारे पास मैथिली भाषा के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो सीखने-सिखाने में दक्ष हैं। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

अगर भाषायी सर्वेक्षण को आधार बनाया जाता तो यह कदम वैध माना जाता, पर इस मसले पर सिर्फ हड़बड़ी दिखाई देती है। हालांकि हम अब भी पुराने भाषायी सर्वे से ही काम चला रहे हैं। वह सर्वेक्षण देश की विभिन्न भाषाओं पर आधारित है। अकेले दिल्ली की बात करें, तो हमारे पास प्रमाणिक आंकड़े शायद नहीं हैं, जिसके आधार पर कह सकें कि दिल्ली के स्कूलों में इतने प्रतिशत बच्चे फलां भाषा बोलते और पढ़ते-समझते हैं। अगर हमारे पास प्रमाणित और वैज्ञानिक भाषायी सर्वे के आधार ही नहीं हैं, तो फिर एक विशेष भाषा को कैसे स्कूली पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाने की घोषणा कर सकते हैं। क्या शिक्षा विभाग इस नई पहल के लिए तैयार है? क्या उसकी तैयारी है कि वह मैथिली भाषा में शिक्षक, किताबें, पाठ्यक्रम आदि बच्चों को मुहैया करा पाएगी।

मुद्दा

> एकबारगी लगता है कि यह सिर्फ अनुमान प्रमाण पर आधारित अवधारणा है कि हमें मैथिली भाषा भी स्कूलों में पढ़ानी चाहिए। ऐसे में भारत के अन्य राज्यों से भी सवाल उठ सकते हैं कि क्यों न उनके राज्य की भाषा को भी स्कूलों में शामिल किया जाए?

हमारे पास प्रशिक्षित शिक्षकों की बेहद कमी है। मंथन इस पर भी करना होगा कि क्या हमारे पास मैथिली के शिक्षकों को तैयार करने के लिए सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण क्षमता और दक्षता है, जिन्हें हम मैथिली भाषा के शिक्षक के तौर पर नियुक्त कर सकें? मैथिली, भोजपुरी और अन्य भारतीय भाषाओं को स्कूलों में लागू करने से पूर्व शिक्षक-प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक आदि के निर्माण की प्रक्रिया दुरुस्त करनी होगी, वरना यह भी महज घोषणा से आगे नहीं जा सकेगी।

नई नियुक्तियों में डीएसएसबी पहले ही उच्च न्यायालय से फटकार खा चुकी है कि शिक्षकों की नियुक्तियों में क्यों समिति समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाती है। तो क्या ऐसे में मैथिली शिक्षकों की भर्ती सरकार सुनिश्चित करती है। क्या यह अध्ययन किया गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे हैं, जिनकी मातृभाषा मैथिली है? कितनों बच्चों की ओर से यह मांग आई कि उन्हें मैथिली भाषा पढ़ाई जानी चाहिए? अगर आंकड़े हैं तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना और सामने रखने चाहिए कि इतने प्रतिशत बच्चे मैथिली भाषी हैं और उनकी मांग है कि उन्हें मैथिली भाषा पढ़ाई जाए। एकबारगी लगता है कि यह सिर्फ अनुमान प्रमाण पर आधारित अवधारणा है कि हमें मैथिली भाषा भी स्कूलों में पढ़ानी चाहिए। ऐसे में भारत के अन्य राज्यों से भी सवाल उठ सकते हैं कि क्यों न उनके राज्य की भाषा को भी स्कूलों में शामिल किया जाए? अगर सिर्फ एक खास प्रांत के खास लोगों को लुभाने के लिए सरकार ने यह घोषणा की है, तो इस पर भाषायी और अकादमिक हस्तक्षेप स्वाभाविक हैं।

धनवानों को धौंस

कल तक लगता था कि नरेंद्र मोदी पर हमारे तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं की इतनी मेहर है कि उनके अच्छे दिन हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन जबसे मोदी, देवताओं की मेहर और मतदाताओं के विश्वास से, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं कुछ बदल-सा गया है। अच्छे दिन मोदी के लिए अब इतने अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले दो महीनों में आर्थिक और राजनीतिक तौर पर जितनी गलतियां उनकी सरकार कर सकती थी, कर चुकी है। दोष प्रधानमंत्री का है या उनके साथियों का, कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि गलती पर गलती होती गई है।

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

> माना कि धनवान भारतीयों का फर्ज होना चाहिए समाज के लिए कुछ करना, लेकिन जबर्दस्ती क्यों? डराने-धमकाने के बदले प्रधानमंत्री अगर इनसे मिलने की तकलीफ करते तो शायद पाते कि उनकी नई जलशक्ति योजना में ये लोग दिल से मदद करने को तैयार हैं।

मेरी नजर में गलतियों की शृंखला शुरू हुई तब जब मोदी के दूसरे दौर के पहले बजट ने साबित कर दिया कि न आर्थिक दिशा में कोई परिवर्तन आने वाला है और न ही प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में। कभी बातें किया करते थे मोदी संपन्नता लाने की, लेकिन अब ज्यादातर बातें करते हैं गरीबों की, गरीबी हटाने की, बिलकुल उसी तरह जैसे इंदिरा गांधी किया करती थीं, जब देश में समाजवादी दौर उरूज पर था।

समाजवादी सोच खुशहाली ला नहीं सकती है, क्योंकि धन पैदा करनेवालों को इस सोच में अपराधी माना जाता है। हमारी सभ्यता में समाजवादी सोच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्राचीन काल से हमने समृद्धि को पूजा है, दरिद्रता को नहीं। हमारे सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहार दिवाली में पूजा होती है लक्ष्मीजी की। शायद ही कोई दूसरी सभ्यता है जहां धन की देवी होती हो, लेकिन दशकों की समाजवादी मानसिकता ने हमारे राजनेताओं को इतना गुमराह कर दिया है कि मोदी भी गलत आर्थिक दिशा में चलने लग गए हैं। लगता है कि समाजवादी बन गए हैं।

सो, बजट में कर बढ़ाए गए देश के सबसे अमीर लोगों के इतना ज्यादा कि संदेश गया उनको कि बच कर रहना पड़ेगा। निवेश करना हो अगर इस देश में, तो फूंक फूंक के करना। बजट को हजम कर ही रहे थे वे लोग, जिन्होंने इस देश में धन पैदा करने में अपना पूरा जीवन खपाया है, कि वित्त मंत्रालय ने एक थप्पड़ और मारा। एलान किया कि सीएसआर (समाज के प्रति जिम्मेदारी) का उल्लंघन जो करेंगे उनको पच्चीस लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है और जेल भी। सीएसआर को अनिवार्य करना पहले ही गलत था। ऐसा सोनिया गांधी ने किया अपने गरीबपरस्त एनजीओ दोस्तों की सलाह लेकर। माना कि धनवान भारतीयों का फर्ज होना चाहिए समाज के लिए कुछ करना, लेकिन जबर्दस्ती क्यों? डराने-धमकाने के बदले प्रधानमंत्री अगर इनसे मिलने की तकलीफ करते तो शायद पाते कि उनकी नई जलशक्ति योजना में ये लोग दिल से मदद करने को तैयार हैं। लेकिन वित्तमंत्री की नई धमकी के बाद उद्योग जगत में, जो पहले से मायूसी छाई हुई थी, गहरा गई है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर घने बादल छाए हुए हैं।

रही बात राजनीति की, तो पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी फटकार लगाई कुलदीप सिंह सेंगर पर मेहरबान होने को लेकर, जो शायद ही इस न्यायालय ने पहले कभी लगाई होगी। प्रधान न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि उन्नाव में पीड़िता के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार कल तक पच्चीस लाख रुपए मुआवजा देने का काम करे। आदेश यह भी दिया है कि जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं सेंगर के खिलाफ उन सबकी सुनवाई आईंदा दिल्ली की किसी अदालत में हो।

सावन का महीना धरम करे सोर

अहा हा देखो देखो! अपने नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। भक्त जन उमड़े पड़ रहे हैं और नंदी महाराज को भक्तिनें चम्मच से दूध पिला रही हैं।

एक हिंदी रिपोर्टर बड़े ही आरत भाव से एक पुजारी जी से पूछता है : ये कैसी लीला है प्रभो! पुजारी पुलकित होकर जवाब देता है : सावन के महीने में नंदी महाराज दूध पीते हैं।

खबर पर खबर टूट रही है : ये देखिए, पटना में नंदी महाराज चम्मच से दुद्धू पी रहे हैं। एक रिपोर्टर एक माता से प्रश्न करता है कि क्या नंदी महाराज सचमुच दूध पी रहे हैं? वह खुश होकर कहती है : हां पी रहे हैं। अच्छा लग रहा है। दूसरी औरत कहती है : ये हकीकत है। अरे बढ़िया से दूध पी रहे हैं। नंदी महाराज।

एक चैनल कुछ रेडिकल बन कर चीखता है : ये है अंधविश्वास में डूबी आस्था! लेकिन इससे क्या? भक्त दूध पिलाए जा रहे हैं, नंदी महाराज पिए जा रहे हैं, आप एतराज करने वाले कौन? एक चैनल दिखाने लगता है- दूध पीते कन्हैया का सच कि लीजिए, इधर कन्हैया जी भी दूध पीने लगे।

एक एंकर चीखती है : भारत को 'लॉजिक' नहीं, 'मैजिक' चाहिए। उधर चंद्रयान छोड़ा जा रहा है। इधर नंदी की मूर्ति को दूध पिलाया जा रहा है!

एक हिंदी चैनल अखिल भारतीय नंदी लीला दिखाए जा रहा है। ये देखिए अलीगढ़ में भी नंदी जी को चम्मचों से दूध पिलाया जा रहा है।

एक औरत बताती है कि मेरी बेटी ने दूध पिलाया। रिपोर्टर पूछता है कि आपको कैसे मालूम हुआ कि नंदी जी दूध पी रहे हैं? तो जवाब मिला कि फोन आया था कि नंदी बाबा दूध पी गए। ये चमत्कार है। सावन का महीना है।

एक एंकर बता रहा है कि सोमवार को यह चमत्कार 'आल इंडिया' तक हुआ है। ये देखिए, एमपी के लखीमपुर में नंदी महाराज चम्मच से दूध पी रहे हैं। बिहार और झारखंड से लेकर बंगाल के आसनसोल तक में नंदी महाराज ने दूध पिया है। लोग मानते हैं कि ये चमत्कार है शिव जी का!

एक युवा कहता है कि हमने चम्मच से दूध पिलाया है। नंदी बाबा जल भी पी रहे हैं!बाबा दर्शन देने आए थे धरती पर!

एक चैनल नंदी और शिवजी के संबंध की कहानी कहे जा रहा है कि कैसे नंदी और शिव जी एक ही हैं।

एक चैनल पर एक डॉक्टर आकर बताता है कि संगमरमर की मूर्ति दूध पी ही नहीं सकती। यह 'अंधविश्वास' है। एक बार गणेश की मूर्ति के दूध पीने का भी ऐसा ही हल्ला हुआ था।

इस बीच 'कॉफी कैफे डे' के मालिक सिद्धार्थ की आत्महत्या पर ही राजनीतिक कुश्ती शुरू होती दिखती है। यह एक विचित्र अनुभव है : इधर एक उद्यमी मरता है उधर एक आंसू भी नहीं गिरता है। इधर एक अंग्रेजी चैनल सिद्धार्थ को कांग्रेस का टट्टू और टैक्स चोर सिद्ध किए जा रहा है, उधर कांग्रेस का एक नेता उसे सत्ता के दमन का शिकार सिद्ध किए जा रहा है। 'चोर' के मरने पर कैसा शोक?

आह! उन्नाव का बलात्कार केस एक ट्रक द्वारा 'बलात्कार जीविता' (रेप सर्वाइवर) की कार को 'सुयोजित तरीके से एक्सीडेंट' मारने के साथ लौटा, जिसमें दो लोग मारे गए और 'बलात्कार-जीविता' वेंटीलेटर पर नाजुक स्थिति में अचेत है। चैनल दिखाते-बताते रहे कि एक से एक बड़े भाजपा नेता बलात्कार के 'आरोपित' कुलदीप सेंगर के साथ फोटो खिंचवा चुके हैं, कि उसके पीछे कौन खड़ा है, कि अंततः 'डैमेज मैनेज' करने के लिए भाजपा को उसे पार्टी से निकालना पड़ा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि संबद्ध सभी मामलों को यूपी से बाहर ले जाया जाय! कहने की जरूरत नहीं कि एक बार फिर मीडिया ने एक छोटा-सा 'निर्भया क्षण' बनाया।

यों यूपी में न्याय भी मिलता है, लेकिन केस केस पर निर्भर करता है जैसे कि आजम खान के विश्वविद्यालय में चोरी की दो सौ किताबें क्षण भर में बरामद कर ली गईं, लेकिन 'बलात्कार जीविता' (रेप सर्वाइवर) को सुप्रीम कोट में गुहार लगानी पड़ी!

इसी बीच मुसलिम समाज में प्रचलित 'तीन तलाक' की कुप्रथा को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को राज्यसभा में पास करा के भाजपा ने सचमुच इतिहास रच दिया। भाजपा का 'फ्लोर मैनेजमेंट' गजब का रहा। 'विपक्षी' सांसदों की 'अनुपस्थिति' का पूर्वानुमान करना और इस तरह अपने अल्पमत को बहुमत में बदलना कोई मामूली काम न था।

एक बार सावन का महीना फिर लौटा। किन्हीं अमित शुक्ला ने 'जोमेटो' के एक 'मुसमलान डिलीवरी बॉय' के हाथों से खाने का डिब्बा लेने से इनकार कर दिया। उधर 'जोमेटो' ने 'डिलीवरी बॉय' बदलने से इनकार कर दिया। शुक्ला की इस हरकत पर चैनलों में धार्मिक-घृणा के घटिया कृत्य पर हंगामा खड़ा हो गया। एंकर कहने लगे कि 'डिलीवरी बॉय' का भी क्या कोई धर्म देखता है? फिर किस-किस का धर्म पूछोगे? क्या हवा का धर्म भी पूछोगे? शुक्ला बोले कि हमारा सावन का महीना चल रहा है, ऐसा व्यक्ति भेजते जो हमारी आस्थाओं को समझने वाला तो हो।... कोई आश्चर्य नहीं कि इस खुली धार्मिक-घृणा के पक्ष में भी चैनलों पर कई धर्मगुरु आकर जिरह करने लगे कि ये खाने वाला तय करेगा कि वह क्या चाहता है?

सावन के इस महीने में एक डीएम कांवडियों पर पुष्प वर्षा करके और एक एसपी कांवड़ियों की मालिश करके पुण्य कमाते हों और दूसरी ओर नंदी दूध पीते हों, वहां कुछ भी संभव है।

इन दिनों 'सावन का महीना धरम करे सोर' चलता है, 'सावन का महीना पवन करे सोर' नहीं चलता!

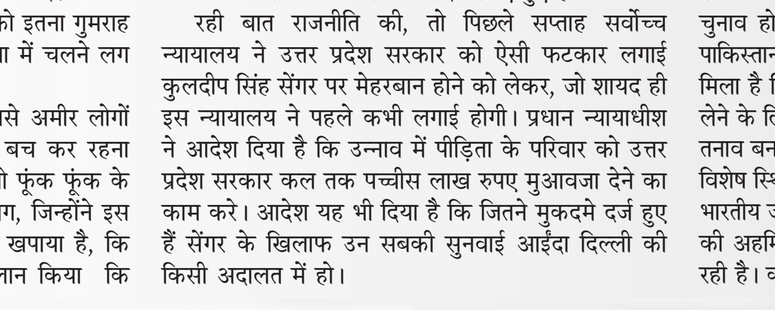

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

> सावन के महीने में एक डीएम कांवडियों पर पुष्प वर्षा करके और एक एसपी कांवड़ियों की मालिश करके पुण्य कमाते हों और दूसरी ओर नंदी दूध पीते हों, वहां कुछ भी संभव है।

नई दिल्ली

समान नागरिक संहिता पर सार्थक बहस की जरूरत

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि तीन तलाक शुद्ध रूप से जघन्य अपराध है। एक देश एक कानून पर सार्थक बहस की जरूरत है, इस पर राष्ट्रीय जनमत बनाना चाहिए। भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा पर उन्होंने कहा कि न तो किसी अपराध को जायज ठहराना चाहिए और न उसे सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना चाहिए। बातचीत कार्यक्रम का संचालन किया कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने।

बारादरी की बैठक में मुख्तार अब्बास नकवी

सभी फोटो : आरुष चोपड़ा

मनोज मिश्र : तीन तलाक विधेयक को लेकर विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि जब शौहर जेल में होगा, तो बीवी के भरण-पोषण का खर्च कैसे उठाएगा। दूसरा कि इस्लाम में जब विवाह एक तरह का अनुबंध है, तो तलाक को आपराधिक मामला क्यों बनाया गया?

मुख्तार अब्बास नकवी : तीन तलाक शुद्ध रूप से एक जघन्य अपराध है। इसको हम इस्लाम के साथ जोड़ कर नहीं देखते। किसी धर्म, मजहब से जोड़ कर नहीं देखते। बहुत सालों से इसे लेकर देश भर में आवाजें उठती रही हैं। आंदोलन भी हुए। तमाम इस्लामिक देशों ने, सबसे पहले 1936-37 में मिस्र ने, अपने यहां प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने प्रतिबंध के साथ-साथ यह घोषित भी किया कि यह गैर-इस्लामी भी है और आपराधिक भी है। उसके बाद सीरिया से लेकर तुर्की, यहां तक कि पाकिस्तान आदि तमाम देशों ने अपने यहां उस पर रोक लगा दी। हमारे यहां अंग्रेजों ने मुसलिम पर्सनल लॉ का गठन करवा दिया था। उसके पीछे की मानसिकता किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद से यह हुआ कि मुसलिम पर्सनल लॉ को किस नागरिक कानून के तहत मानेंगे, क्योंकि आपराधिक दंड संहिता तो सबके लिए समान है। और, मजेदार बात यह है कि जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, वे एक समान आचार संहिता की दिशा में आगे बढ़े हैं और ज्यादातर देश उस पर अमल कर रहे हैं। मगर कुछ लोगों का एतराज रहता था कि यह इस्लाम में दखल है। जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो उसने कहा कि यह गैरकानूनी और असंवैधानिक है। अमानवीय भी है। उसके बाद यह चर्चा हुई कि उसके लिए कोई न कोई तो कानून होना चाहिए। फिर तर्क दिया जाने लगा कि जब गैरकानूनी हो गया तो कानून की क्या जरूरत है? सवाल यह है कि गैरकानूनी तो कत्ल भी है, आतंकवाद भी है। चोरी, डाका सब गैरकानूनी है। उनके लिए भी तो कानून हैं। तो तर्क दिया गया कि शौहर जेल चला जाएगा, तो कैसे भरण-पोषण देगा, वगैरह। तो, यह तर्क तो सभी लोग देंगे कि साहब, हम कत्ल करेंगे, जेल चले जाएंगे, तो हमारे परिवार का भरण-पोषण कौन करेगा? तो, मुझे लगता है कि यह तर्क नहीं, कुतर्क है। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि उसके पास न तो कोई नेतृत्व है और न नीतियां हैं, इसलिए उसके पास कोई तर्क भी नहीं है। शाहबानो मामले में जब फैसला आया था, तब कांग्रेस के पास एक मौका था, पर उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया।

अजय पांडेय : कहा जा रहा है कि तीन तलाक कानून के बाद देश समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है?

● संविधान में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि हमें समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और सरकारों का यह दायित्व है कि समान नागरिक संहिता के लिए बहस करे, समाज को तैयार करे, समाज में एकमत बनाए। यह संविधान में दिशा निर्देश है। मगर उसमें होता क्या है कि जैसे तीन तलाक पर हंगामा हुआ, वैसे ही समान नागरिक संहिता की बात उठती है, तो हंगामा शुरू हो जाता है। अब जिन देशों में समान नागरिक संहिता है, वहां पर लोग चर्च में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरद्वारे में भी जाते हैं। समान नागरिक संहिता का यह अर्थ कतई नहीं है कि धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। या ऐसा भी नहीं है कि सबको एक समान धर्म अपनाना पड़ेगा। समान आचार संहिता का अर्थ शुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। सबके लिए अपराध दंड संहिता और सिविल कानून एक होने चाहिए। मुझे लगता है कि इसे बंद नहीं करना चाहिए। इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, राष्ट्रीय जनमत बनाने का प्रयास होना चाहिए।

मुकेश भारद्वाज : भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में जो बड़े मुद्दे थे, उनमें से तीन तलाक का मुद्दा तो निकल गया। अब पार्टी की अगली प्राथमिकता क्या है?

● हमारी प्राथमिकता तो एक सौ तीस करोड़ हिंदुस्तानियों तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। हमारी प्राथमिकता गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को पूरी तरह बाहर निकालना है। अशिक्षा के माहौल में रह रहे लोगों को उसके बाहर निकालना है। सबको रोजगार उपलब्ध कराना है। फिर हमारी प्राथमिकता में, जिसे कहें वैचारिक या सैद्धांतिक मुद्दे हैं, वे हैं। उन मुद्दों पर हम देश की आवश्यकता और स्थिति के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, करेंगे।

मृणाल वल्लरी : अभी भीड़ की हिंसा देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है?

● मैं मानता हूं कि कोई भी अपराध हो, उसे किसी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुईं, वे नहीं होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इन घटनाओं को जो सांप्रदायिकता के रूप में पेश किया जाता है, वह अपने आप में खतरनाक मानसिकता है। जब आप किसी अपराध को सांप्रदायिकता के खाते में डालते हैं, तो उस अपराधी का मनोबल बढ़ता है, उस अपराधी की सोच को ताकत मिलती है। 2014 में क्या हुआ, जब चुनाव के बाद सरकार बनी तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए और असहिष्णुता का माहौल बनाने लगे कि साहब, देश में बहुत असहिष्णुता हो गई। उसके बाद 2019 के चुनाव के बाद एक बार फिर से वही माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि देश में बहुत मॉब लिंचिंग हो रही है। लोग बहुत डरे हुए हैं। दरअसल, लोग नहीं डरे हुए हैं, वे लोग डरे हुए हैं, जो डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि इन तथाकथित बुद्धिजीवियों की वजह से इस समय अगर कोई सबसे अधिक असहिष्णुता का शिकार है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस देश में सबसे अधिक राजनीतिक असहिष्णुता का शिकार नरेंद्र मोदी जी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री तो बन गए, दुबारा कैसे बन गए। तो वे लोग यह माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि विदेशों में गलत संदेश जाता है। जबकि आप देखें तो पिछले पांच सालों में कहीं भी, एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ।

पंकज रोहिला : अभी राम मंदिर सरकार के एजंडे में कितनी अहमियत रखता है?

● राम मंदिर का मुद्दा अभी अदालत में है। राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। वह करोड़ों लोगों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा हुआ है। जो भी अदालत का फैसला होगा, उस पर आगे बढ़ा जाएगा। सबसे आदर्श स्थिति तो यह थी कि जब अदालत ने मध्यस्थों को नियुक्त किया था, तभी बातचीत से, आपसी सहमति से तय हो जाना चाहिए था। अगर आपसी सहमति से नहीं हुआ, तो अदालत का जो निर्णय होगा, उसे सबको मानना होगा।

मृणाल वल्लरी : आप अल्पसंख्यक विकास विभाग के मुखिया हैं। अभी एक ऐसा माहौल है कि इस सरकार के रहते इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। आपको ज्यादातर उन्हीं के साथ काम करना पड़ता है। आप उन्हें कैसे समझा पाते हैं, उनके साथ काम करने का क्या अनुभव है?

● मुझे तो कहीं नहीं दिखता कि अल्पसंख्यक डरा हुआ है। दरअसल, अल्पसंख्यकों को एक बात का यकीन हो गया है कि मोदी जी के राज में बिना भेदभाव के विकास हुआ है और उन तक विकास की रोशनी पहुंची है। जैसे पक्के मकान बने, तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिले। उनमें सबसे अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को फायदा मिला। इसी तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ज्यादातर वे इलाके लाभान्वित हुए जहां सड़कें नहीं थीं, उसमें भी पचास फीसद से अधिक अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। जब हमने सभी जगहों पर बिजली पहुंचाने का निर्णय किया, तो देखा गया कि उनमें ज्यादातर वे इलाके थे, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। पहले जानी-बूझी, सोची-समझी रणनीति के तहत यह प्रयास किया गया कि उन तक विकास की रोशनी न पहुंचे और वे डरे रहें, सहमे रहें। हताश रहें, निराश रहें। इस तरह उनकी गरीबी का राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया गया। पहले वे कहते थे कि नब्बे जिलों में ही अल्पसंख्यक रहते हैं। पर जब यह सरकार आई तो इसने बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए। नब्बे के बजाय एक सौ आठ जिलों में विकास कार्य आबंटित किए गए। हमने तय किया कि पच्चीस फीसद भी अल्पसंख्यक समाज जहां रह रहा है, वहां बिजली, पानी, सड़क देना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, अस्पताल देने चाहिए। और वे सुविधाएं दी गईं। इसलिए लोगों को इस बात का अहसास है कि मोदी जी के शासन में ईमानदारी के साथ विकास हो रहा है, हुआ है।

मनोज मिश्र : अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का डिजिटलीकरण करेंगे। इतने तरह के मुकदमे चल रहे हैं, इन पर। क्या यह संभव है?

● बिल्कुल होगा। अभी क्या है कि वक्फ माफिया और वक्फ बोर्डों पर बड़े पैमाने पर साठ-गांठ होती थी। अभी फौज के बाद वक्फ की संपत्ति सबसे ज्यादा है। छह लाख संपत्तियां तो अभी पंजीकृत हैं। अपंजीकृत तो बहुत होंगी। लेकिन उनके कागज वक्फ बोर्ड से ही गायब हो जाते थे। वक्फ बोर्ड में बैठे लोग ही उसे गायब करते थे। तो, हमने अभियान चलाया कि हम वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति का डिजिटाइजेशन करेंगे। वे कहने लगे कि हमारे पास कर्मचारी नहीं हैं, तो हमने सबको कर्मचारी मुहैया कराए। इसके अलावा हम सारी संपत्ति की जियो मैपिंग कर रहे हैं। इससे संपत्तियों के जो कागज गायब हो जा रहे थे, वे नहीं हो पाएंगे।

सूर्यनाथ सिंह : सूचना का अधिकार कानून में बदलाव को लेकर भी विवाद है। मांग की जा रही है कि उसे कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। क्या सरकार उसे भेजेगी?

● नहीं, क्यों भेजा जाना चाहिए? 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा और राज्यसभा में लगभग पचहत्तर फीसद विधेयक स्टैंडिंग समिति और सेलेक्ट समिति की बिना समीक्षा के पारित हुए हैं। 2014 से लेकर 2019 के बीच में लगभग अस्सी फीसद विधेयक या तो सेलेक्ट समिति के पास भेजे गए या स्टैंडिंग समिति के पास भेजे गए। चाहे वह जीएसटी बिल हो, एनिमी प्रॉपर्टी बिल हो या दूसरा कोई भी बिल, हर किसी को स्टैंडिंग या सेलेक्ट समित या दोनों के पास समीक्षा के लिए भेजा गया। कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण विधेयक नहीं है, जो समीक्षा के बगैर पारित हुआ हो। सूचना का अधिकार कानून में तो बहुत मामूली बदलाव किया गया है। बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं हुआ है। मगर लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसे लेकर शोर मचाना है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि जब सूचना आयोग ने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाना है, तब कांग्रेस पार्टी ने क्यों उसका विरोध किया था? हर कानून में समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव होते हैं।

दीपक रस्तोगी : भीड़ की हिंसा को लेकर जो कानून बनाने की बात उठी थी, वह किस स्थिति में है?

● अच्छा अब यह बताइए कि भीड़ द्वारा हिंसा एक अपराध है, पर अभी जो कानून हैं, वे इस पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं क्या? क्या किसी ने कहा कि भीड़ हिंसा जायज है? दूसरी चीज कि इस तरह के जो अपराध होते हैं, उन पर काबू पाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तीन-चार ऐसी घटनाएं हैं, जिन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है- एक हरियाणा की, एक राजस्थान की, एक उत्तर प्रदेश और एक झारखंड की। इनमें से कोई भी घटना बताइए, जिसमें चौबीस घंटे के भीतर कार्रवाई न हुई हो। तो, राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं।

दीपक रस्तोगी : गृह मंत्रालय ने कहा था कि भीड़ की हिंसा को परिभाषित करते हुए अलग से कोई कानून नहीं है। क्या इसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है?

● इसे रोकने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, पर्याप्त कानून हैं। क्या अभी तक किसी राज्य सरकार ने कहा कि साहब, हमारे पास तो भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं है? जब लाख-लाख लोगों की भीड़ होती है, और उसमें हिंसा हो जाती है, तो उसे भी रोकने के लिए सख्त कानून हैं। अपराध को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखेंगे, तो इस पर काबू नहीं कर पाएंगे।

अजय पांडेय : आपने हज सबसिडी कम करने का फैसला किया। इसके क्या नतीजे निकले हैं?

● हज सबसिडी के छल को हमने ईमानदारी के बल से खत्म किया। सबसिडी एक धोखा थी। लोगों को समझा कर रखा जाता था कि देखो, हम सबसिडी दे रहें, तभी तुम हज कर पा रहे हो। यह तो मोदी सरकार की हिम्मत थी कि उसे खत्म किया। सबसिडी खत्म होने के बाद जो पिछला हज हुआ है, उसमें संख्या बढ़ी। सबसिडी होती थी तब एक लाख पैंतीस हजार लोग जाते थे, सबसिडी हटी तो एक लाख पचहत्तर हजार लोग गए। इस बार दो लाख जा रहे हैं। जितना पैसा लोग सबसिडी के साथ देते थे, अब उससे कम देना पड़ता है। यानी कहीं न कहीं गड़बड़झाला था।

मृणाल वल्लरी : जब उन्नाव या मध्यप्रदेश जैसी घटनाएं होती हैं, तो उसकी निंदा तो होती है, पर पार्टी अपना काम करती नहीं दिखती या फिर बहुत ज्यादा देर कर देती है। ऐसा क्यों?

● पार्टी कोई इंस्पेक्टर नहीं है न! यह तो कानून का पालन कराने वाली संस्थाएं करेंगी। उन्हें करना चाहिए और करते हैं। फिर, क्या किसी व्यक्ति ने आपराधिक काम किया है, तो पार्टी ने उसका बचाव किया है? तो, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वह होती है। वैसे पार्टी ने भी काफी कार्रवाई की है, पर शोर नहीं मचाया।

क्या किसी ने कहा कि भीड़ की हिंसा जायज है? दूसरी चीज, कि इस तरह के जो अपराध होते हैं, उन पर काबू पाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तीन-चार ऐसी घटनाएं हैं, जिन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है- एक हरियाणा की, एक राजस्थान की, एक उत्तर प्रदेश और एक झारखंड की। इनमें से कोई भी घटना बताइए, जिसमें चौबीस घंटे के भीतर कार्रवाई न हुई हो।

प्रस्तुति: सूर्यनाथ सिंह / मृणाल वल्लरी

जनसत्ता बारादरी

मुख्तार अब्बास नकवी

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के गांव भदारी में 15 अक्तूबर, 1957 को जन्म। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण के 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन में सक्रिय होकर सत्रह वर्ष की उम्र में जेल में नजरबंद किए गए। स्नातक और जनसंचार में परास्नातक किया। लेखन, सांस्कृतिक गतिविधियों और दस्तकारों, शिल्पकारों के उत्थान के लिए सक्रिय रहे। 1998 में रामपुर, उत्तर प्रदेश से भाजपा के पहले मुसलिम लोकसभा सदस्य चुने गए। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे। 31 मई, 2019 को पुन: अल्पसंख्यक मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का कामकाज संभाला। कई सुधारपरक बिलों को पास करवाने में विपक्ष के साथ संवाद और समन्वय बनाने में अहम भूमिका रही है।

किताबें मिलीं

तीन दुनियाओं की इक्कीस और कहानियां

युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए मंडियों पर एकाधिकार की इच्छा से या शक्ति प्रदर्शन के लिए हो, मानव जाति के लिए भयानक, विनाशक और हिंसक होता है। पहला विश्वयुद्ध 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ। इस भीषण युद्ध ने डेढ़ करोड़ लोगों की जान ली। दूसरा विश्वयुद्ध पहले विश्वयुद्ध से भयानक था। छह करोड़ लोग मारे गए। एक अनुमान के अनुसार 1940 की विश्व जनसंख्या का लगभग तीन प्रतिशत हिस्सा काल का ग्रास बना।

सत्तर साल पहले परमाणु आक्रमण में हिरोशिमा तबाह कर दिया गया। इस पाशविक हमले ने दुनिया के सामने बहुत से हिला देने वाले सवाल रख दिए। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के मंजर ने लेखकों, पत्रकारों, दार्शनिकों के सामने जीवन-मृत्यु का प्रश्न बहुत तीखे ढंग से उपस्थित हुआ।

युद्ध, फासीवाद, तबाही, प्रेम, स्त्री उपेक्षा, प्रेम का दुख जैसे अनेक मानवीय अनुभवों पर अनेक सुंदर कहानियां विश्व-भर में रची गई। 'हरि अनंत हरि कथा अनंता' की तरह विश्व कथा विस्तृत और बहुरंगी है। उसमें से कुछ हीरे-मोती इस किताब के लिए चुने गए हैं।

तीन दुनियाओं की इक्कीस और कहानियां : तरसेम गुजराल; अमन प्रकाशन, 104 ए/ 80 सी, रगबाग, कानपुर; 250 रुपए।

श्रीमद्भगवद् गीता

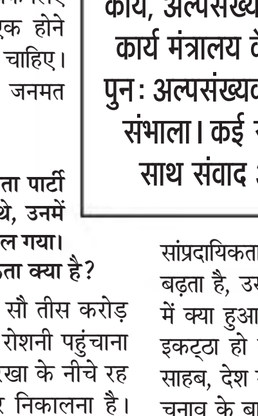

श्रीमद्भगवद् गीता महाभारत का अंश है। लेकिन यह स्वयं में एक पूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ है। कई विद्वानों ने इसे ज्ञान योग का, कई ने भक्ति योग का, तो कई ने इसे कर्मयोग का ग्रंथ माना है। लेखक की दृष्टि में यह सहज योग का ग्रंथ है। पतंजलि इसे क्रियायोग कहते हैं। संतों की परंपरा इसे संतमत कहती है। गुरुसिक्ख परंपरा इसे गुरमत कहती है।

गौतम बुद्ध की परंपरा में आगे चल कर इसे सहजयान कहा गया। नाथ परंपरा के अग्रणी संत गुरु गोरखनाथ और सिद्धों की परंपरा के अग्रणी संत सरहपा ने इसे सहजयोग कहा। संत मत के संस्थापक कबीर और गुरमत के प्रवर्तक गुरु नानक ने भी गीता के इसी मत का प्रचार-प्रसार किया।

सहज योग के पांच उपदान हैं, जिसे गीता में स्थापित किया गया है- सहज जीवन, ओंकार, ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग। इस प्रकार साधना के लिए आज के मनुष्य के लिए सहज योग को सर्वाधिक संगत ठहराया गया है। यही गीता मत है। यही संतमत है। यही गुरमत है। यही ओशोमत अर्थात ओशोधारा का मार्ग है। भगवद्गीता का यह भावानुवाद उन सभी को समर्पित है, जो कृष्ण को प्रेम करते हैं तथा गीता में प्रतिपादित सहजयोग के मार्ग पर चलना चाहते हैं।

श्रीमद्भगवद् गीता : ओशो सिद्धार्थ औलिया; ओशो नानक ध्यान मंदिर (बुक डिविजन), मुरथल, सोनीपत; 150 रुपए।

हवा जोश में है

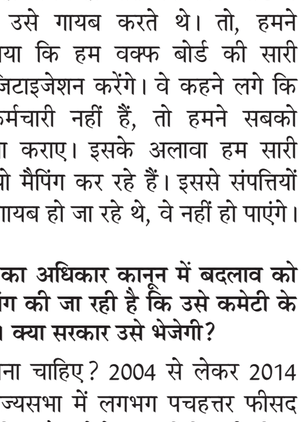

बीते कुछ सालों में हिंदी गजल का काफी तेजी से विस्तार हुआ है। हालांकि अब भी इसके स्वरूप को लेकर बहसें होती रहती हैं। कई लोगों का आरोप है कि हिंदी गजल ने गजल विधा के पैमाने को तोड़ा है, यह वह नहीं है, जो उर्दू गजल है। मगर कई ऐसे लोग भी हैं, जो उर्दू के साथ-साथ हिंदी में भी गजल लिख रहे हैं और खूब लिख रहे हैं। अजीज अंसारी भी उनमें एक हैं। अजीज अंसारी के कई गजल संग्रह उर्दू और देवनागरी दोनों में साया हैं, तो कुछ संग्रह सिर्फ हिंदी गजलों के हैं। उनका यह नया संग्रह भी उनमें एक है।

अजीज अंसारी की गजलों का मिजाज अपने समकालीन गजलकारों से बिल्कुल जुदा है। वे शब्दों से खेलना जानते हैं। विषय को नए अंदाज में पेश करने का प्रयास करते हैं। यों उनकी गजलों में भी अपने समाज, देश के मसले हैं, तो इश्क-ओ-नाज की नाजुकी है। देशभक्ति का जज्बा है, तो जम्हूरियत से जुड़े सवालात हैं, पर वे तल्ख बातों को भी गजल की नाजुकी के साथ पेश करते हैं और बड़े हौले से कई चुभते सवाल छोड़ जाते हैं।

हवा जोश में है : अजीज अंसारी; यश पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1/10753, सुभाष पार्क, नवीन शाहदरा, दिल्ली; 250 रुपए।

नई दिल्ली

पीड़िता को नहीं आया होश, 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में

लखनऊ, 3 अगस्त (भाषा)।

उन्नाव कांड

सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील की हालत शनिवार को सातवें दिन भी गंभीर बनी हुई है। पीड़िता को निमोनिया हो गया है और वह वेंटिलेटर पर है। उसे अभी तक होश नहीं आया है। जबकि वकील को वेंटिलेटर से तो हटा लिया गया है। लेकिन उसकी हालत अब भी गंभीर है ।

किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ संदीप तिवारी ने शनिवार को बताया, 'पीड़िता अब भी वेंटिलेटर पर है। उसे निमोनिया हो गया है। जिससे उसको बुखार आ रहा है। उसे रक्तचाप नियमित करने की दवा भी दी जा रही है। पीड़िता के गले में छोटा सा छेद करके (ट्रैकियोस्टोमी) ट्यूब के जरिए आक्सीजन दी जा रही है, उसे अभी तक होश नहीं आया है और डाक्टरों की टीम 24 घंटे उसकी निगरानी कर रही है।' उन्होंने बताया कि घायल वकील महेंद्र सिह को वेंटिलेटर से तो हटा दिया गया है लेकिन उसकी हालत गंभीर है। उसके सिर में चोट लगी है और उसे भी गले में छोटा सा छेद कर ट्यूब से आक्सीजन दी जा रही है ।

जीवन के लिए संघर्ष

पीड़िता के गले में छोटा सा छेद करके (ट्रैकियोस्टोमी) ट्यूब के जरिए आक्सीजन दी जा रही है, उसे अभी तक होश नहीं आया है और डाक्टरों की टीम 24 घंटे उसकी निगरानी कर रही है।'' उन्होंने बताया कि घायल वकील महेंद्र सिह को वेंटिलेटर से तो हटा दिया गया है लेकिन उसकी हालत गंभीर है। उसके सिर में चोट लगी है और उसे भी गले में छोटा सा छेद कर ट्यूब से आक्सीजन दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि जब कोई भी मरीज चार दिन से ज्यादा वेंटिलेटर पर रहता है तो उसे आक्सीजन देने के लिए ट्रैकियोस्टोमी विधि का इस्तेमाल किया जाता है इससे पर्याप्त आक्सीजन भी मरीज को मिलती रहती है और फेफड़े आदि की सफाई करने में भी आसानी होती है।

डॉ तिवारी ने कहा, 'कॉलेज के चिकित्सकों का दल पीड़िता और उसके वकील का इलाज करने में पूरी तरह से समर्थ है और केजीएमयू के सबसे अच्छे डाक्टरों की टीम दोनों का इलाज कर रही है।' उन्होंने कहा कि रोगियों के परिजन की भी यही इच्छा है कि इन दोनों का इलाज लखनऊ में ही कराया जाए।

भारत-अमेरिका में रक्षा सहयोग पर बनी सहमति

पेज 1 का बाकी

सभी पहलुओं पर बातचीत की। भारत की ओर से नेतृत्व रक्षा सचिव संजय मित्रा ने की, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व रक्षा नीति उप सचिव जॉन रूड ने किया।

इस बैठक के दौरान अमेरिका के एक प्रमुख रक्षा सहयोगी के रूप में भारत की सराहना हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों में रक्षा उद्योग और स्टार्ट-अप के बीच सहयोग के महत्त्व को रेखांकित किया गया और इसे आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके अलावा अनुकूल और नीतिगत माहौल बनाने पर भी सहमति बनी।

इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच शुक्रवार को रक्षा उद्योग और स्टार्ट-अप के बीच सहयोग के लिए अनुकूल और एक नीतिगत माहौल बनाने के लिए सहमति व्यक्त हुई। डीपीजी भारत और अमेरिका के बीच रक्षा मुद्दों पर शीर्ष आधिकारिक स्तर की बैठक प्रक्रिया है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा और मार्गदर्शन करता है।

'कांग्रेस में विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता नहीं बची'

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का मानना है कि संसद में तीन तलाक संबंधी विधेयक पारित होने से यह साफ हो गया है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अब विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता नहीं बची है।

संसद में विधेयक के पारित होने को कई मायनों में महत्त्वपूर्ण बताते हुए शाह ने कहा कि शाहबानो प्रकरण के समय तीस साल पहले कांग्रेस का जो रुख था, वही रुख इस बार भी संसद में देखने को मिला है। उन्होंने शनिवार को कुछ अखबारों में प्रकाशित अपने लेख में टिप्पणी की है कि तीन तलाक संबंधी विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री का नाम इतिहास में राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों की श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने अपने लेख में कहा है कि 30 जुलाई भारत के संसदीय इतिहास में अहम पड़ाव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीन तलाक कानून प्रभाव में आ गया है और मुसलिम महिलाओं को इस कुप्रथा के दंश से संरक्षण मिलेगा। इससे महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और गरिमायुक्त जीवन के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दिखी है।

गृह मंत्री ने लेख में दावा किया कि एक तथ्य यह भी उभर कर सामने आया है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की कांग्रेस की क्षमता क्षीण हुई है। तीन तलाक कानून जनसरोकार व सामाजिक सुधार से जुड़ा विषय था, इसलिए कई गैर-राजग दलों ने भी इस विधेयक के पारित होने में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहयोग दिया। उनके अनुसार आज से तीन दशक पूर्व एक बार यह अवसर आया था, जब शाहबानो मामले में 400 से अधिक सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी मुसलिम महिलाओं को इस दंश से मुक्त करा सकती थी। लेकिन मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलवियों और वोटबैंक की राजनीति के दबाव में (तत्कालीन) प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अदालत के आदेश के विपरीत फैसला लिया।

एशिया में मिसाइलें तैनात करना चाहता है अमेरिका

पेज 1 का बाकी

के नए रक्षा मंत्री एस्पर ने हालांकि यह नहीं बताया कि अमेरिका इन हथियारों को कहां तैनात करना चाहता है?

एस्पर ने यह बाद संवाददाताओं से उस विमान में कही जिससे वे सिडनी जा रहे थे। उन्होंने कहा, 'मैं पसंद करूंगा कि महीनों में हो...यद्यपि इन चीजों में आपकी उम्मीद से अधिक समय लगता है।' अमेरिका शुक्रवार को आइएनएफ संधि से हट गया था। अमेरिका ने रूस पर इसका बरसों से उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

इस संधि पर हस्ताक्षर 1987 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव के बीच हुआ था। इसमें वाशिंगटन और मास्को ने पारंपरिक और परमाणु मध्यम दूरी की मिसाइलों (500 से 5000 किलोमीटर) का इस्तेमाल सीमित करने पर सहमत हुए थे।

एस्पर ने कहा कि चीन को अमेरिकी की योजना से हैरानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इससे हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस बारे में कुछ समय से बात कर रहे थे।'

स्वदेश लौटते ही मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति गिरफ्तार

भाषा/जनसत्ता ब्यूरो

माले/नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

भारतीय तटरक्षक ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पर मालदीव के सुरक्षा बलों को सौंपा *एक ब्रिटिश वकील* के जरिए भारत में राजनीतिक शरण लेने की कोशिश में थे

मालवाहक जहाज से तमिलनाडु पहुंचकर भारत में राजनीतिक शरण की मांग करने वाले मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को भारतीय अधिकारियों द्वारा वापस उनके देश भेजे जाने के बाद शनिवार को मालदीव पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गफूर गुरुवार को एक मालवाहक जहाज से तमिलनाडु पहुंचे थे लेकिन उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया था। कई केंद्रीय एजंसियों ने जहाज पर ही उनसे पूछताछ की थी।

मालदीव पुलिस ने शनिवार को कहा, 'हम इस बात की पुष्टि करना चाहेंगे कि एच सामरा के अहमद अदीब अब्दुल गफूर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हमारे संरक्षण में माले लाया जा रहा है।' गफूर का प्रतिनिधित्व कर रही एक कंपनी के ब्रिटिश वकील टोबी कैडमैन ने कहा, 'हमें इस बात की गहरी चिंता है कि उन्हें मालदीव को लौटाया जा सकता है जहां उनकी जान जोखिम में है। उन्होंने शरण के लिए अनुरोध किया है और उसे मान लिया जाना चाहिए।' गफूर की कानूनी टीम के अनुसार गफूर की तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से अनबन हो गई थी और यामीन की हत्या के लिए बम धमाके की साजिश को लेकर उनकी जांच की गई।

भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, भारत में प्रवेश के लिए वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें जहाज से उतरने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि अदीब उसी जहाज से अपने देश लौट गए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर भारतीय तटरक्षक बल ने अदीब को उनके देश के सुरक्षा बलों के हाथों सौंप दिया।

अदीब ने भारत में राजनीतिक शरण मांगी थी। मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति अदीब गुरुवार को एक छोटे जहाज में सवार होकर भारत के तूतीकोरिन तट पहुंचे थे। जहाज के चालक दल के नौ सदस्य भी उनके साथ थे।

सेंगर से हमदर्दी जताने वाला भाजपा विधायक का वीडियो वायरल

लखनऊ, 3 अगस्त (भाषा)।

भाजपा के एक विधायक ने उन्नाव बलात्कार मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के प्रति हमदर्दी व्यक्त करते हुए विवादास्पद बयान दे डाला। भाजपा ने हालांकि, विधायक के बयान से यह कहते हुए किनारा कर लिया है कि यह उनकी निजी राय हो सकती है। हरदोई से भाजपा विधायक आशीष सिंह आशू का एक वीडियो शनिवार को समाचार चैनलों पर वायरल हुआ, जिसमें वह एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि हमारे भाई कुलदीप सिंह सेंगर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं सेंगर के साथ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वह जल्द ही इस मुश्किल समय से पार पा लेंगे। भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हरदोई विधायक ने जो कुछ कहा, वह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। जहां तक भाजपा का सवाल है, पार्टी को जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी थी, वह की जा चुकी है। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

एनआइटी-श्रीनगर अनिश्चितकाल के लिए बंद

पेज 1 का बाकी

कर दिया है। एनआइटी के अलावा श्रीनगर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज समेत अन्य संस्थानों के भी हॉस्टल खाली करा लिए गए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, एनआइटी के छात्रों को वहां से निकालने के लिए विशेष वाहनों का इंतजाम किया गया है। एनआइटी के द्वारा जारी किए गए नोटिस की प्रतियां केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव और अतिरिक्त महानिदेशक को भी भेजी गई हैं।

सीबीआइ ने सीतापुर जेल में की सेंगर से पूछताछ

पेज 1 का बाकी

के थाना प्रभारी नारदमुनि ने बताया कि सीबीआइ टीम गांव में कई घंटे तक रही हालांकि उस समय पीड़िता के परिवार का कोई भी सदस्य गांव में मौजूद नहीं था। शुक्रवार को सीबीआइ ने बलात्कार पीड़िता के चाचा से रायबरेली जेल में पूछताछ की थी। रात में रायबरेली जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चाचा को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया। रायबरेली में सीबीआइ टीम गुरबख्शगंज इलाके में दुर्घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने मौका-ए-वारदात और मारुति स्विफ्ट कार को टक्कर मारने वाले ट्रक का निरीक्षण किया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे पुलिस अधिकारियों से भी सीबीआइ की टीम ने बातचीत की। अदालत के निर्देश के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने पीड़िता और उसके परिवार वालों की सुरक्षा संभाल ली है। सीआरपीएफ जवान केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में तैनात हैं। जवान ट्रामा की तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर तैनात हैं, जहां पीड़िता को वेंटिलेटर पर रखा गया है। यहां हर किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं है।

क्लस्टर बम पर पाक का दावा झूठा

पेज 1 का बाकी

देते हुए भारतीय सेना के अधिकारियों ने शनिवार को कहा, 'हम सिर्फ पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब दे रहे हैं। हम सैन्य ठिकानों और पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। भारत द्वारा क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के आरोप पाकिस्तान के धोखे, छल और झूठ का उदाहरण हैं।' भारतीय सेना ने कहा, 'पाकिस्तानी सेना नियमित तौर पर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करती है और उनकी मदद के लिए भारी गोलीबारी करती है। भारत ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत में कई बार कहा है कि उसके पास जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है।'

पाक ने करतारपुर गलियारे का 90 फीसद काम पूरा किया

पेज 1 का बाकी

पहुंचेगा। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि इन श्रद्धालुओं की संख्या कितनी होगी। खबर में कहा गया है, 'पाकिस्तान की ओर गलियारे का उद्घाटन पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा करेंगे।' दोनों पक्ष संपर्क बनाए रखने और समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। खबर में कहा गया है कि गलियारे के लिए निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी दल फिर बैठक करेगा ताकि तीर्थयात्रा गुरु नानक की 550वीं जयंती पर शुरू हो सके।

करतारपुर साहिब पाकिस्तान-भारत सीमा से चार किलोमीटर दूर नरोवाल में एक छोटा सा नगर है। जहां गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। पाकिस्तान भारतीय सीमा से करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक गलियारे का निर्माण कर रहा है। जबकि गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से सीमा तक दूसरे भाग का निर्माण भारत द्वारा किया जाएगा।

विरासत से नहीं, विचारधारा से मिली सत्ता : मोदी

पेज 1 का बाकी

जीवित रखना चाहिए। उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए।' प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों को संगठन की ताकत के महत्त्व के बारे में बताया और त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव में प्रभावशाली जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों न हो, हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। यह सतत रूप से चलते रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने शनिवार को संक्षिप्त संबोधन दिया। प्रधानमंत्री मोदी बाद में सांसदों के बीच मध्य कतार में बैठे और संबोधन को भी सुना। कार्यशाला को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नडडा ने भी संबोधित किया। अमित शाह ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला में आए सभी सांसद सदस्यों के साथ संवाद किया। भाजपा की सांसद कार्यशाला में सांसदों खास कर नए सांसदों को पार्टी की विचारधारा से लेकर संगठन के गुर सिखाने की परिकल्पना की गई है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी सांसद मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में कुल नौ सत्र होंगे।

अभ्यास वर्ग में बताया जा रहा है कि संसद के भीतर और बाहर सांसदों का आचरण कैसा होना चाहिए । साथ ही जनता से जुड़ने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। सांसदों को यह भी बताया जा रहा है कि जनता के बीच रहकर उनके काम करते हुए पार्टी की विचारधारा को कैसे बढ़ाया जाए। इस पर भी चर्चा होगी कि जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को संसद में कैसे रखना चाहिए। सांसदों के बीच समूह परिचर्चा का सत्र भी रखा गया है।

पर्यटकों को निकालने के लिए वायुसेना के विशेष विमान तैनात

पेज 1 का बाकी

परामर्श के बाद से अमरनाथ यात्रियों, पर्यटकों और कश्मीर में पढ़ रहे बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को रवाना किए जाने का सिलसिला शुरू किया गया है। शनिवार तड़के एनआइटी श्रीनगर से करीब 800 विद्यार्थियों को बस के जरिए श्रीनगर से जम्मू भेजा गया। साथ ही, श्रीनगर में मौजूद अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को भी बसों के जरिए घाटी से जम्मू भेजा गया। पहलगाम बेस कैंप से सभी यात्रियों को वापस भेज दिया गया है। वहीं, सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर से लगातार यात्रियों की घाटी से रवानगी जारी है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप पूरी तरह से खाली करा दिया गया है।

भारत सरकार ने घाटी के मौजूदा हालात के मद्देनजर भारतीय सेना व वायु सेना को बुधवार को ही हाई अलर्ट पर रहने को कहा था। यात्रियों की सुरक्षा में सेना के जवान लगाए गए हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत इस अभियान पर नजर रखने के लिए श्रीनगर में हैं। दूसरी ओर, वायुसेना ने अपना एक सी-17 विमान दिल्ली से श्रीनगर भेज दिया है, जो रात तक वहां पहुंच गया। कश्मीर घाटी में फंसे यात्रियों को वायुसेना श्रीनगर से एअरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पहुंचाएगी। भारतीय वायुसेना का सी-17 ग्लोबमास्टर एक बार में 230 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है।

इस बीच, जम्मू-कश्मीर में मौजूद लोगों के कश्मीर से जल्द से जल्द लौट जाने का परामर्श जारी होने के बाद श्रीनगर से दिल्ली समेत विभिन्न जगहों के हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई है। पांच हजार से आठ हजार रुपए में मिलने वाला श्रीनगर से दिल्ली का हवाई किराया 22 हजार रुपए तक पहुंच गया है। श्रीनगर से जम्मू का विमान का टिकट 10 हजार रुपए से ज्यादा में मिल रहा है। इसके मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एअरलाइनों को अमरनाथ यात्रा परामर्श के मद्देनजर श्रीनगर से टिकटों की कीमतों को नियंत्रण में लाने की सलाह दी है। कश्मीर में फोन और इंटरनेट बंद हैं। प्राइवेट वाहनों के आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई है। होटलों ने बुकिंग बंद कर दी है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार को कश्मीर में 20-22 हजार पर्यटक थे।

कश्मीरी अवाम को जानबूझ कर डरा रहा विपक्ष : भाजपा

पेज 1 का बाकी

स्वयं डरे हुए हैं। भाजपा ने कहा कि सामान्य व्यक्ति को कोई डर नहीं है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रवींद्र रैना ने कहा कि देश का प्रत्येक सामान्य नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में सुरक्षित है। मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं। रैना ने यहां भाजपा की एक कोर समूह की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि घाटी में कुछ नेता आधी रात में राज्यपाल (सत्यपाल मलिक) का दरवाजा खटखटा रहे हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं...राज्यपाल ने भी स्पष्ट किया है कि जो भ्रष्ट हैं वे स्वयं को बचा नहीं सकते। जिनके इरादे बुरे हैं और जो विश्वासघात में लिप्त रहे हैं और जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है और अपनी तिजोरी भरी है, वे काफी चिंतित हैं।

मुठभेड़ में पांच महिला नक्सलियों सहित सात मारे गए

पेज 1 का बाकी

के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाद में जब सुरक्षाबलों ने घटनास्थल की तलाशी ली। मौके पर पांच महिला नक्सलियों सहित सात नक्सलियों के शव, एक एके-47 राइफल, एक थ्री नाट थ्री बंदूक, एक 12 बोर बंदूक, एक कार्बाइन राइफल और भारी मात्रा में अन्य हथियार बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया इस घटना में डीआरजी का एक जवान आसाराम घायल हुआ है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान दर्रेकसा एरिया कमेटी का डिवीजनल कमेटी मेंबर सुखदेव, कमेटी मेंबर प्रमिला, सीमा, मीना, रितेश, विस्तार प्लाटून नंबर एक की सदस्य ललिता और शिल्पा के रूप में हुई है। क्षेत्र में माओवादियों की दर्रेकसा एरिया कमेटी काम करती है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली दौरे पर हैं, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने इस सफल नक्सल विरोधी अभियान के लिए पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई दी है।

शोपियां और बारामूला में जैश के चार आतंकवादी ढेर

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 3 अगस्त।

पाक बैट का हमला नाकाम, सेना ने सात आतंकी मारे

पेज 1 का बाकी

जम्मू-कश्मीर के शोपियां और बारामूला जिलों में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ दो अलग-अलग मुठभेड़ों में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के चार आतंकी मारे गए। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, दो आतंकवादी बारामूला जिले के सोपोर में मारे गए, जबकि बाकी आतंकवादी शोपियां जिले में मारा गया।

प्रवक्ता के मुताबिक, सोपोर के वारपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शनिवार की सुबह घेराबंदी एवं खोज अभियान शुरू किया। सुरक्षा बल के जवान जब अभियान चला रहे थे, इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाईं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकवादी, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे।

इससे पहले, शोपियां के पंडुशन इलाके में शुक्रवार रात को अन्य एक अभियान में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी मंजूर भट को मार गिराया गया था। खुफिया विभाग ने सुरक्षा बलों को जो इनपुट जारी किए हैं, उसके मुताबिक इस वक्त घाटी में करीब 270-275 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से 115 विदेशी आतंकी हैं और करीब 162 स्थानीय हैं। पाकिस्तान की तरफ से करीब 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। आतंकियों के 14 से 16 लॉन्च पैड हैं, जिनसे आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। तीन दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश में गोलाबारी शुरू की गई। आतंकी पहले पीर पंजाल के दक्षिणी हिस्से से घुसपैठ की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार उत्तर की तरफ से यह कोशिश की जा रही है।

तीन देशों ने अपने नागरिकों को कश्मीर जाने से मना किया

पेज 1 का बाकी

दी है कि वे कश्मीर घाटी में अपने प्रवास को तुरंत रोक दें और सुरक्षा खतरों के कारण जल्द से जल्द घर लौटने के लिए आवश्यक उपाय करें। नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन पूरी घटना की निगरानी कर रहा है। यदि आप जम्मू और कश्मीर में हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करना चाहिए।'

ब्रिटेन के अलावा आस्ट्रेलिया और जर्मनी ने अपने परामर्श में कहा, 'जम्मू-कश्मीर में सैन्य ठिकानों और अन्य जगहों पर कई आतंकी हमले हुए हैं। 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने भारतीय सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हुए जम्मू-श्रीनगर के बीच हाईवे पर हमला किया और कई मारे गए।' इन देशों ने सुंजवान में हुए हमले और विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया।

370 और 35ए रद्द नहीं होंगे

पेज 1 का बाकी

पार्टी के कुछ सहयोगी इन मुद्दों को लेकर शनिवार को राज्यपाल से मिले।

राज्यपाल ने नेकां के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि राज्य को संवैधानिक प्रावधानों में किसी भी बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यह आश्वासन दिया कि अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती विशुद्ध रूप से सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम है। राजभवन की ओर से यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सुरक्षा स्थिति इस तरह से पैदा हुई है जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी।

मलिक ने कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों में किसी तरह के बदलाव के बारे में राज्य को कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा सैनिकों की तैनाती के इस सुरक्षा मामलों को अन्य सभी प्रकार के मामलों के साथ जोड़ कर बेवजह भय नहीं पैदा किया जाना चाहिए। मलिक ने राज्य के राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा है कि वे अपने समर्थकों से शांत रहने और घाटी में बढ़ा-चढ़ा कर फैलाई गई अफवाहों पर विश्वास न करने के लिए कहें।

शुक्रवार देर रात जारी एक बयान में एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि राज्यपाल ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में विभिन्न दलों के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही।

जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ व मचैल माता यात्रा रद्द

जम्मू, 3 अगस्त (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा किश्तवाड़ जिले की 43 दिन तक चलने वाली 'मचैल माता यात्रा' को सुरक्षा कारणों से शनिवार को रोक दिया गया। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने तीर्थयात्रा के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से खतरे का हवाला देते हुए आगामी वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शनिवार को रद्द करने की घोषणा की। जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले में विहिप की ओर से आयोजित 10 दिन की यह यात्रा छह अगस्त से शुरू होनी थी।

विहिप के राज्य अध्यक्ष लीला कर्ण शर्मा ने जम्मू में बताया कि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के मार्ग से अमेरिका में निर्मित स्नाइपर राइफल और बारूदी सुरंग मिलने के बाद उपजी सुरक्षा की स्थिति के मद्देनजर हमने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है।

नई दिल्ली

आंबेडकर के गलत नारे को पढ़ाए जाने को लेकर विरोध जताया मायावती ने

लखनऊ, 3 अगस्त (भाषा)।

बसपा प्रमुख मायावती ने गुजरात सरकार की पुस्तकों में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के नारे को विकृत कर पढ़ाए जाने पर शनिवार को सवाल किया और कहा कि यह कांग्रेस की तरह भाजपा के दलित विरोधी चेहरे को उजागर करता है। उन्होंने उसमें तत्काल सुधार करने की मांग की।

मायावती ने शनिवार को ट्वीट किया कि 'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो' बाबा साहेब डॉ आंबेडकर का वह अमर वाक्य है, जो करोड़ों दलितों व पिछड़ों को आगे बढ़ने की प्रेरणा व शक्ति देता है। पर गुजरात सरकार की पुस्तकों में उसे गलत पढ़ाया जा रहा है, जो कांग्रेस की तरह भाजपा के आंबेडकर व दलित-विरोधी चेहरे को बेनकाब करता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि दलित अत्याचार व उत्पीड़न के जघन्य अपराधों के साथ-साथ गुजरात भाजपा सरकार के इस षड्यंत्रकारी कदम का तीव्र विरोध स्वाभाविक है।मायावती का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है, जिसके मुताबिक गुजरात में पांचवीं कक्षा की एक किताब में कहा गया है कि बाबा साहेब का कथन है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और स्वावलंबन ही सच्ची सहायता है। गुजरात के एक आंबेडकरवादी संगठन ने भी पाठ्यपुस्तक में संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर के नारे में कथित फेरबदल को लेकर अपना विरोध जताया है।

मिलावटी दूध बेचने वाले पर लगाई रासुका, जेल भेजा

ग्वालियर, 3 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश सरकार ने मिलावटी दूध बेचने वाले ग्वालियर जिले के कारोबारी उम्मेद सिंह रावत (38) पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। उसे शनिवार सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

दूध उत्पादों में मिलावट के आरोप में मध्य प्रदेश में तीन दिन में यह दूसरे कारोबारी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पहले एक अगस्त को उज्जैन जिले के श्रीकृष्ण उद्योग और बेकरी के मालिक कीर्ति केलकर(41) को रासुका के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ग्वालियर के जिलाधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित मोहना के दूध कारोबारी उम्मेद सिंह रावत को मिलावटी दूध बेचने के मामले में रासुका के तहत गिरफ्तार कर शुक्रवार सुबह जेल भेज दिया गया।

उन्होंने कहा कि पिछले महीने 24 और 25 जुलाई को उम्मेद सिंह की दुकान पर छापा मारा गया था और वहां से बहुत बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध बरामद किया गया था। उसकी दुकान से कई तरह के घातक केमिकल भी मिले थे, जिनसे मिलावटी दूध बनाया जा रहा था। चौधरी ने बताया कि करीब दो दिन पहले भी उम्मेद सिंह की दुकान पर कास्टिक सोडा से बना मिलावटी दूध मिला था, लेकिन तब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी।

मध्य प्रदेश सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ 19 जुलाई से समूचे प्रदेश में अभियान चला रही है। नियंत्रक खाद्य व औषधि प्रशासन रविंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान में दो अगस्त तक विभिन्न खाद्य पदार्थों के 1608 नमूने लिए गए हैं। राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। प्रयोगशाला द्वारा दो अगस्त को जारी की गई 43 नमूनों की जांच रिपोर्ट में से छह नमूने नकली ब्रांड के, 6 नमूने अवमानक और 31 नमूने मानक के अनुरूप पाए गए।

इसी बीच, मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि दूध, फल, साग-सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वाले लोग या तो मध्य प्रदेश छोड़ दें या जेल की सलाखों के पीछे जाने को तैयार रहें। मिलावट रोकने के लिए हमने राज्य सरकार के संबंधित कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिसके तहत प्रावधानों को सख्त बनाया जाएगा। इस मिलावट से लोगों को कैंसर, किडनी, ब्लड प्रेशर व मधुमेह की बीमारियां हो रही हैं।

सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें : प्रो. तारिक

अलीगढ़, 3 अगस्त (भाषा)।

अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति प्रो. तारिक मंसूर ने छात्रों को सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही अफवाहों के प्रति सावधान करते हुए कहा है कि वह इन पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए माहौल बिगाड़ने का कुचक्र रच रहे हैं।

कुलपति ने शुक्रवार शाम छात्रों के लिए जारी एक खुले पत्र में हाल में हुई घटनाओं का हवाला दिया है, जिसके बाद चार छात्र नेता गिरफ्तार किए गए थे। कुलपति ने कहा है कि समस्या तब सामने आई, जब कुछ छात्रों ने यह अफवाह फैलाई कि परिसर में पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी।

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड में
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
पद के लिये आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
20 सितम्बर, 2019 (15.00 बजे तक है)
जानकारी के लिए वेबसाईट http://pesb.gov.in पर लॉगईन करें।

मेवात जिंक लिमिटेड
CIN: L27204DL1991PLC046120
पंजीकृत कार्यालय: 1/24, बंसी हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
टेली. नं. 011-23234316, ई-मेल: mewatzinc@gmail.com, वेबसाईट: www.mewatzinc.com
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1)(ए) के साथ पठित विनियमन 29(1)(ए) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।
पुनः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में सर्क्युल सं. LIST/COMP/01/2019-20 तिथि 2 अप्रैल, 2019 के अनुपालन में निदेशकों, प्रवर्त्तकों तथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (उनके निकटतम संबंधी सहित) के लिये ट्रेडिंग विण्डो 1 जुलाई, 2019 से बंद कर दी गई है तथा अब वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद फिर से खुलेगी।
उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.mewatzinc.com तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।
बोर्ड के आदेश से
मेवात जिंक लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
जे.पी. गुप्ता
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
DIN: 00253529
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 2 अगस्त, 2019

मिंडा फाइनांस लिमिटेड
(CIN:L67120DL1985PLC021349)
पंजी. कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052
टेली. नं. 011-49373931, वेबसाईट: www.mindafinance.com, ई-मेलः lalitk@mindagroup.com
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन, 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मिंडा फाइनांस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 10 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
यह सूचना कंपनी की वेबसाईट www.mindafinace.com तथा साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
मिंडा फाइनांस लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थानः दिल्ली — ललित खूबचंदानी
तिथिः 03 अगस्त, 2019 — कम्पनी सचिव

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI
4TH FLOOR JEEVAN TARA BUILDING PARLIAMENT STREET NEW DELHI-110001
Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)
OA No. 675/2018
CORPORATION BANK ...Applicant VERSUS Mr. ISLAM KHAN & ORS. ...Defendants
To,
D-1. Mr. Islam Khan R/o. 134-A, Flat No. 06, 3rd Floor, Khasra No. 257, Abulfaal Enclave, New Friends Colony -110025
D-2 Mrs. Zaibun Nisa R/o. 134-A, Flat No. 06, 3rd Floor, Khasra No. 257, Abulfaal Enclave, New Friends Colony -110025
D-3 M/s. Rudra Buildwell Homes Pvt. Ltd. (Through its Director/Authorized Representative) D-53, Okhla Phase-1, New Delhi -110020
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal 06/08/2019 at 10.30 A.M.
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of the Tribunal on this 06th day of July, 2019.
By Order of the Tribunal
Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय :
पो. ऑफ. मोहनलालगंज, लखनऊ-226301 (यू.पी.)
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 के अंतर्गत विनियम 29(1)(अ) के नियमन 47 के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2019 को अपराह्न 01:30 बजे, महमूदाबाद एस्टेट बिल्डिंग, 15-हजरतगंज, लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्यसूची के अनुसार अन्य विषयों के साथ बिना लेखा परीक्षा के दिनांक 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।
कृते यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान - लखनऊ — (मनीष कुमार सिंह)
दिनांक : 03.08.2019 — कम्पनी सचिव

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये
समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली), उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
अंजक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U74899DL1991PTC042624) जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-3, 58-59, न्यू कोण्डली, दिल्ली-110096 में है, के मामले में
.... आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार 2 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालय:
ए-3, 58-59, न्यू कोण्डली, दिल्ली-110096
आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
अंजक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
विपिन वर्मा
(निदेशक)
DIN: 00275389
तिथिः 2.8.2019
स्थानः नई दिल्ली

ड्यूरोपैक लिमिटेड
CIN: L74899DL1986PLC025835
पंजी. कार्यालयः 3123, सेक्टर-डी, पॉकेट-III, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
टेली.: 011- 26181611
ई-मेलः info@duropackindia..com
वेबसाईटः www.duropackindia.com
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के प्रावधान के अनुपालन में आपको सूचित किया जाता है कि ड्यूरोपैक लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को कम्पनी के कार्यालयः बी-4/160, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 में 5.00 बजे अप. में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.duropackindia.com तथा साथ ही बाम्बे स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।
सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 यथा संशोधित तथा ड्यूरोपैक लिमिटेड के "इन्सायडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आचार संहिता" के अनुपालन कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विंडो बंद रहने की अवधि 1 जुलाई, 2019 से शुरू हो गई है तथा 13 अगस्त, 2019 को वित्तीय परिणामों को सार्वजनिक किये जाने के 48 घंटे बाद समाप्त होगी।
ड्यूरोपैक लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
विवेक जैन
स्थानः नई दिल्ली — प्रबंध निदेशक
तिथिः 02.08.2019 — DIN: 01753065

Paramount Communications Ltd.
PARAMOUNT CABLES
CIN: L74899DL1994PLC061295
Regd. Office: Paramount House, C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028
Ph.: +91-11-45618800-900, Fax: +91-11-25893719/20
E-mail: ps@paramountcables.com, Website: www.paramountcables.com
NOTICE
Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Conference Hall, Hotel Jaypee Siddhartha, Rajendra Place, New Delhi- 110008 on **Wednesday, 14th August, 2019 at 02:00 P.M.**, to *inter-alia*, consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2019.
The information contained in this Notice is also available on the website of the company i.e. www.paramountcables.com and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).
For Paramount Communications Ltd.
Sd/-
Place : New Delhi — (Rashi Goel)
Date : 03rd August, 2019 — Compliance Officer & Company Secretary

इंटीग्रेटिड टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः सी-24, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 भारत
टेलीः +91 11 41552579
ई-मेलः info@integratedtech.in
वेबसाइट : www.integratedtech.in
CIN No. L31909DL1995PLC277176
बोर्ड बैठक व ट्रेडिंग विंडो बंद होने की सूचना
सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 व अन्य लागू विनियमों के अनुपालन में, कृपया ध्यान दें कि इंटीग्रेटिड टेक्नोलॉजिस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों और उससे जुड़े मामलों पर विचार करने व अनुमोदन के लिए सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को शाम 2.00 बजे इसके पंजीकृत कार्यालय सी-24, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 में आयोजित की जाएगी।
सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम, 2015 और सेबी पत्र संदर्भ सं. LIST/COMP/01/2019-20 दिनांक 12 अप्रैल, 19 के अनुपालन में कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए ट्रेडिंग विंडो 04.07.2018 से निर्धारित बोर्ड बैठक अर्थात् 14 अगस्त, 2019 के परिणाम से 48 घंटे (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।
इंटीग्रेटिड टेक्नोलॉजिस लिमिटेड के लिए
स्थानः नई दिल्ली — हस्ता./-
दिनांकः 03.08.2019 — स्नेह चौहान
(कंपन सचिव व अनुपालक अधिकारी)

रूंगटा ईरीगेशन लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
CIN: L74899DL1986PLC023934
टेलीः 011-40453330
Email: info@rungtairrigation.in
Website: www.rungtairrigation.in
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (ए) के साथ पठित विनियमन 29 (1) (ए) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को 2.00 बजे अप. में 101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9 के अनुसार इन्सायडर ट्रेडिंग रोकथाम के लिये कम्पनी की आचार संहिता के अनुपालन में कंपनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये कम्पनी का ट्रेडिंग विन्डो जो पहले से ही बंद है, उपरोक्त परिणामों की घोषणा की तिथि के बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेंगे। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.rungtairrigation.in पर भी उपलब्ध होंगे।
रूंगटा ईरीगेशन लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
नई दिल्ली — प्रिया रुंगटा
5 अगस्त, 2019 — (कार्यकारी निदेशक)

फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
CIN: L74899DL1987PLC030092
पंजी. कार्यालयः 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेली.: (91-11) 25747696, 2575 1934/35/36, फैक्सः (91-11) 2575 1937/38
वेबसाईट: www.phoenixindia.com, ईमेल: narendermakkar@yahoo.com
सूचना
स्टॉक एक्सचैंज के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार 13.08.2019 को 5.00 बजे अप. में 3 रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, दिल्ली-110008 में पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।
पुनः कम्पनी की प्रतिभूतियों में इन्सायडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिये संहिता के अनुसार कम्पनी की शेयरों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो जो बोर्ड के सभी सदस्यों तथा फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये 1.7.2019 से ही बंद है, वह 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगा।
उक्त सूचना की वेबसाईट http://www.phoenixindia.com के साथ ही साथ स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट http://www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।
फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
नरेन्द्र कुमार मक्कर
स्थानः नई दिल्ली — (DIN:00026857)
तिथिः 03.08.2019 — निदेशक

ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष
4था तल, जीवनतारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
ओ.ए. नं. 79/19 — तिथि 19.7.2019
केनरा बैंक — आवेदक
बनाम
श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं अन्य — प्रतिवादीगण
सेवा में प्रतिवादीगण
1. श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (ऋणधारक/मार्टगैजर) पुत्र श्री राम प्रताप पाण्डेय, ए-114, ऊपरी तल, सेक्टर-36, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.-201306, साथ हीः ए3-102, ब्लॉक ए 3, न्यू कोण्डली, मयूर विहार, फेज-3, दिल्ली साथ हीः मै. लायन होल्डिंग्स प्रा.लि., सी-9, साइट फोर कासना रोड, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र.
2. श्रीमती आशा पाण्डेय, पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय ए-114, ऊपरी तल, सेक्टर-36, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.-201306
3. मै. ला रेजिडेन्शिया डेवलपर्स प्रा.लि. (आम्रपाली ग्रुप), 220, 2रा तल, वर्धमान सनराइज प्लाजा, प्लॉट नं. 1, एल.एस.सी., वसुन्धरा एन्क्लेव, दिल्ली-96 साथ हीः सी-56/40, सेक्टर-62, नोएडा, उ.प्र.-201307 साथ हीः जीएच-06ए, टेक जोन-4, नोएडा एक्स्टेंशन, उ.प्र.
जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 43,77,430/- (रुपये तैंतालिस लाख सतहत्तर हजार चार सौ तीस मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 24.9.2019 को 10.30 पूर्वा. में अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।
अधिकरण के आदेश से
सेक्शन ऑफीसर, डीआरटी-II, नई दिल्ली

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
{दिवाला एवं दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्ति के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	नेयुएऑन टावर प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	6.4.2006
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी अधिनियम, 1956, आरओसी हैदराबाद
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	L04109TG2006PLC049743
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सर्वे नं. 321, तुर्कालाखानापुर ग्राम, हतनूर मंडल, मेडक जिला, हैदराबाद टीजी म्यूनिसिपल नं. 8-2-248/1/7/18, दूसरा तल, ईस्ट विंग, नागार्जुन हिल्ल, पुंजागुट्टा, हैदराबाद-500082 टीजी
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	3.6.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	18 अगस्त, 2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	विवरण neuontowerirp@gmail.com पर मेल भेजकर अथवा www.sujana.com पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	विवरण neuontowerirp@gmail.com पर मेल भेजकर अथवा www.sujana.com पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	5 सितम्बर, 2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	15 सितम्बर, 2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	20 सितम्बर, 2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	30 सितम्बर, 2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	20 सितम्बर, 2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम ("आईएम") तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	प्वाइन्ट 20 में वर्णित पते पर आरपी से सम्पर्क कर अथवा neuontowerirp@gmail.com पर मेल भेजकर।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	20 अक्टूबर, 2019
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध जमा करने के समय में विवरण उपलब्ध कराई जा सकती है।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	19 नवम्बर, 2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	डा. मदुरई सुन्दरम संकर IBBI/PA-001/IP-P00770/2017-2018/11315
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	डा. एमएस संकर, ए 1206 एस एंड एस सरवम, 200 फीट पल्लवारम, थुरईपक्कम रेडियल रोड, पल्लीकरानई, चेन्नई-600100 m.s.sankar@outlook.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	ए 1206 एस एंड एस सरवम, 200 फीट पल्लवारम, थुरईपक्कम रेडियल रोड, पल्लीकरानई, चेन्नई-600100 neuontowerirp@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	neuontowerirp@gmail.com
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	2 अगस्त, 2019

पी एसः आरपी/सीओसी का बिना कोई कारण बताये अथवा बिना किसी उत्तरदायित्व के प्रक्रिया/आवेदन को निरस्त/संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है।
(हस्ता.) डा. एम.एस. संकर
तिथिः 2 अगस्त, 2019 — IBBI/IPA-001/IP-P00770/2017-2018/11315
स्थानः हैदराबाद — ए 1206 एस एंड एस सरवम, 200 फीट, पल्लावरम, थुरईपक्कम, रेडियल रोड, पल्लीकरानई, चेन्नई-600100
neuontowerirp@gmail.com, नेयुएऑन टावर्स लिमिटेड के लिये

QUASAR INDIA LIMITED
Regd. Office: 305, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Email id: quasarindia123@gmail.com
Website: www.quasarindia.in
Ph.: 9625304043
CIN: L67190DL1979PLC009555
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Quasar India Limited is scheduled to be held on Tuesday, 13th August, 2019 at 11:00 A.M. at the registered office of the Company situated at 305, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085, inter-alia, to consider and approve:
i. the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2019.
ii. Any other item with the permission of chair, if any.
Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019, the Trading window shall remain closed from 3rd August, 2019 till 48 hours after the declaration of financial results for the quarter ended 30th June, 2019 for the Promoters, Directors, Designated Employees of the Company and all persons covered under the Regulation.
For Further details, visit the website of the Stock Exchange where the securities of the company are listed i.e. BSE Limited **www.bseindia.com** and Website of the Company **www.quasarindia.in.**
For and on behalf of the Board
Quasar India Limited
Sd/-
Harish Kumar
Date: 03.08.2019 — Director
Place: New Delhi — DIN: 02591868

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED
(Formerly known as Rita Holdings Limited)
Regd. Off.: 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
E mail: ritaholdingsltd@gmail.com, website: www.ritaholdings.in, Phone: 011-27860681
CIN: L67120DL1981PLC011741
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Rita Finance and Leasing Limited (Formerly known as Rita Holdings Limited) is scheduled to be held on Tuesday, 13th August, 2019 at 01:00 P.M. at the registered office of the Company situated at 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085, inter-alia, to Consider and approve:
i. the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2019.
ii. Any other item with the permission of chair, if any.
Further Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019, the Trading window shall remain closed from 3rd August, 2019 till 48 hours after the declaration of financial results for the quarter ended 30th June, 2019 for the Promoters, Directors, Designated Employees of the Company and all persons covered under the Regulation.
For Further details visit the website of the Stock Exchange(s) where the securities of the company are listed i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) and Website of the Company i.e. (www.ritaholdings.in)
For and on behalf of the Board
Rita Finance and Leasing Limited
Formerly known as Rita Holdings Limited
Sd/-
Kiran Mittal
Date: 03.08.2019 — Director
Place: New Delhi — DIN: 00749457

सवेरे ट्रेड एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
CIN: L51909DL1990PLC040761
पंजी. कार्यालयः 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेली.: (91-11) 25747696, 2575 1934/35/36, फैक्सः (91-11) 2575 1937/38
वेबसाईट:www.savaretrade.com, ईमेल: narendermakkar@yahoo.com
सूचना
स्टॉक एक्सचैंज के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13.08.2019 को 4.00 बजे अप. में 3 रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, दिल्ली-110008 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।
सवेरे ट्रेड एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
नरेन्दर कुमार मक्कर
स्थानः नई दिल्ली — (DIN:00026857)
तिथिः 03.08.2019 — निदेशक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
वसूली विभाग, सर्किल कार्यालयः उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-110025
फोनः 011-25744163, ईमेलः condelrd@pnb.co.in
शुद्धिपत्र
इस समाचार पत्र में 30.07.2019 को आम जनता के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना प्रकाशित की गई थी। सूचित किया जाता है कि बैंक ने 12.06.2019 को निर्धारित श्री रिशी राणा के नाम में 265 वर्ग यार्ड्स के फ्रीहोल्ड प्लॉट जो खसरा नं.-578/1, 2 मिन, ग्राम जटवाड़ा कला, परगणा लोनी, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. 201001 (गली बसंत रोड पर, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल के निकट, नेहरू नगर, गाजियाबाद) के भाग में स्थित मै. महारानी माउल्डिंग की खाता में क्रम सं. 12 में प्रकाशित सम्पत्ति तथा 22.08.2019 को निर्धारित श्रीमती शालिनी गुप्ता, पत्नी श्री राजीव गुप्ता के नाम में फ्रीहोल्ड प्लॉट नं. 30ए (पुराना), नया नं. एफ 30ए, खसरा नं. 59 (नया), खसरा नं. 59/11/1, एरिया 80 वर्ग यार्ड्स, ग्राम खुरेजी खास, गली नं. 9, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 में स्थित मै. एस आर ट्रेडर्स की खाता में क्रम सं. 17 में प्रकाशित सम्पत्ति की ई-नीलामी वापस लेने का फैसला किया है।
तिथिः 2.8.2019, स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

RattanIndia
रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(CIN: L40101DL2010PLC210263)
पंजीकृत कार्यालय : एच. नं. 9, पहली मंजिल, गाँव हौज खास, नई दिल्ली -110016
फोन :011-46611666 फैक्स : 011-011-46611777
वेबसाइटः www.rattanindia.com/ril ई-मेलः ir@rattanindia.com
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जून 30, 2019 को समाप्त हुई तिमाही के लिए, रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, अगस्त 09, 2019 को आयोजित की जाएगी।
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
कृते रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
सही/-
स्थान : नई दिल्ली — आर. के. अग्रवाल
दिनांक : अगस्त 03, 2019 — कंपनी सचिव

RattanIndia
रतनइंडिया पावर लिमिटेड
(CIN: L40102DL2007PLC169082)
पंजीकृत कार्यालय : ए-49, तल मंजिल, रोड न. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037
फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777
वेबसाइटः www.rattanindia.com, ई-मेलः ir@rattanindia.com
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जून 30, 2019 को समाप्त हुई तिमाही के लिए, रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, अगस्त 09, 2019 को आयोजित की जाएगी।
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड
सही/-
स्थान : नई दिल्ली — ललित नारायण मठपति
दिनांक : अगस्त 03, 2019 — कंपनी सचिव

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड
[CIN: L26924HR1985PLC056150]
पंजीकृत कार्यालय : एसएफ-11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा - 122001, फोन : +91-124-4081281
कार्पोरेट कार्यालय : जे-1 /बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044 फोन : + 91-11-26946409 फैक्स : +91-11-26946407
वेबसाइट : www.kajariaceramics.com ई-मेल : investors@kajariaceramics.com
33वीं वार्षिक आम बैठक, बही बंदी और ई - वोटिंग सूचना का नोटिस
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन सोमवार, 26 अगस्त 2019 को दोपहर 3:00 बजे क्राउन प्लाजा टुडे, सेक्टर - 29, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, गुड़गांव-122001 में एजीएम के आयोजन के नोटिस में दिए गए कार्यों हेतु किया जाना है।
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाध्यताओं का सूचीकरण और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियम') के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('रिमोट ई - वोटिंग') की सुविधा दी जा रही है ताकि वे अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से दे सकें। तदनुसार एजीएम की सूचना में दिए गए व्यापार के मदों का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है, जो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड - ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की जाती है।
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने एजीएम की सूचनाओं और वार्षिक प्रतिवेदन के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों तथा इस पर लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट का प्रेषण का कार्य शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को अनुमत विधि के माध्यम से पूरा कर लिया गया है।
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **(क)** रिमोट ई - वोटिंग शुक्रवार 23 अगस्त 2019 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होगी और रविवार, 25 अगस्त, 2019 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी, **(ख)** रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति रविवार, 25 अगस्त, 2019 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद नहीं दी जाएगी **(ग)** उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय बनाया जाएगा; **(घ)** वोटिंग का अधिकार (एजीएम में बैलेट पेपर के साथ रिमोट ई वोटिंग माध्यम से वोटिंग के लिए) कट ऑफ तिथि के अनुसार अर्थात सोमवार, 19 अगस्त 2019 को कंपनी के सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के पेड अप वैल्यू पर गिना जाएगा, **(ङ)** कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर हैं और वह एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 19 अगस्त, 2019 को उसके पास शेयरधारिता है तो वे evoting@nsdl.co.in या helpdeskdelhi@mcsregistrars.com या admin@mcsregistrars.com पर (नाम, फोलियो संख्या / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी सहित जैसा भी मामला हो और शेयरधारिता) अनुरोध भेजकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जबकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई - वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड को अपना वोट डालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" का उपयोग कर पासवर्ड रिसेट कर सकता है या एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर संपर्क कर सकता है, (च) एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध हैं और एजीएम में आने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई - वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में बैलेट पेपर के जरिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। **(छ)** एक सदस्य रिमोट ई - वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद एजीएम में हिस्सा ले सकता है, किंतु उसे एजीएम में दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा; **(ज)** जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में दिया गया है या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है केवल उन्हें रिमोट ई - वोटिंग और बैलेट पेपर द्वारा एजीएम में वोट देने का अधिकार होगा। व्यक्ति जो कट-ऑफ की तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए ही लेना चाहिए; **(झ)** एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर प्रदर्शित किया गया है। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।
ई - वोटिंग के बारे में जानकारी के लिए सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए अनुदेशों को देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में कोई पूछताछ / शिकायत है तो सदस्यों के लिए तैयार किए गए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और शेयर धारकों के लिए रिमोट ई - वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल से देख सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, से ई मेल evoting@nsdl.co.in या टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।
एजीएम की सूचना में दिए गए संकल्पों पर वोटिंग के परिणामों की घोषणा लागू कानूनों के तहत अनुमत समय सीमा के अंदर की जाएगी। घोषित परिणामों के साथ संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष या इसके लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा तत्काल डाली जाएगी और परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भी बताए जाएंगे। घोषित किए गए परिणाम पंजीकृत कार्यालय एसएफ-11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा-122001 और कॉर्पोरेट कार्यालय जे-1/ बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044 में स्थित में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
आगे पुनः सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित नियमों के नियम 10 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तिकाएं मंगलवार, 20 अगस्त 2019 से सोमवार, 26 अगस्त 2019 (दोनों दिन शामिल) के बीच लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता निर्धारित करने और एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रखी जाएंगी, जिसे यदि कंपनी के प्रत्येक 1 रुपए के लिए 3 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर पर यदि एजीएम में घोषित किया जाता है।
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है तो इसका भुगतान उन सदस्यों को मंगलवार, 24 सितंबर 2019 को या इसके पहले किया जाएगा
- जिनके नाम सोमवार, 19 अगस्त 2019 को व्यापार समय के समापन पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध से लाभार्थी स्वामियों की प्रस्तुत सूची में लाभार्थी स्वामी के तौर पर आते हैं, और
- जिनके नाम सोमवार, 19 अगस्त 2019 को या उसके पहले कंपनी के पास भौतिक रूप में रखे गए वैध शेयर अंतरण को प्रभावी बनाने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के तौर पर आते हैं।

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
तिथि : अगस्त 3, 2019 — राम चंद्र रावत
स्थान : नई दिल्ली — सीओओ (ए एंड टी) और कंपनी सचिव

भारतीय अर्थव्यवस्था फिसलकर सातवें स्थान पर, ब्रिटेन और फ्रांस आगे निकले

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

रुपए के कमजोर होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था 2018 में फिसलकर सातवें स्थान पर आ गई है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। 2018 में रुपए में भारी गिरावट देखने को मिली थी। एक समय ऐसा भी रहा था, जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 74 रुपए प्रति डॉलर के स्तर से भी नीचे आ गया था।

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जबकि चर्चा चल रही है कि 2025 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आइएचएस मार्केट ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2025 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत की जीडीपी का आकार 2,726.32 अरब डॉलर रहा। इसकी तुलना में फ्रांस का जीडीपी 2,777.53 अरब डॉलर और ब्रिटेन का 2,825.20 अरब डॉलर रहा। इससे पहले 2017 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2,650 अरब डॉलर था। उस समय भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इसी तरह फ्रांस और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2017 में क्रम से 2,590 और 2,640 अरब डॉलर की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2024-25 तक पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मोदी-2 सरकार के 50 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी रिपोर्ट कार्ड में दावा किया था कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। 2018-19 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में जीडीपी की वृद्धि दर कम होकर 5.8 फीसद पर आ गई थी। यह इसका करीब पांच साल का निचला स्तर है।

रांची में शनिवार को खेत में हल चलाता किसान।

विदेशी मुद्रा भंडार 72.7 करोड़ डॉलर घटा

मुंबई, 3 अगस्त (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 72.7 करोड़ डॉलर घटकर 429.65 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में कमी के कारण यह गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.579 अरब डॉलर बढ़कर 430.38 अरब डॉलर के नए रेकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया था।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम भाग विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां समीक्षावधि में 1.734 अरब डॉलर घटकर 399.357 अरब डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में अमेरिकी डॉलर के अलावा भंडार में रखी गई यूरो, पौंड और येन जैसी अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में घटौती और बढ़ोतरी का प्रभाव भी इस गणना में शामिल होता है। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान देश का स्वर्ण भंडार 1.025 अरब डॉलर बढ़कर 25.330 अरब डॉलर हो गया।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाला विशेष आहरण अधिकार इस दौरान 28 लाख डॉलर घटकर 1.444 अरब डॉलर रह गया। वहीं कोष के साथ देश की भंडारण स्थिति भी 1.58 करोड़ डॉलर घटकर 3.534 अरब डॉलर रह गई। यह भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार का ही हिस्सा होता है।

एनबीएफसी समय से पहले कर्ज भुगतान पर नहीं लगा सकेगी दंड

मुंबई, 3 अगस्त (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत कर्ज लेनदारों से समय से पहले कर्ज चुकाने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से वसूले जाने वाले दंड पर रोक लगा दी है।

केंद्रीय बैंक ने अधिसूचना जारी कर कहा कि एनबीएफसी कारोबारी उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए व्यक्तिगत तौर पर लिए गए फ्लोटिंग दर कर्ज को समय से पहले चुकाने पर शुल्क या दंड नहीं लेंगे। हालांकि आरबीआइ ने यह साफ नहीं किया कि नए नियम कब से प्रभावी होंगे।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित नियमों को अद्यतन किया गया है। मई, 2014 में आरबीआइ ने वाणिज्यिक बैंकों को बंधक ऋण पर ऐसे शुल्क लगाने से प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि एनबीएफसी निजी ऋण जैसे बिना गारंटी वाले ऋणों पर शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

सेबी ने संबंधित पक्ष लेन-देन को लेकर चिंता जताई

कोलकाता, 3 अगस्त (भाषा)।

भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संबंधित पक्ष लेन-देन को लेकर शनिवार को चिंता जाहिर की। सेबी ने कहा कि कंपनियां इस तरीके से धन को इधर-उधर करती हैं।

सेबी के कार्यकारी निदेशक अमरजीत सिंह ने कहा कि कंपनियों के द्वारा 'संबंधित पक्ष लेन-देन' का पैसों का हेर-फेर करने के लिए बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य उदाहरण कंपनियों द्वारा ऋण को संबंधित पक्षों को हस्तांतरित करने का है। सूची काफी लंबी है। सिंह ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) द्वारा आयोजित वित्तीय बाजार सम्मेलन में कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों, प्रवर्तकों और संबंधित पक्षों के हित में इन तरीकों को बंद किया जाना चाहिए।

जेट एअरवेज के लिए रुचि पत्र जमा कराने की समय सीमा बढ़ी

मुंबई, 3 अगस्त (भाषा)।

जेट एअरवेज के ऋणदाताओं ने रुचि पत्र जमा करने की समय सीमा को एक सप्ताह के लिए बढ़ाकर 10 अगस्त करने का फैसला किया है। क्योंकि अब तक अब तक चार इकाइयों से ही शुरुआती रुचि मिले हैं।

पिछले महीने के आखिर में समाधान पेशेवर आशीष छावछारिया ने इस एअरलाइन की हिस्सेदारी बेचने के लिए इच्छुक पक्षों से रुचि पत्र आमंत्रित किए थे। शनिवार को रुचि पत्र जमा करने की आखिरी तारीख थी और अब तक चार इकाइयों से ही शुरुआती रुचि मिले हैं।

ऋणदाताओं ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि दिलचस्पी लेने वाले विश्वस्त समाधान आवेदकों की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद रुचि पत्र दाखिल करने के लिए समय सीमा को अस्थायी तौर पर एक सप्ताह के लिए बढ़ाकर 10 अगस्त करने का फैसला किया गया है।

उसने कहा कि दिवाला व ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) के लक्ष्यों को हासिल करने और कर्जदार की परिसंपत्ति के मूल्य को बढ़ाने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। ऋणदाताओं ने कहा कि रुचि पत्र दाखिल करने की संशोधित समय सीमा 10 अगस्त को शाम चार बजे तक होगी।

भारत ने चीन से अपने उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने को कहा

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

भारत ने व्यापार घाटा कम करने के लिए चीन को चीनी, चावल और दवाओं जैसे उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने को कहा है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

वाणिज्य सचिव अनूप वाधवन ने आरसीईपी की बेजिंग में चल रही मंत्रिस्तरीय बैठक से इतर शुक्रवार को चीन के उप वाणिज्य मंत्री वांग शोउवेन के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया। वाधवन ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित आरसीईपी व्यापार करार में भारत और चीन के व्यापार असंतुलन पर गौर किया जाना चाहिए।

उन्होंने चीन के उपप्रधानमंत्री हु चुन्हुआ के साथ बैठक में एक ऐसे करार की वकालत की जो व्यापार असंतुलन के मौजूदा स्तर को दूर करे। उन्होंने इस मौके पर विभिन्न भारतीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराए जाने का भी मुद्दा उठाया।

'दूरसंचार क्षेत्र की सेहत के लिए कीमत में सुधार जरूरी'

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा है कि प्रतिस्पर्धी दबाव व भारी निवेश जरूरतों के कारण भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए वित्तीय चिंता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि दीर्घकाल में उद्योग की बेहतर सेहत के लिए कीमत में सुधार अनिवार्य है।

बिड़ला ने कंपनी की सालाना रिपोर्ट 2018-19 में कहा है कि उद्योग के लिए परिचालन की चुनौती बनी हुई है। क्षेत्र में एकीकरण यानी विलय से तीन निजी और एक सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी सामने आई हैं। ये कंपनियां दीर्घकाल में क्षेत्र के समक्ष अवसरों से लाभान्वित होंगी। उन्होंने लिखा है- भारतीय दूरसंचार परिचालक लगातार बाजार की कड़ी स्थिति में काम कर रहे हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धी दबाव ने कंपनियों को कीमत योजना पेश करने के लिए मजबूर किया और आज यह दुनिया में सबसे सस्ता है। बिड़ला ने कहा कि प्रतिस्पर्धी दबाव से ब्राडबैंड दायरा और क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत उत्पन्न हुई है।

भारत-अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी

वाशिंगटन, 3 अगस्त (भाषा)।

भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने दोनों देशों के रक्षा उद्योग व उद्यमों (स्टार्टअप) के बीच सहयोग स्थापित करने में सहायक नीति पर आगे बढ़ने के लिए शुक्रवार को सहमति जताई।

भारत-अमेरिका रक्षा नीति समूह (डीपीजी) की शुक्रवार को यहां हुई 15वीं बैठक के दौरान इस संबंध में सहमति बनी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व रक्षा सचिव संजय मित्रा ने किया। अमेरिका का प्रतिनिधित्व रक्षा नीति उपमंत्री जॉन रूड ने किया। डीपीजी भारत और अमेरिका के बीच रक्षा मुद्दों पर होने वाली शीर्ष अधिकारी स्तरीय बैठक प्रक्रिया है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समग्र समीक्षा करती है और आगे का रास्ता तय करती है।

शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया गया कि बैठक में हाल के वर्षों में रक्षा व्यापार, प्रौद्योगिकी, खरीद, उद्योग, शोध व विकास और सेना से सेना के बीच संपर्क समेत रक्षा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया गया। यहां स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि अधिकारियों ने दोनों देशों के रक्षा उद्योग व उद्यमों के बीच सहयोग के महत्त्व को रेखांकित किया और इस संबंध में सहायक होने वाली नीति पर आगे बढ़ने पर सहमति जताई।

सात बैंकों पर 11 करोड़ का जुर्माना

नियमों का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ने की कार्रवाई

मुंबई, 3 अगस्त (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने चालू खाता खोलने के मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों पर सामूहिक रूप से 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। शीर्ष बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किंगफिशर एअरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी के कारण उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) पर भी 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उस पर एक ऋण खाते में धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी होने के कारण यह जुर्माना लगा है।

इलाहबाद बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र पर दो-दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) ने भी शेयर बाजार से कहा कि इसी तरह के एक मामले में रिजर्व बैंक ने उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) पर डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ओबीसी ने शनिवार को शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी। उसने कहा कि किंगफिशर एअरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी होने के कारण यह जुर्माना लगा है। बैंक ने बताया कि उसे 14 दिनों के भीतर जुर्माने का भुगतान करना होगा। आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई, 2019 के आदेश के तहत सात बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मौद्रिक जुर्माना चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिए कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। एक अलग बयान में आरबीआइ ने कहा कि उसने कारपोरेशन बैंक पर साइबर सुरक्षा रूपरेखा से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

कॉर्पोरेशन बैंक

(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)

अंचल कार्यालय: दिल्ली उत्तर, दूसरा तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नं. 011-28754615 28754642, ईमेल आईडी: DLIREC@CORPBANK.CO.IN वेबसाईट: WWW.CORPBANK.COM

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कार्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है की नीचे वर्णित ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) से कॉर्पोरेशन बैंक के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित तिथि को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण इस प्रकार है:

शाखा का नाम एवं पता	गाजियाबाद राम प्रस्थ शाखा, फोन नं. 0120-2643915, 2641568	
ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम	**ऋणधारक:** श्री केतन किशोर, पुत्र श्री राज किशोर, फ्लैट नं. सी-316, प्रौद्योगिकी अपार्टमेन्ट्स, प्लॉट नं. 11, सेक्टर-03, द्वारका, दिल्ली-110075, साथ हीं: 802, राज रेजीडेन्सी, कौशाम्बी, यशोदा हॉस्पीटल के निकट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, साथ हीं: भूतल, बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं. 151/जीके पर निर्मित, ज्ञान खंड- iv, रेजीडेन्शियल कॉलोनी, इन्दिरापुरम, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद	**बकाया राशि:** रु. 5328278.00 तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 1. प्लॉट नं. 151/जीके, ज्ञानखंड-iv, रेजीडेन्शियल कॉलोनी, इन्दिरापुरम, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद पर निर्मित बिना छत के अधिकार के भूतल की आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। पूर्व में अथवा उस दिशा में: प्लॉट नं. 152, पश्चिम में अथवा उस दिशा में: प्लॉट नं. 150, उत्तर में अथवा उस दिशा में: प्लॉट नं. 152, दक्षिण में अथवा उस दिशा में: प्लॉट नं. 136

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 5.9.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ।

आरक्षित मूल्य: रु. 62,11,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 6,21,100/-

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sri_ketan_kishore.pdf में दी गई लिंक देखें।

तिथि: 01.08.2019 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: दिल्ली कॉर्पोरेशन बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

मंडल कार्यालय : दक्षिण दिल्ली, शाखा कार्यालय फाउन्टेन चौक, गुडगांव (हरियाणा)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित नियम 3 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधीन सूचित किया जाता है कि प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में खाते के आगे वर्णित दिनांक को मांग नोटिस जारी किया है और उनसे मांग करते हुए उक्त नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर वर्णित राशि का पुनर्भुगतान करने हेतु कहा गया था। ऋणी द्वारा राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणी एंव जनसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) व सपठित नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित दिनांक को **निम्नलिखित** सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है। ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणी को विशेष रूप से एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति के बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और सम्पत्ति में किया गया कोई भी व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक की बकाया राशि तथा ब्याज के अध्यधीन होगा। सम्पत्तियों का विवरण जिसका कब्जा लिया गया था निम्न प्रकार है:-

ऋणी/सम्पत्ति मालिक/ जमानतदार का नाम	अचल/चल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि (धारा 13(2) के नोटिस के अन्तर्गत वर्णित)	मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक
1. मैसर्स नवरंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आईएनसी. जरिये इसके सोल प्रोपराईटर श्री नवदीप सिंह, 402ए, चतुर्थ तल, अंसल सुशान्त टॉवर, सुशान्तलोक-II, सेक्टर-56, गुड़गांव। 2. श्री नवदीप सिंह (मैसर्स नवरंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आईएनसी. के प्रोपराईटर) 402ए, चतुर्थ तल, अंसल सुशान्त टॉवर, सुशान्तलोक-II, सेक्टर 56, गुड़गांव- 122011 3. श्री गगनदीप सिंह, मकान नं. 72, ब्लॉक बी, सुशान्त लोक-III गुड़गांव, हरियाणा- 122001 4. श्री नवदीप सिंह (मैसर्स नवरंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आईएनसी. के प्रोपराईटर) मकान नं. 72, ब्लॉक बी, सुशान्तलोक-III, गुड़गांव, हरियाणा- 122001 5. श्री गगनदीप सिंह, मकान नं. 5, गांव केमलगढ़, वीपीओ: नेहरू कॉलेज, झज्जर-124103	(1) मैसर्स नवरंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम से सभी स्टॉक्स और पुर्जे फैक्ट्री परिसर या गोदाम अथवा अन्य किसी स्थान और पारगमन के दौरान रखे है। (2) सभी वर्तमान और भविष्य की पुस्तक ऋण। (3) सभी संपत्तियां बैंक वित्त से तैयार की गई है। (4) श्री नवदीप सिंह के स्वामित्व में सम्पत्ति नं. 4एफ-402ए, ब्लॉक डी, सुशान्त टॉवर, सुशान्त लोक-II, गुड़गांव। (5) श्री नवदीप सिंह के स्वामित्व में सम्पत्ति नं. 4एफ-402बी, ब्लॉक डी, सुशान्त टॉवर, सुशान्त लोक-II, गुड़गांव। (6) मैसर्स नवरंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आईएनसी. के स्वामित्व में सम्पत्ति नं. 425, चतुर्थ तल, यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर, सेक्टर-49, गुड़गांव।	रू. 7,23,84,788/- दिनांक 12.01.2017 तक दिनांक 01.01.2017 से भविष्य के ब्याज सहित	26.11.2018	02.08.2019

दिनांक : 02.08.2019 स्थान : गुडगांव, हरियाणा हस्ताक्षर, प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कब्ज़ा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी ने, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें **कर्जदार** से सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि तथा उस पर आगे ब्याज, का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

उपरोक्त कर्जदार(रों) राशि चुकाने में विफल रहे हैं, कर्जदार(रों) तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा नीचे दी गयी तारीख को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा, कर्जदार(रों) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार नीचे उल्लिखित राशि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

शाखा नाम एवं पता	कर्जदार (रों)/गारंटर (रों.) का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सम्पत्तियों का विवरण	कब्जा की तिथि
सेक्टर 16, रोहिणी शाखा अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर - 16, रोहिणी, नई दिल्ली -110086, फोन- 27573662	श्रीमती अनीता रानी, श्री राजीव माहेश्वरी एवं श्रीमती कुसुम गुप्ता,	27.06.2017 रु. 20,37,807 + साथ में ब्याज	अनीता रानी एवं राजीव माहेश्वरी के नाम में डब्ल्यू- 165, ऊपरी तल, खसरा नं. 420, ग्राम मौजपुर, पश्चिमी बाबरपुर, इलाका शाहदरा, नई दिल्ली- 110032, माप 450 वर्ग फीट	30.07.2019
शालीमार बाग ब्रांच 26/28, डीडीए मार्किट, बीक्यू ब्लॉक, शालीमार बाग, नई दिल्ली - 110088	मैसर्स श्री नाकोडा जी कॉर्प. एवं अन्य	01.05.2019 रु. 2,61,33,265.62 + साथ में ब्याज	1. जोगिन्दर कुमार जैन, पुत्र सीता राम जैन तथा कुल भूषण जैन, पुत्र जोगिन्दर कुमार जैन के नाम में ग्राम सीलमपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली- 110031 के क्षेत्र में आबादी मुखर्जी, गली नं. 2, गांधी नगर में स्थित प्लॉट नं. 6, एरिया माप 12.40 वर्ग यार्ड्स पर सम्पत्ति सं. IX/6375 (नया नं. एवं 590/1 पुराना नं.) के भाग में सीलिंग लेवल तक भू तल पर व्यावसायिक दुकान। 2. श्रीमती इन्दिरा जैन, पत्नी श्री जोगिन्दर जैन के नाम में कल्याण विहार को-ऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी लि., दिल्ली जो कल्याण विहार, दिल्ली के नाम से विदित है, में स्थित उक्त सम्पत्ति में भूमि के आनुपातिक स्वामित्व अधिकारों के साथ सम्पत्ति सं. 250, क्षेत्रफल माप 190.59 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित छत के अधिकार के बिना सम्पूर्ण भूतल की आवासीय सम्पत्ति। 3. जसमीत सिंह, पुत्र महिन्दर सिंह के नाम में ग्राम डाबरी, मोहन ब्लॉक के नाम से विदित आबादी, गली- 4, वेस्ट सागरपुर, (रघुनगर के निकट) में स्थित खसरा नं. 24/18 के भाग में प्लॉट नं. 56, क्षेत्रफल माप 75 वर्ग यार्ड्स का पोर्शन।	29.07.2019
शालीमार बाग ब्रांच 26/28, डीडीए मार्किट, बीक्यू ब्लॉक, शालीमार बाग, नई दिल्ली - 110088	मैसर्स जे. के. जैन गारमेंट्स एवं अन्य	01.05.2019 रु. 54,93,256.12 + साथ में ब्याज	1. जोगिन्दर कुमार जैन, पुत्र सीता राम जैन तथा कुल भूषण जैन, पुत्र जोगिन्दर कुमार जैन के नाम में ग्राम सीलमपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली- 110031 के क्षेत्र में आबादी मुखर्जी, गली नं. 2, गांधी नगर में स्थित प्लॉट नं. 6, एरिया माप 12.40 वर्ग यार्ड्स पर सम्पत्ति सं. IX/6375 (नया नं. एवं 590/1 पुराना नं.) के भाग में सीलिंग लेवल तक भू तल पर व्यावसायिक दुकान। 3. जसमीत सिंह, पुत्र महिन्दर सिंह के नाम में ग्राम डाबरी, मोहन ब्लॉक के नाम से विदित आबादी, गली- 4, वेस्ट सागरपुर, (रघुनगर के निकट) में स्थित खसरा नं. 24/18 के भाग में प्लॉट नं. 56, क्षेत्रफल माप 75 वर्ग यार्ड्स का पोर्शन।	29.07.2019

स्थान : दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा

भागने की कोशिश करने वाले उत्तर कोरियाई कैदियों को दी जा रही है फांसी

संयुक्त राष्ट्र, 3 अगस्त (एपी)।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा है कि उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के हनन की भयावह तस्वीर पेश करनी वाली एक रिपोर्ट बताती है कि जेल से भागने की कोशिश करने वाले कैदियों को सरेआम फांसी दी जा रही है और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ यौन हिंसा की जाती है और उन्हें धातु से बनी छड़ी एवं डंडे से बुरी तरह पीटा जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि गार्ड बंदियों के कपड़े उतरवाकर पैसों या छिपाए गए सामान का पता लगाने के लिए बार-बार उनकी तलाशी लेते हैं।

महासभा में रखी गई रिपोर्ट में कहा गया कि गार्ड बंदियों के कपड़े उतरवाते हैं और पैसों या छिपाए गए सामान का पता लगाने के लिए बार-बार उनकी तलाशी ली जाती है।

इसमें बताया गया कि कई बार उनसे एक महीने या उससे भी ज्यादा वक्त तक पूछताछ की जाती है और उनको जिन हिरासत कक्षों में रखा जाता है वे जरूरत से ज्यादा भरे होते हैं जिससे कि वे लेट तक नहीं सकते।

महासचिव ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने उन उत्तर कोरियाई नागरिकों की आपबीती का विश्लेषण किया है जिन्हें हिरासत में रखा गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी जो शुरुआत में चीन चली गई थीं। उन्होंने कहा कि सितंबर से लेकर मई के बीच 330 से अधिक लोगों का साक्षात्कार किया गया जो देश छोड़ चुके हैं।

गुतारेस ने कहा कि पूर्व बंदियों ने सुरक्षा अधिकारियों पर 'जीवन, आजादी एवं व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकारों का घोर उल्लंघन' किए जाने का आरोप लगाया।

उत्तर कोरिया बार-बार कहता रहा है कि वह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। जिनेवा में देश के राजदूत हान त्ये सोंग ने कहा था कि सरकार ने लोगों के हित के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और मानवाधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन असहनीय है, लेकिन वह मानवाधिकार अधिकारियों को वीजा देने से इनकार करता रहा है।

गुतारेस के मुताबिक बंदियों ने बेहद अस्वास्थ्यकर स्थितियों और अपर्याप्त भोजन की बात कही जिससे कुपोषण, बीमारी और कई बार हिरासत में रखे गए लोगों की मौत तक हुई। मानवाधिकार कार्यालय को मिली रिपोर्ट में महिला बंदियों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा यौन हिंसा किए जाने के मामले भी सामने आए हैं।

बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर रिपोर्ट में अपने जिक्र से भारत नाराज

संयुक्त राष्ट्र, 3 अगस्त (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस की हालिया रिपोर्ट पर भारत ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि भारत में न तो सशस्त्र संघर्ष की स्थिति है और न ही इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कोई खतरा है।

भारत ने कहा कि इस तरह की कोशिश चुनिंदा तरीके से किसी खास एजंडे को राजनीतिक रंग देती है और असल चुनौतियों से ध्यान भटकाने वाली होती है।

'बच्चों और सशस्त्र संघर्ष' के विषय पर मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में गुतारेस ने कहा कि सशस्त्र बलों के बीच हिंसा की घटनाओं 'खासकर जम्मू कश्मीर में और नक्सली विद्रोह' के संदर्भ में बच्चे लगातार प्रभावित हो रहे हैं।

'स्थितियां जो सुरक्षा परिषद या अन्य स्थितियों के एजंडा में शामिल नहीं हैं' शीर्षक से जारी रिपोर्ट के एक खंड में भारत का जिक्र है।

'बच्चों एवं सशस्त्र संघर्ष' विषय पर शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव पॉलोमी त्रिपाठी ने 'संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को दिए गए जनादेश के विश्वसनीय, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यान्वयन के महत्त्व' को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, '(सुरक्षा) परिषद के स्पष्ट जनादेश के बावजूद हमें निराशा है कि महासचिव की रिपोर्ट में उन स्थितियों का जिक्र है जो न तो सशस्त्र संघर्ष से जुड़ी हैं और न ही ये अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में खतरा हैं।'

इंडोनेशिया में भूकम्प से एक की मौत, कई घायल

जकार्ता, 3 अगस्त (एएफपी)।

इंडोनेशिया के सबसे अधिक घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर शुक्रवार शाम को आए भूकम्प से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि भूकम्प का केंद्र समुद्र में था।

अधिकारियों के मुताबिक भूकम्प की तीव्रता 6.9 दर्ज की गई। इससे लोगों में दहशत फैल गई। जकार्ता में लोग जान बचा कर सड़कों पर भागते नजर आए।

भूकम्प के तुरंत बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा एजंसी ने सुनामी आने और समुद्र में तीन मीटर (10 फुट) ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी। हालांकि, कई घंटों के बाद चेतावनी वापस ले ली गई।

प्रशासन ने शनिवार को बताया कि इलाके में भूकम्प से भयभीत 48 वर्षीय महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि चार लोग घायल हुए हैं और करीब 1000 लोगों को अस्थायी शिविरों में भेजा गया है। इनमें जावा के पड़ोसी द्वीप सुमात्रा के निवासी भी हैं। भूकम्प की वजह से 100 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और 34 घर तबाह हुए हैं।

जावा के पेंडेगलांग में राहत शिविर में रह रहे 69 वर्षीय इसाह ने बताया, 'भूकम्प के समय तेज गड़गड़ाने की आवाज आई, मानों विमान ऊपर से गुजर रहा हो। मैं इतना डर गया था कि तुरंत वहां से भागने लगा। गौरतलब है कि दिसंबर में भी ज्वालामुखी फटने से आई सुनामी में 400 लोगों की मौत हो गई थी।

अफगान शांति वार्ता की सराहना की ट्रंप ने

वाशिंगटन, 3 अगस्त (एएफपी/भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को तालिबान के साथ शांति वार्ता में 'प्रगति' की सराहना की। साथ ही कहा कि उनके पास अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्से को कुछ ही दिन में मिटाने की क्षमता है लेकिन वह लाखों लोगों को मारना नहीं चाहते।

ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, 'हमने बहुत प्रगति की है। हम बात कर रहे हैं।' ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना लगभग दो दशक तक संघर्ष करती रही, 'दो दिन या तीन दिन या चार दिन में अफगानिस्तान को जीत सकती थी, लेकिन मैं एक करोड़ लोगों को मारना नहीं चाहता।' उन्होंने जुलाई में भी इसी तरह की टिप्पणी की थी।

ट्रंप ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करेगा क्योंकि तालिबान के साथ शांति वार्ता अंतिम चरण में है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक 'अच्छा तालमेल' बना लिया है, जिनसे वह पिछले हफ्ते अपने ओवल ऑफिस में मिले थे। ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, 'हम पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पिछले हफ्ते, मैं पाकिस्तान के एक सज्जन व्यक्ति से मिला, जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है।

मेक्सिको में एक सप्ताह में तीन पत्रकारों की हत्या

मेक्सिको सिटी, 3 अगस्त (एएफपी)।

मेक्सिको में शुक्रवार को दो पत्रकारों की गोली मार कर हत्या कर दी गई जिसके साथ ही देश में इस सप्ताह अब तक तीन पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। वेराक्रूज प्रांत की राजधानी पॉलिनो डोमिंगेज के महापौर ने बताया कि शुक्रवार रात को 'एल ग्राफिको दे जालपा' अखबार के पत्रकार जॉर्ज सेलेस्टिनो रूज की हत्या कर दी गई।

प्रांत के गृह सचिव ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है।

पुलिस से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि पिछले साल अक्तूबर में रूज के घर पर गोलीबारी हुई थी और उन्हें डराने-धमकाने के लिए उनके वाहन पर भी गोली चलाई गई थी। प्रांत के गृह सचिव ह्यूगो गुतिएरेज ने ट्विटर पर घटना की 'कड़ी निंदा' करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है।

स्थानीय अभियोजन कार्यालय के अनुसार घटना से 24 घंटे से भी कम समय पहले ऑनलाइन समाचार वेबसाइट 'ला वरदाद दे जिहुआतानेजो' के निदेशक एदगार अल्वारो नावा की दक्षिणी प्रांत गुएरेरो में गोली मार कर हत्या कर दी गई।

मंगलवार को न्यूज वेबसाइट 'गुएरेरो अल इंस्तांते' के प्रमुख रोजेलियो बैरागन का शव मोरेलोस प्रांत में कार में मिला था।'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने कहा कि इस साल मेक्सिको में गुरुवार तक आठ पत्रकार मारे गए हैं।

स्विमिंग पूल में क्लोरीन रिसने से चीन में 38 बीमार

बेजिंग, 3 अगस्त (भाषा)।

बेजिंग के एक स्विमिंग पूल में संदिग्ध रूप से क्लोरीन लीक होने से 38 लोग बीमार पड़ गए। सरकारी अखबार चाइना डेली ने बताया कि फंगशान जिले के पूल 'रुइलाई' में वाकया हुआ। इससे प्रभावित हुए कुल 38 लोगों को उल्टी और बेचैनी की शिकायत होने के बाद पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 23 को बाद में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लीक में शामिल संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

रालोट्रेनर्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 73–74, फेज–III, इंडस्ट्रियल एरिया, दारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा–123 106
ई–मेलः cs.rollatainers@gmail.com
वेबसाइटः www.rollatainers.in
टेलीः 01274–243326, 242220

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित 29(1)(ए) के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडलोन व समग्र) पर विचार करने व अनुमोदन के लिए मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को आयोजित किया जाना निर्धारित है।

उक्त सूचना बीएसई http://www.bseindia.com/ और एनएसई https://www.nseindia.com/ की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है।

रोलाट्रेनर्स लिमिटेड के लिए
दिनांकः 03.08.2019 पंकज महेंद्रू
स्थानः नई दिल्ली (कंपन सचिव)

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड

CIN : L21093DL1980PLC010492
पंजी. कार्यालयः कार्यालय नं. 205, दूसरी मंजिल, बिल्डिंग नं. 4326, स्ट्रीट नं. 3, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली–110002
ई–मेलः magnumventures@gmail.com
Web : www. Magnumventures.in

सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हैं, के अनुपालन में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक की बैठक 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन के साथ–साथ रिकॉर्ड में लेने के लिए सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को दोपहर 2.00 बजे कंपनी के निगमित कार्यालय 18/31, साइट–IV, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद–201010 में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in के इनवेस्टर संबंध भाग में भी उपलब्ध है और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् www.bseindia.com & www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./–
स्थान : दिल्ली प्रदीप कुमार जैन
दिनांक : 03, अगस्त, 2019 प्रबंध निदेशक

स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

CIN - U74999UP2016PLC084473
वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com
ई–मेलः spaceincubatrics@gmail.com
संपर्क सूत्र– 01232-261288
पंजी0 कार्यालयः पवन पुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0) – 201206

सूचना

सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध प्रतिज्ञापत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम–2015 के विनियम 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही की अवधि के कम्पनी के अलेखापरिक्षित वित्तीय परिणामों व अन्य विषयों पर विचार करने एवं स्वीकृत करने हेतु मंगलवार, 13 अगस्त 2019 को पंजीकृत कार्यालय पर होगी। उक्त सूचना व अलेखापरिक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com व स्टाक एक्सचेंज BSE की वेबसाइटः www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0
हस्ताक्षर
(खुशबू सिंघल)
स्थानः मुरादनगर कम्पनी सचिव व
दिनांकः 03.08.2019 अनुपालन अधिकारी

GOLKONDA ALUMINIUM EXTRUSIONS LIMITED

(Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited)
Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi - 110035, India

NOTICE

Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 13th August, 2019 at New Delhi, to consider and take on record, inter alia, the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2019.

For Golkonda Aluminium Extrusions Limited
Place: New Delhi Sd/-
Date: 03rd August, 2019 Whole-time Director

DR. M. INDUSCORP LIMITED

(Formerly Known as Dr. M. Soy Proteins Limited)
Regd.Office: 18B/1, Ground Floor,Dev Nagar, D.B.Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005. Tel: +91-11-28718806
Website: www.drminduscorp.com
Email: drmsoy@gmail.com
CIN: L01119DL1986PLC023698

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (a) read with regulation 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. Notice is hereby given that Meeting of Board of Directors of the company will be held at 03.00 P.M. on Tuesday,13th August 2019, at its registered office to inter-alia consider among other items, Unaudited Financial results for the Quarter ended on 30th June, 2019.

In accordance with Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons of the Company pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the Trading Window of the Company is already closed from 1st July, 2019 and shall reopen after Forty Eight hours from the conclusion of the Meeting of the Board of Directors.

The Notice may be accessed on the Company's website at http://www.drminduscorp.com and may also accessed on the Stock Exchange at http://www.msei.in.

For DR. M. Induscorp Limited
Sd/-
New Delhi Prem Prakash
03.08.2019 (Managing Director)

UJALA COMMERCIALS LIMITED

Regd. Off.: A-6/343B, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063,
E-mail id: csujala.commercial@gmail.com
Website: www.ujalacom.in
CIN: L51909DL1985PLC021397
Ph: 011-49879687

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, August 10, 2019, at 11:00 am at registered office of the Company inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019 (the" Financial Results") and any other item with the permission of Chair.

A copy of this Notice and Financial Results shall also be available at the Company's website www.ujalacom.in and the website of the Stock Exchange www.msei.in.

For Ujala Commercials Limited
Sd/-
Ganesh Ray
Place : New Delhi Director
Date : 03.08.2019 DIN: 00463635

Shivalik Bimetal Controls Ltd.

Regd. Office : Plot No. 16-18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan-173213 (HP),
Ph: +91-11-26027174, 26026362, E-mail: investor@shivalikbimetals.com,
website: www.shivalikbimetals.com, CIN: L27101HP1984PLC005862

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 12th day of August, 2019, inter alia, to consider and approve the following:

i. The Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019;
ii. The Consolidated Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2019, and
iii. To fix the date of Annual General Meeting & Book Closure dates/record date.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.shivalikbimetals.com and may also be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com.

In pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window of the Company remains closed from 01st July, 2019 to 14th August, 2019 (both days inclusive).

For Shivalik Bimetal Controls Limited
Sd/-
Place: New Delhi Aarti Jassal
Dated: 03rd August, 2019 Company Secretary

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

वसूली विभाग मंडल कार्यालय – मध्य दिल्ली, चतुर्थ तल, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली –110008, फोन नं. 011–25713518, ई–मेल : cocdelrd@pnb.co.in

शुद्धिपत्र **ई–नीलामी बिक्री सूचना**

दिनांक 22.07.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक शाखा एआरएमबी, नई दिल्ली के **कर्जदार** मैसर्स वी विज इंडिया प्रा. लि. **(क्र.सं. 4) की सम्पत्ति की ई–नीलामी 21.08.2019 होनी थी। हम इस खातें की सम्पत्ति की ई–नीलामी को निरस्त करते है।**

दिनांक 03.08.2019, स्थान नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी : पंजाब नैशनल बैंक

ARCOTECH LIMITED

CIN: L34300HR1981PLC012151, 181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Distt. Rewari, Haryana-123501 Website: www.arcotech.in, email: contact@arcotech.in, Tel: 0128-4264160

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 13th August, 2019 at F-701A, Lado Sarai, New Delhi-110030 inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019.

Further, in pursuant of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading window was closed from 1st July 2019 and would remain closed till 15th August, 2019 (Both Days Inclusive) for the purpose of declaration of Un-Audited financial results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2019.

Intimation is also available on the website of the company (www.arcotech.in) and Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

FOR ARCOTECH LIMITED
Sd/-
Place: New Delhi KRISHAN KUMAR MISHRA
Date: 03.08.2019 COMPANY SECRETARY

सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN - L17111UP1988PLC009594
पंजी0 कार्यालयः पवन पुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0) – 201206 (भारत)
Website: www.sybly.com
Email: sybly@rediffmail.com

सूचना

सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध प्रतिज्ञापत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम–2015 के विनियम 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही की अवधि के कम्पनी के अलेखापरिक्षित वित्तीय परिणामों व अन्य विषयों पर विचार करने एवं स्वीकृत करने हेतु मंगलवार, 13 अगस्त 2019 को पंजीकृत कार्यालय पर होगी। उक्त सूचना व अलेखापरिक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइटः www.sybly.com व स्टाक एक्सचेंज BSE की वेबसाइटः www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
हस्ताक्षर
(साक्षर अग्रवाल)
स्थानः मुरादनगर
दिनांकः 03.08.2019 कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443, Website : www.aplapollo.com
Registered Office : 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
Corporate Office : 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Delhi NCR 201010
Email : investors@aplapollo.com, Tel.: +91-120-4041400, Fax : +91-120-4041444

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 10th August, 2019 at the Corporate Office of the Company at 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Delhi-NCR, Distt. Ghaziabad -201010, to inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the first quarter ended 30th June, 2019.

For APL APOLLO TUBES LIMITED
Sd/-
Place : Ghaziabad Adhish Swaroop
Date : 03.08.2019 Company Secretary

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

CIN: L51909DL1984PLC019485
9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi - 110006
Email ID: cs@neccgroup.com, Tel No.: 011-23517516-19

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby give notice that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, August 13, 2019** *inter alia*, to consider and approve un-audited Financial Results for the first quarter ended on June 30, 2019.

Further, it is informed that as per Company's Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the 'Trading Window' is already closed from July 1, 2019. The window will be opened from the conclusion of 48 hours from the declaration of un-audited Financial Results of the Company.

The information is also available on the Website of the Company **www.neccgroup.com** and on the website of Stock Exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com.**

On behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Sunil Kumar Jain)
Date : 03.08.2019 Chairman & Managing Director
Place : Delhi DIN: 00010695

YMS MOBITECH PRIVATE LIMITED

(UNDER LIQUIDATION)
LIQUIDATOR OFFICE :- PRABHJIT SINGH SONI
GG1/144/C, NEAR P V R CINEMA, VIKAS PURI,
NEW DELHI 110018., 9810262299
LIQUIDATIONYMS@GMAIL.COM , PSGURLEENSONI@GMAIL.COM

E-AUCTION SALE NOTICE

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and regulation thereunder, that the properties stated in Table below, will be sold by **E-Auction** through the service provider **M/ s YMS Mobitech Private Limited** - via website http://www.eauctions.co.in

Date and Time of Auction	TUESDAY 16.08.2019 between 01:00 P.M. to 03:00 P.M.
Last Date for Submission of EMD	13.08.2019 before 05:00 P.M
Inspection Date & Time	On 10.08.2019 between 12.00P.M. to 05:00 P.M. The person to be contacted for inspection is Mr. P.S. Contact No. 9810262299

Lot No.	Particulars	Reserve Price	EMD
1	AROUND 5100 MOBILE PHONES USED HANDSET of ALL BRANDS UPTO 2017 MODEL	54,00,000	5,00,000

The EMD (Refundable) shall be payable by interested bidders through NEFT/RTGS on or before- 08.09.2019 in an account of **"YMS Mobitech Private Limited (Under Liquidation)"** having **Account No. 148311031126** and **IFSC Code BKDN0711483** OR by DD/Pay order favouring **"YMS Mobitech Private Limited (Under Liquidation)"**.For detailed terms & conditions of E-auction sale, refer **TENDER DOCUMENTS** available on http://www.eauctions.co.in/ or www.sunresolution.in. For any query regarding E- Auction, contact **Mr. Dixit Prajapati** (M:7874138237) on admin@eauctions.co.in or Liquidator on liquidationyms@gmail.com.

PRABHJIT SINGH SONI
(LIQUIDATOR)
Appointed by HON'BLE NCLT, ALLAHABAD BENCH
FOR YMS MOBITECH PRIVATE LIMITED (UNDER LIQUIDATION)
LIQUIDATIONYMS@GMAIL.COM IBBI/IPA-002/IP-N00065/2017-18/10143
DATED 3 August, 2019 PLACE NEW DELHI 9810262299

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

NIMBUS
(CIN: L74899DL1993PLC055470)
पंजीकृत कार्यालयः 1001–1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
ईमेल : info@nimbusgroup.net वेबसाइट : www.nimbusprojectsltd.com
फोन : +91-11-42878900, फैक्स : +91-11-41500023

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियमन 47 के साथ पढ़ें नियमन 29 के अनुसार, कम्पनी के 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की विचार करने तथा अनुमोदन हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार 12 अगस्त, 2019 को आयोजित की जायेगी।

कथित सूचना बीएसई लिमिटेड **(www.bseindia.com)** के वेबसाइट जहां पर कंपनियों की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध है, उपलब्ध है तथा कंपनी की वेबसाइट **(www.nimbusprojectsltd.com)** पर भी उपलब्ध है।

कृते निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
हस्ता/–
स्थानः नई दिल्ली (साहिल अग्रवाल)
दिनांकः 03 अगस्त, 2019 (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

मै. इमोर्टल बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. इमोर्टल बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	01.07.2013
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U70101DL2013PTC254626
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय का पता	एमसीए के अभिलेखों के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः 1 मैन रोड, मौजपुर, दिल्ली उत्तर पूर्व दिल्ली एल 110053
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि	31 जुलाई, 2019 (आई.बी.सं. 1152/एनडी/2019 में एनसीएलटी, दिल्ली पीठ ने आदेश तिथि 24.7.2019 पारित किया। अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल को अपलोड की गई रूप में 31 जुलाई, 2019 को आदेश प्राप्त हुई।)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	20 जनवरी, 2020, आवेदन की स्वीकृति की तिथि से 180 दिन
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल (आईआरपी) के रूप में कार्यरत है	श्री रंजन चक्रवर्ती IBBI/IPA-002/IP-N000541/2017-2018/11618
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	फ्लैट नं. 522, सेक्टर–17डी, कोणार्क एन्क्लेव, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 ईमेलः ranjanns@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	फ्लैट नं. 522, सेक्टर–17डी, कोणार्क एन्क्लेव, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 ईमेलः irpimmortal@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	13 अगस्त, 2019 अर्थात् सीआईआरपी की नियुक्ति की तिथि से 14 दिन अर्थात् आदेश 31 जुलाई, 2019 को प्राप्त हुई।
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्तमान में लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	वर्तमान में लागू नहीं
14.	क) संबंधित प्रपत्र तथा ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	i) वेबलिंकः www.ibbi.gov.in/home/downloads ii) भौतिक पताः वही जो प्वाइन्ट 10 में वर्णित है, तथा iii) ईमेल आईआरपीः irpimmortal@gmail.com लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 24 जुलाई, 2019 को मै. इमोर्टल बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा आदेश 31 जुलाई, 2019 को प्राप्त की गई। एतद्द्वारा मै. इमोर्टल बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 13 अगस्त, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (वर्तमान में कोई नहीं) प्रविष्टि सं.13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं। लागू नहीं

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

रंजन चक्रवर्ती
स्थानः नई दिल्ली एनसीआर (अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल)
तिथिः 02.08.2019 पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00541/2017-2018/11618

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

(A Govt. of India Undertaking)
जेड ओ एस ए आर बी, 13वीं तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

शुद्धि पत्र

दिनांक 03.08.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स बूम शार्पिंग प्रा. लि., मैसर्स बूम एग्रो प्रा. लि. और राकेश सिंह के खातें** की विभिन्न सम्पत्ति ई–नीलामी में लगी है।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि नियम एवं शर्तों की क्र.सं. 7 में : यदि लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज–2, गल्फ पेट्रोलियम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गांव, हरियाणा–122015 हैल्पलाइन नं. +91-124-4302020/21/22/23/24 सम्पर्क व्यक्ति श्री गणेश पाटिल 9821690968 ईमेल ganesh.patil@c1india.com, हरिश गौड़ा 9594597555, भगत सिंह - 7291981129, मो. 7291981134/25/26 हैल्पलाइन ईमेल support@bankeauctions.com से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com **के स्थान पर**

यदि लॉगइन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि, बी - 704-5 वॉल स्ट्रीट–II, ओरिएंट क्लब के विपरीत गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा **06351896834** ईमेल **delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net** श्री नितिन झा- **7982880393,** हैल्पलाइन नं. **079-61200595/520/548.** हैल्पलाइन ई-मेल **support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net पढ़ा जाये।**

कर्जदार/गारंटर का नाम त्रुटिवश मैसर्स बूम एग्रो प्रा. लि. लिखा गया था, संशोधित नाम मैसर्स बूम एग्रो इंडिया प्रा. लि. पढ़ा जाए।

और हम यह भी सूचित करते है कि खाता बूम शार्पिंग के मामले में मांग सूचना का विवरण और बकाया राशि में "दिनांक 31.07.2015 तक के स्थान पर दिनांक 30.06.2015 पढ़ा जाए। और खाता राकेश सिंह के मामले में " दिनांक 19.11.2015 के स्थान पर दिनांक 18.11.2015 तक (दिनांक 21.10.2015 तक ब्याज शामिल) पढ़ा जाएं।

शेष नियम व शर्तें पहले अनुसार ही रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली, दिनांक : 04-08-2019 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

इण्डोगल्फ डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	इण्डोगल्फ डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	29 जून, 1998
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	CIN: U85110DL1998PTC094739
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी. कार्यालयः 1506, हेमकुन्ट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 कॉर्पोरेट कार्यालयः बी–498ए, सेक्टर–19, नोएडा–201301
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	31 जुलाई, 2019 (आदेश प्राप्ति की तिथि 1 अगस्त, 2019)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	26 दिसम्बर, 2019 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल (आईआरपी) के रूप में कार्यरत है	अजय गोयल पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00382/2017-18/10639
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	49ए, डीडीए साइट नं. 1, एम ब्लॉक, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060 ईमेलः ajaygoyalca75@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	49ए, डीडीए साइट नं. 1, एम ब्लॉक, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060 ईमेलः ip.indogulf@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	14 अगस्त, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	क) संबंधित प्रपत्र तथा ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) वेबलिंकः www.ibbi.gov.in/home/downloads क) कॉलम नं. 10 में वर्णित पते पर उपलब्ध है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 31 जुलाई, 2019 को इण्डो–गल्फ डॉयग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा इण्डो–गल्फ डॉयग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पत्राचार के पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 14 अगस्त, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग (लागू नहीं) से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (लागू नहीं) प्रविष्टि सं.13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 03.08.2019 अजय गोयल
स्थानः नई दिल्ली अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
इण्डो–गल्फ डॉयग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के लिये

Form No.:5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007.
(Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

Summons for filling Reply & Appearance by Publication
O.A. No. 1602 OF 2018

Summons to defendants under Section 19(4) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993)

Syndicate Bank, Ghaziabad Main Branch,.................Applicant.
Versus
M/s Concord Alloys and Others........................Defendants

To,
Defendants:

1- M/s Concorde Alloys Pvt. Ltd. Registered Office: B-/206, Milan Vihar, Plot No. 72, I.P. Extension, Patparganj, New Delhi- 110092. **Factory Address:** M/s Concorde Alloys Pvt. Ltd., A-7/46-47, South side of G.T. Road, Electrosteel Compound, Ghaziabad.
2- Mr. Vibhor Agarwal S/o Sri Virendra Agarwal R/o H-26, Sector-39, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, UP.
3- Mr. Virendra Agarwal S/o Late Ram Chandra R/o H-26, Sector-39, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, UP.
4- Mr. Sanjeev Gupta S/o Sri Budh Prakash Gupta R/o KB-149, Kavi Nagar, Ghaziabad.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **14/08/2019** at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my Hands and Seal of this Tribunal on 31 Day of July, 2019.

Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

पहली पारी में मेजबान टीम को 90 रन की बढ़त

इंग्लैंड की स्थिति मजबूत

बर्मिंघम, 3 अगस्त (एएफपी)।

स्टुअर्ट ब्राड ने निचले क्रम पर उपयोगी रन बनाने के बाद आस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को दूसरी पारी में सस्ते में आउट करके पहले एशेज टैस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया ।

वार्नर चाय के तुरंत बाद अपना विकेट गंवा बैठे। आस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में एक विकेट पर 13 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के पास अभी भी 77 रन की बढ़त है। इससे पहले आस्ट्रेलिया के पहली पारी के 284 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 374 रन पर आउट हो गई जिससे उसे 90 रन की बढ़त मिल गई। रोरी बर्न्स ने करीब आठ घंटे बल्लेबाजी कर-के 133 रन बनाए जो उनका पहला टैस्ट शतक है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (57) और उपकप्तान बेन स्टोक्स (50) ने अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड ने लंच से पहले चार रन के भीतर तीन विकेट गंवा दिए। क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्राड ने नौवें विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की। एक समय इंग्लैंड का स्कोर आठ विकेट पर 300 रन था। वोक्स ने नाबाद 37 और ब्राड ने 29 रन बनाए।

एशेज

शतक ठोकने के बाद दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते इंग्लैंड रोरी बर्न्स।

जेम्स एंडरसन चोटिल होने के बावजूद मैदान पर उतरे। वह आस्ट्रेलिया की पहली पारी में चार ओवर ही डाल सके थे। वह हालांकि तीन रन बनाकर नाथन लियोन की गेंद पर आउट हुए। आस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने 33 ओवर में 84 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि आफ स्पिनर नाथन लियोन ने 43.5 ओवर में 112 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

लवलीना, नीरज को उमाखानोव स्मृति मुक्केबाजी में स्वर्ण

नीरज ने 57 किलोवर्ग में पूर्व विश्व चैंपियन अलेसिया मेसियानो को मात दी।

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा) ।

लवलीना बोरगोहेन और नीरज ने रूस में चल रहे मागोमेड सलाम उमाखानोव स्मृति अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता जबकि गौरव सोलंकी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाजों ने इस टूर्नामेंट में छह पदक जीते जिनमें दो स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक जीते।

इंडिया ओपन स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने 57 किलोवर्ग में पूर्व विश्व चैंपियन अलेसिया मेसियानो को 3-0 से मात दी। लवलीना ने 69 किलो वर्ग में असुंता कैनफोरा को 3-2 से मात दी। पूजा रानी को मिडिलवेट (75 किलो) के सेमी फाइनल में रूस की अन्ना अनफिनोजिनोवा ने हराया।

रंकीरेड्डी और शेट्टी की जोड़ी फाइनल में

बैंकाक, 3 अगस्त (भाषा)।

सत्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने शनिवार को थाईलैंड ओपन के सेमी फाइनल में कोरिया के सुंग ह्यून और शिन बेक शेओल को शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की की। गैर वरीय भारतीय जोड़ी ने अंतिम चार के इस मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर काबिज कोरियाई जोड़ी को 63 मिनट तक चले मुकाबले में 22-20, 22-24, 21-9 से शिकस्त दी।

विश्व रैंकिंग में 16वें स्थान पर काबिज यह भारतीय जोड़ी 2019 सत्र में पहली बार फाइनल में पहुंची है। उसे चैंपियन बनने के लिए अब रविवार को चीन की ली जुन हुई और लियू यू चेन की जोड़ी की चुनौती से पार पाना होगा। चीन की इस जोड़ी ने एक अन्य सेमी फाइनल में जापान के हिरोयुकी एंडो और युता वाजानाबे की जोड़ी को 21-13, 22-20 से शिकस्त दी।

थाईलैंड ओपन

राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता रंकीरेड्डी और शेट्टी की जोड़ी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले गेम में कारियाई जोड़ी ने 3-0 और फिर ब्रेक के समय 11-10 की बढ़त हासिल कर ली। ब्रेक के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लय हासिल करते हुए स्कोर को 13-13 से बराबरी करने के बाद 20-18 की बढ़त कायम कर ली। ह्यून और शेओल ने लगातार दो अंक बनाकर स्कोर एक बार फिर 20-20 कर दिया लेकिन भारतीय जोड़ी ने लगातार दो अंक बनाकर पहला गेम अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में अच्छी शुरुआत की और 3-0 की बढ़त हासिल कर ली। कोरियाई खिलाड़ियों ने हालांकि वापसी करते हुए स्कोर 11-9 और फिर 19-12 कर लिया। रंकीरेड्डी और शेट्टी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे उन्होंने वापसी करते हुए स्कोर को 20-20 से बराबर किया। दोनों टीमों के बीच कड़े संघर्ष के बाद कोरियाई जोड़ी से 24-22 से गेम अपने नाम किया। तीसरा गेम भारतीय खिलाड़ियों के लिए बिलकुल एकतरफा साबित हुआ जिसमें उन्होंने कोरियाई जोड़ी को कोई मौका दिए बिना 21-9 से जीत दर्ज की।

राष्ट्रमंडल खेल के बहिष्कार पर फैसला अगले महीने

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा) ।

भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी परिषद अगले महीने होने वाली बैठक में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बहिष्कार को लेकर फैसला लेगी।

आइओए महासचिव राजीव मेहता ने शनिवार को यह जानकारी दी। आइओए ने निशानेबाजी को हटाए जाने के विरोध स्वरूप बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा है। मेहता ने प्रेस ट्रस्ट से कहा, कई खिलाड़ियों और कुछ राष्ट्रीय खेल महासंघों ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के उनके अधिकार की बात कही है। इन सभी पर गौर करते हुए हमारी कार्यकारी परिषद की बैठक अगले महीने होगी और इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया कि आइओए ने 2015 में हुई आमसभा में अनिवार्य खेलों के संबंध में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के संविधान में संशोधन में निशानेबाजी का मसला नहीं उठाया।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत की दहलीज पर भारत 'ए'

पोर्ट ऑफ स्पेन, 3 अगस्त (भाषा)।

ऑफ स्पिनर कृष्णप्पा गौतम के पांच विकेट के बाद मयंक अग्रवाल की 81 रन की पारी से भारत 'ए' ने दूसरे अनधिकृत टैस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन वेस्ट इंडीज 'ए' के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त लेने के लिए भारत को चौथी पारी में जीत के लिए 278 रन का लक्ष्य मिला और तीसरे दिन स्टंप्स तक टीम ने तीन विकेट पर 185 रन बना लिए। मैच के अंतिम दिन भारत को जीत के लिए 93 रन की जरूरत है।

अनधिकृत टैस्ट

वेस्ट इंडीज 'ए' ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 12 रन से की और पूरी टीम 149 रन पर आउट हो गई। दूसरी पारी में सुनील अंबरीश (71) और जेरेमाइन ब्लैकवुड (31) ही भारतीय गेंदबाजों का सामना कर सके। दोनों ने 65 रन की साझेदारी की। गौतम ने 17 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि संदीप वारियर ने 43 रन देकर तीन खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।

जीत के लिए 278 रन का पीछा करने उतरी भारत 'ए' को प्रियांक पांचाल (121 गेंद में 68 रन) और मयंक अग्रवाल (134 गेंद में 81 रन) ने शानदार शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 150 रन की साझेदारी को रेमंड रीफर (44 रन पर एक विकेट) ने तोड़ा। इसके बाद हालांकि टीम ने जल्दी-जल्दी दो और विकेट गवां दिए। तेज गेंदबाज चेमार होल्डर ने पहले अग्रवाल और फिर कप्तान हनुमा विहारी (एक रन) का विकेट लेकर वेस्ट इंडीज की वापसी कराई। स्टंप्स के समय क्रीज पर अभिमन्यु ईश्वरन (16) के साथ अनमोलप्रीत सिंह (चार) मौजूद हैं।

भारत ने वेस्ट इंडीज को चार विकेट से हराया

लॉडेरहिल, 3 अगस्त (भाषा) ।

नए तेज गेंदबाज नवदीप सैनी के तीन विकेट की मदद से भारत ने पहले टी-20 मैच में वेस्ट इंडीज को नौ विकेट पर 95 रन पर रोककर चार विकेट से जीत दर्ज की लेकिन आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए आधे से ज्यादा विकेट गंवाने से एक बार फिर बल्लेबाजी की कलई खुल गई।

पहला टी-20

पहले गेंदबाजी चुनने वाली भारतीय टीम के सभी छह गेंदबाजों ने कम से कम एक एक विकेट लिया। सैनी ने अपने पहले ही मैच में 17 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रहा। विश्व कप में मध्यक्रम की विफलता झेलने वाले भारत ने आसान सा लक्ष्य हासिल करने की राह में छह विकेट गंवा दिए। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 24 रन बनाए जबकि फिट होकर टीम में लौटे शिखर धवन एक ही रन बना सके। कप्तान विराट कोहली और मनीष पांडे दोनों ने 19-19 रन का योगदान दिया। वहीं विकेटकीपर ऋषभ पंत खाता ही नहीं खोल सके। रविंद्र जडेजा (नाबाद 10) ने वाशिंगटन सुंदर (नाबाद आठ) के साथ टीम को जीत तक पहुंचाया।

वेस्ट इंडीज टीम के लिए शेल्डन कोटरेल, कीमो पाल और सुनील नारायण ने दो दो विकेट लिए। इससे पहले वेस्ट इंडीज के लिए सबसे बड़ी 34 रन की साझेदारी कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट (नौ) और कीरोन पोलार्ड (49) के बीच हुई। निकोलस पूरन (20) दोहरे अंक तक पहुंचने वाले वेस्ट इंडीज के दूसरे बल्लेबाज रहे। भारत के लिए गेंदबाजी का आगाज आफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने किया और दूसरी ही गेंद पर जान कैंपबेल को डीप मिडविकेट में कृणाल पंड्या के हाथों लपकवाया। सलामी बल्लेबाज एविन लुईस दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का शिकार हुए । भुवनेश्वर ने 19 रन देकर दो विकेट चटकाए। दोनों सलामी बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके और वेस्ट इंडीज का स्कोर दो विकेट पर आठ रन हो गया। सैनी ने पांचवें ओवर में दो गेंद के भीतर दो विकेट लिए।

सैनी ने अपने पहले ही मैच में 17 रन देकर तीन विकेट चटकाए।
भारत ने आसान सा लक्ष्य हासिल करने की राह में छह विकेट गंवा दिए।

दो छक्के लगाने वाले पूरन बड़ा शाट लेने के प्रयास में विकेटकीपर ऋषभ पंत को आसान कैच दे बैठे। शिमरोन हेटमाएर (0) के रूप में सैनी ने दूसरा विकेट लिया। रोवमैन पावेल (चार) को अगले ओवर में खलील अहमद ने पवेलियन भेजा। पावरप्ले के आखिर में वेस्ट इंडीज का स्कोर पांच विकेट पर 33 रन था। पोलार्ड और ब्रेथवेट ने मिलकर 34 रन जोड़े। ब्रेथवेट 15वें और सुनील नारायण 16वें ओवर में आउट हो गए।

तटस्थ अंपायरों को रखने के फैसले को बदलने की जरूरत : पोंटिंग

सिडनी, 3 अगस्त (एएफपी)।

पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने एशेज श्रृंखला के पहले टैस्ट में कई गलत फैसलों के बाद शनिवार को कहा कि क्रिकेट मैचों में तटस्थ अंपायर रखने की जरूरत को बदलने की आवश्यकता है। एजबेस्टन में चल रहे इस टैस्ट के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान के अलीम डार और वेस्ट इंडीज के जोएल विल्सन के कई फैसलों की आलोचना हो रही है। इनके कई फैसलों को समीक्षा प्रणाली द्वारा बदला गया।

पोंटिंग मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के क्रिकेट समिति का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो। उन्होंने क्रिकेट आस्ट्रेलिया वेबसाइट से कहा कि खिलाड़ियों ने आपस में इस पर काफी बातें कर ली हैं। अगर अगली एमसीसी बैठक में इस मुद्दे को नहीं उठाया गया तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि इसे एजंडे में शामिल किया जाए।

पोंटिंग ने कहा कि मैं सोचना चाहूंगा कि अब खेल यहां तक पहुंच गया है कि अब तटस्थ अंपायर रखने की जरूरत नहीं है। लोग कह सकते हैं कि अब हमारे पास जितनी भी तकनीक है, उसे देखते हुए यह मायने नहीं रखता। लेकिन जब गलत फैसले लिए जाते हैं तो यह देखना अच्छा नहीं लगता। पिछले कुछ सालों में डीआरएस को लेकर काफी नकारात्मकता रही है, लेकिन एजबेस्टन में हम काफी भाग्यशाली रहे।

रिकी पोंटिंग मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के क्रिकेट समिति का हिस्सा हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2002 में तटस्थ अंपायर रखने का फैसला किया था जिससे इंग्लैंड और आस्ट्रेलियाई अंपायर (जिन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में माना जाता है) एशेज श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो सकते।

पाकिस्तान जाएगा श्रीलंका का सुरक्षा दस्ता

कराची, 3 अगस्त (भाषा)।

आइसीसी टैस्ट चैंपियनशिप के तहत अक्तूबर में श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे की सुरक्षा जांच के लिए श्रीलंका क्रिकेट (एससीएल) का दो सदस्यीय दल बुधवार को यहां पहुंचेगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा कि श्रीलंकाई दल कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्थित मैदानों और टीम के ठहरने के होटल का दौरा करेगा। इसके साथ ही यह दल बोर्ड, पुलिस एवं सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात करेगा।

उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई बोर्ड ने बताया है कि वे सुरक्षा दल की रिपोर्ट के आधार पर दो टैस्ट की श्रृंखला के लिए टीम को पाकिस्तान भेजने पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई सुरक्षा दल छह अगस्त को कराची पहुंचेगा और फिर लाहौर और इस्लामाबाद जाएगा। श्रीलंकाई टीम पर मार्च 2009 में हुए आतंकवादी हमले के बाद शीर्ष टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करना छोड़ दिया है।

एक राष्ट्र ग्रिड फ्रीक्वेन्सी

पावरग्रिड

विद्युत का पारेषण राष्ट्र का ऊर्जान्वयन

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालन से कुल आय	9179.63	9535.12	8250.18	35059.12
2.	कर पूर्व लाभ (विनियामक स्थगन खाते में शेष में संचलन सहित (निवल कर))	3402.46	(2158.47)	3735.93	9147.17
3.	अवधि हेतु कर पश्चात् लाभ विनियामक स्थगन खाता शेष में संचलन से पूर्व	2509.10	8486.79	1230.19	12560.39
4.	अवधि हेतु कर पश्चात् लाभ	2502.80	3061.43	2277.87	10033.52
5.	कर के बाद निवल लाभ और अन्य व्यापक आय को मिलाकर कुल व्यापक आय	2489.39	3026.20	2268.07	10017.18
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य: ₹10/- प्रत्येक)	5231.59	5231.59	5231.59	5231.59
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर), तुलनपत्र में दर्शाए गए रूप में				53856.80
8.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, विनियामक की स्थगन खाता शेष में संचलन सहित (प्रति शेयर मूल्य ₹10/-): मूल एवं तनुकृत (₹)	4.78	5.85	4.35	19.18
9.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, विनियामक की स्थगन खाता शेष में संचलन छोड़कर (प्रति शेयर का मूल्य ₹10/-): मूल एवं तनुकृत (₹)	4.80	16.22	2.35	24.01

टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

		समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रमुख एकल वित्तीय जानकारी				
	विवरण				
क)	प्रचालन से कुल आय	8804.11	9218.08	8130.73	34119.12
ख)	कर पूर्व लाभ (विनियामक स्थगन खाते में शेष में संचलन सहित (निवल कर))	3296.24	(2202.81)	3684.12	8962.11
ग)	अवधि हेतु कर पश्चात् लाभ विनियामक स्थगन खाता शेष में संचलन से पूर्व	2434.19	8479.32	1194.02	12465.42
घ)	अवधि हेतु कर पश्चात् लाभ	2427.89	3053.96	2241.70	9938.55
2.	उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए तिमाही समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। तिमाही समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट http://powergridindia.com के निवेशक संबंध खण्ड में तथा बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट http://www.bseindia.com तथा http://www.nseindia.com के कॉर्पोरेट खण्ड में उपलब्ध है।				
3.	जहां आवश्यकता है, वहां पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।				

कृते और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से

हस्ता./-
के. श्रीकांत
निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 अगस्त, 2019

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट सं. 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001
सीआईएन: L40101DL1989GOI038121

हमें फॉलो करें
www.powergridindia.com

महत्वपूर्ण सूचना: सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (कार्वी) के पास अपडेट करें, जिसे भविष्य में ई-मेल के माध्यम से आधिकारिक दस्तावेज भेजने में उपयोग किया जाएगा।

एक 'नवरत्न' कंपनी

मेस्सी पर तीन महीने का प्रतिबंध

असंकिओन, 3 अगस्त (एएफपी)।

लियोनल मेस्सी को कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के दौरान दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ (सीओएनएमईबीओएल) की आलोचना करने पर तीन महीने के लिए राष्ट्रीय टीम से खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन पर 50,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया। पिछले महीने ब्राजील में खेले गए कोपा अमेरिका कप में चिली के खिलाफ तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले के दौरान मैदान से बाहर भेजे जाने के बाद बार्सीलोना के इस खिलाड़ी ने सीओएनएमईबीओएल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

मेजबान टीम के खिलाफ सेमी फाइनल में दो मौकों पर पेनल्टी नहीं मिलने से खफा मेस्सी ने कहा था कि ब्राजील इन दिनों सीओएनएमईबीओएल में बहुत कुछ नियंत्रित कर रहा है। ब्राजील ने इस मुकाबले में अर्जेंटीना को 2-0 से हराया था। अगले मुकाबले में रेफरी ने उन्हें मैदान से बाहर कर दिया जिसके बाद वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सके। टीम की 2-1 से जीत के बाद उन्होंने आरोप लगाया, 'भ्रष्टाचार और रेफरी लोगों को फुटबॉल का लुत्फ लेने से रोक रहे हैं और वे इसे बर्बाद कर रहे हैं।'

सीओएनएमईबीओएल ने अपनी वेबसाइट के जरीए जारी बयान में कहा कि यह प्रतिबंध उनके अनुशासनात्मक नियमों की धारा 7.1 और 7.2 से संबंधित है। इस धारा का मतलब 'आक्रामक, अपमानजनक व्यवहार या किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से हैं।' एक अन्य धारा में 'न्यायिक निकायों के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन करना' शामिल हैं।

इस प्रतिबंध का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस दौरान अर्जेंटीना को कुछ दोस्ताना मुकाबले खेलने हैं। अर्जेंटीना का अगला प्रतिस्पर्धी मैच 2022 विश्व कप के लिए दक्षिण अमेरिकी क्वालीफायर में होगा जो अगले साल मार्च में शुरू होगा।

सीओएनएमईबीओएल ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि यह प्रतिबंध उनके अनुशासनात्मक नियमों की धारा 7.1 और 7.2 से संबंधित है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 259, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली

जनसत्ता
रविवारी
• 4 अगस्त, 2019 •

इजहार-ए-दीवार

गुफा मानव की दीवार से लेकर फेसबुक की दीवार पर अभिव्यक्ति का आमंत्रण कि 'वाट्स इन योर माइंड' (आपके दिमाग में क्या है)। गुफा युग से ही मानव और दीवार का रिश्ता रहा है। यह आदिम अभिव्यक्ति से लेकर विभिन्न ऐतिहासिक कालों से आधुनिक युग तक जनसंपर्क का सबसे बड़ा औजार रहा है। जिसका माध्यम पर कब्जा होगा उसका सत्ता पर भी कब्जा होगा। आज जेएनयू में पोस्टरों पर प्रतिबंध लगाने की कवायद के बाद दीवार लेखन बहसतलब है। दीवारों पर आदिम अभिव्यक्ति और लोक की परंपरा से लेकर सत्ता के दखल तक पर बात कर रहे हैं सुशील राघव और मृणाल वल्लरी।

चर्च को ध्वस्त कर दो... दुनिया के मजदूरों एक हो... स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा... तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा... आप अपनी सरकारों से प्यार किए बिना अपने देश से प्यार कर सकते हैं... दिल्ली चलो, अयोध्या चलो...

नारों और इबारतों से भरी दीवारें सभ्यता की कहानी हैं। गुफा मानव की सबसे पहली अभिव्यक्ति गुफा की दीवारों पर हुई। उसकी जरूरत भोजन से शुरू हुई, तो सबसे पहली अभिव्यक्ति उसी की थी। वह कैसा शिकार करता है, शिकार के पीछे कैसे भागता है, कौन-सा शिकार उसका प्रिय भोजन है यह दीवारों पर उकेरना शुरू किया। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह दीवार पर उतरना शुरू हुआ। फिर इच्छाओं का विकास हुआ, उसे कैसा साथी चाहिए इसका भी इजहार दीवार पर हुआ। खंडहरों और ऐतिहासिक किलों में मिलते प्रेमी जोड़े 'दीवार पर लिखना मना है' के बगल में 'राज लव्स सिमरन' लिख कर अपना प्रेम दर्ज कर जाते हैं।

'वाट्स इन योर माइंड (आपके दिमाग में क्या है)' फेसबुक अपनी दीवार पर आज भी यही पूछ कर दो शब्द से लेकर हजारों शब्दों तक लिखवा डालता है। कल गुफा की दीवार पर आदिमानव का शिकार था, तो आज फेसबुक की दीवार पर जन्मदिन की बधाई से लेकर आज क्या खाया-पकाया है। गुफा मानव चित्र के द्वारा अभिव्यक्ति करता था तो इंटरनेट मानव के पास इमोजी है। हंसी, शर्म, गुस्सा, प्रणाम, मुक्का सबकी अभिव्यक्ति के लिए चित्र हैं। कागज के आविष्कार के पहले दीवार ही तो थी। इंसान और दीवार के बीच तीसरा कोई नहीं होता, तो अभिव्यक्ति दीवारों पर ही उभरती है। कई जेलें जहां दीवारों के सिवा कुछ नहीं था, वहां दीवारें कैदियों की कागज बनी। जेल की दीवारों पर कैदियों के उभरे भावों को लेकर कई मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन कर यह जानने की कोशिश की है कि इंसान के दिमाग को अपराध-मुक्त करने में दीवारों के पहरे की कोई भूमिका होती भी है या नहीं।

इंटरनेट की दीवार निजता की दीवार तोड़ कर सार्वजनिकता में भी प्रवेश करती है। एक ने वाट्सऐप पर कुछ लिखा और वह कई समूहों तक पहुंच गया। आपके फेसबुक की दीवार आपका पूरा चरित्र-चित्रण करती है, सिर्फ सेल्फी लगाई है या वैचारिकता का भी बोझ उठाया है। अपना कुछ लिखा है या दूसरों के शब्दों की उधारी है। दुनिया घूम-फिर कर दो शब्दों पर आती है लोक और परंपरा। अब चाहें हम पहली परंपरा की बात कर लें, दूसरी की या तीसरी की। सभ्यता ने जबसे दीवार का आविष्कार किया उस पर काबिज होने की सत्ता बनाम लोक की जंग छिड़ गई।

आज भी पारंपरिक हिंदू शादी का पहला करार दीवार से शुरू होता है। उत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों में शादी की रस्मों में सबसे अहम है कोहबर लिखना। कोहबर के सैकड़ों गीत अब भी जीवित हैं और गाए जा रहे हैं। लड़की और लड़के का नाम एक साथ लिख कर मंगलकामना लिखी जाती है। पहले घर की पुताई और रंग-रोगन के वक्त इस मंगलकामना को सुरक्षित रख लिया जाता था। एक पीढ़ी के बाद जब अगली पीढ़ी आगे बढ़ती तो दीवार की मंगलकामना उसी तरह उसके नाम हो जाती, जिस तरह जमीन और जायदाद की वसीयत में उसका नाम आ जाता है। कोहबर की मंगलकामना का मालिकाना बदलता है। जन्म से लेकर शादी और मृत्यु के बाद श्मशान में दीवारों पर लिखे मरघट साहित्य पर भी नजर पड़ती है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे।

दीवारें लोक और परंपरा की कहानी कहती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में दीवार की ईंटों पर लिखे को पढ़ने की कोशिश भूत को समझ भविष्य से सतत संवाद के लिए ही है। सिंधु सभ्यता से लेकर दक्षिण भारत के मंदिर हों वहां की दीवारों ने वहां का इतिहास दर्ज कर लिया है। आधुनिक भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती भारतीय रेलों के साथ पूरे भारत की दीवार लेखन और लोककला के दर्शन होते हैं। बिहार में मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों को स्थानीय कलाकारों ने मिथिला पेंटिंग से सजा दिया। पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र कई रेलवे स्टेशनों पर वहां के स्थानीय कलाकारों ने दीवारों पर अपनी परंपरा उकेर दी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जब मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं और भागीदारी अभियान शुरू किया तो दिल्ली की दीवारों को सुंदर बनाने वाले कलाकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में फ्लाईओवर के खंभों से लेकर सरकारी दीवारों को कलाकारों ने खूब कलात्मक बनाया।

सुभाषितानि, सूक्ति और विचार से लेकर विज्ञापन तक जिसे भी जनता तक पहुंचने की जरूरत महसूस हुई उसने दीवार का सहारा लिया। दीवारों पर कब्जे की एक वैचारिक लड़ाई भी शुरू हो गई। जिन राहों से देश की जनता से गुजरती है उन दीवारों पर राज करने की होड़ मची है। खास राजनीतिक रूझानों के लिए दिल्ली चलो से लेकर खानादानी शफाखाना तक। भारत की सड़कों पर यातायात के हर माध्यमों के साथ दीवार पर विज्ञापनों की कदमताल होती है। आज जमाना बाजार और विज्ञापन का है तो दीवार पर उसका ही कब्जा है। 'ठंडा मतलब कोकाकोला' से लेकर 'आज कुछ तूफानी करते हैं'। दीवार पर ही सीमेंट का प्रचार है कि यह दीवार नहीं टूटेगी। दूर-दराज के गांवों की कच्ची मिट्टी की दीवार पर प्रचार है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दीवार सस्ता को खारिज कर सबसे अच्छा की बात कर रहा है। जो जितना ज्यादा दीवारों पर रहेगा वही सबसे अच्छा माना जाएगा। सरकार ने भी दीवार का सहारा लेकर कह दिया, बच्चे दो ही अच्छे। दंपति जहां जाएंगे, वहां लिखा पाएंगे, हम दो हमारे दो और हम के बाद दो रखने का उपाय भी दीवार पर लिखा है। घूंघट की आड़ से भी कुछ तो पढ़ ही लिया जाएगा कुछ देख ही लिया जाएगा। ■

चित्र: आरुष चोपड़ा

दीवार और जनसंचार

कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को जब लोक से जुड़ने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने शिलालेखों का ही सहारा लिया। वह शिलालेख ही हैं जिसके कारण लोकमानस में अशोक की स्मृति युद्ध त्यागने वालों में है, अहिंसा के पैरोकारों में है। अगर युद्ध नहीं है तो फिर जनता ही होगी, और जनता से जुड़ने के लिए एक ही हथियार है संचार। अशोक के शिलालेख जनता की भाषा पालि में लिखे गए थे न कि शासक की भाषा संस्कृत में। कहते हैं कि अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक जनता के बीच अपने काम का प्रचार करते हुए खुद को देवप्रिय कहते हैं। भारतीय इतिहास में अशोक पहले शासक हैं, जो जनसंचार का इस्तेमाल अपने जनमत निर्माण के लिए करते हैं। कहते हैं कि सत्ता उसी की है जिसका माध्यम पर कब्जा है। भारत जैसे कम साक्षरता दर वाले देश में दीवार से बड़ा जनसंचार का माध्यम और क्या हो सकता है। सत्ता बदलते ही सबसे पहले दीवारों का रंग और इबारत बदलती है। दक्षिण भारत की राजनीति तो दीवारों पर ही लड़ी जाती है, जहां शब्दों से ज्यादा चित्रों का महत्त्व होता है। इस दीवार की लड़ाई में जो पीछे हुआ उसका आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है।

राजनीतिक गंदगी ने ही लगाया प्रतिबंध

गली-मोहल्ले से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों की दीवारों तक इसे-उसे वोट दो की लड़ाई ने भारत की दीवारों को बदरंग कर डाला था। अब सूरज उगने से पहले दीवारों पर सुलेख की रोशनी डालने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं थी, छापेखाने से निकले पोस्टर और गोंद ही काफी थे। पोस्टर विज्ञापन में विचार पर प्रचार की गंदगी हावी थी। मुस्कुराते प्रणाम छाप मुद्रा की नेताजी वाली तस्वीरों ने दीवारों को बदरंग कर दिया था। इस हालत के खिलाफ आम लोगों ने आवाज उठाई, तो सरकारी दीवारों पर राजनीतिक या कारोबारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया। ■

गरीबों की किताब है दीवार

दिल्ली में स्थित दो बड़े विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी पोस्टर लगाते हैं, लेकिन दोनों विश्वविद्यालयों में इनके लगाने का तरीका और उद्देश्य बिल्कुल अलग-अलग हैं। 2017 के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभाने वाले और मीडिया अध्ययन में पीएचडी कर रहे भगत सिंह ने बताया कि जेएनयू और डीयू में लगने वाले पोस्टरों का उद्देश्य बिल्कुल जुदा होता है। उन्होंने बताया कि जेएनयू में पोस्टर लगाने का सबसे बड़ा आधार विचारधारा होती है। विद्यार्थी यहां अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। वहीं, डीयू के पोस्टर व्यक्ति को प्रमुखता से दर्शाते हैं और इनका उद्देश्य समर्थन जुटाने तक ही सीमित रहता है। यही बातें इन दोनों विश्वविद्यालयों की छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनावों में भी नजर आती हैं। इसके अलावा जेएनयू के पोस्टर पूरे साल दीवारों में लगे रहे हैं और लोगों को वैचारिक रूप से समृद्ध करते हैं। वहीं, डीयू की दीवारों पर छात्र संघ चुनाव के दौरान ही पोस्टर नजर आते हैं।

भगत बताते हैं कि दीवारों के पोस्टरों के माध्यम से अकेला व्यक्ति भी वार्तालाप कर सकता है। ये गरीबों की किताब होती हैं। उन्होंने कहा कि जब वे जेएनयू आए तो दीवारों पर लगे ये पोस्टर पहले तो अजीब लगे, लेकिन जल्द ही इनका महत्त्व समझ आने लगा। जेएनयू के पोस्टरों में सिर्फ राजनीतिक विज्ञापन और नारे नहीं, बल्कि पूरी वैचारिकी होती है। राजनीति का मतलब सत्ता और जनता का हस्तक्षेप होता है और जेएनयू के पोस्टर समाज और राजनीति में छात्रों का वैचारिक दखल है। जेएनयू के विद्यार्थी दीवारों को गरीबों की किताब बताते हैं।

ब्लॉग में संजोए छह सौ पोस्टर

भगत सिंह बताते हैं कि 2017 में जब वे जेएनयू छात्र संघ के लिए चुनाव आयुक्त बने थे तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कहा गया था कि आप जेएनयू की दीवारों पर लगे पोस्टरों को चुनाव के दौरान हटाते क्यों नहीं हैं? उन्होंने बताया कि जब उन्होंने यह बात छात्र संगठनों के सामने रखी, तो सभी छात्र संगठनों ने एक सुर से इस मांग को खारिज किया। भगत ने कहा कि उन्हें उसी समय यह आभास हो गया था कि जल्द ही जेएनयू की दीवारों पर लगे पोस्टर इतिहास हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इन्हें संजोने का निर्णय किया। 2017 के अंत में मैंने दीवारों पर लगे करीब छह सौ पोस्टरों की फोटो खींची। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही ब्लॉग के रूप में इन फोटो को लोगों को सामने रखने वाले हैं। आने वाली पीढ़ी इन तस्वीरों के माध्यम से जान सकेगी कि जेएनयू कभी ऐसा भी दिखता था।

समसामयिक मुद्दों की होती है बात

जेएनयू के विद्यार्थी और शिक्षक रहे प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि दीवारों पर पोस्टर लगाने की परंपरा विश्वविद्यालय के शुरुआती सालों से ही है। उन्होंने बताया कि हमारे युवा बुद्धिजीवी इन पोस्टर और कार्टून के माध्यम से समसामयिक प्रश्न उठाते हैं। विद्यार्थी इन दीवारों पर पोस्टरों के माध्यम से प्रमुख विचारकों, मुद्दों और आंदोलनों की बातों को लोगों के सामने रखते हैं। इन पोस्टरों में अश्लीलता, हिंसा, जातिवाद, सांप्रदायिकता या राष्ट्रविरोधी विचारों को जगह नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि एक मायने में तो ये पोस्टर विश्वविद्यालय की शोभा हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पोस्टरों को गंदगी से जोड़ता है, तो मुझे उसकी सोच और निर्णय पर चिंता होती है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि इन दीवारों से हमें ज्ञान और चेतना मिलती है। इनसे आतंकित होने की कोई जरूरत नहीं है।

पचास साल की परंपरा

जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष एन. साई बालाजी ने कहा कि दीवारें गरीबों की किताबें होने के साथ समाज का आईना होती हैं। जेएनयू के विद्यार्थी किताबों के साथ इन दीवारों से भी अपनी पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि पचास साल से जारी जेएनयू की इस परंपरा को एक झटके में कैसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन दीवारों पर कई विद्यार्थियों ने अपनी एमफिल-पीएचडी की है और जेएनयू प्रशासन उन्हीं दीवारों को सूना करने पर आमादा है।

विवादों में भी रहे हैं पोस्टर

जेएनयू की दीवारों पर लगने वाले पोस्टरों पर कई बार बड़े विवाद भी हुए हैं। 2006 में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (डीएसयू) ने संसद का एक ऐसा पोस्टर लगाया कि पूरे देश में विवाद हो गया। दरअसल, इस पोस्टर में संसद के ऊपर तीन सूअरों को दिखाया गया था और उसे 'सूअर बाड़ा' नाम दिया गया। इसे लेकर पहले जेएनयू परिसर में और फिर देश में विवाद हो गया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) के साथ अन्य छात्र संगठनों ने भी इसका विरोध किया। इस पोस्टर को जेएनयू प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद हटा लिया गया।

इसी संगठन ने 2017 में जेएनयू कश्मीर और फलस्तीन की आजादी की मांग को लेकर एक पोस्टर लगाया। पोस्टर पर 'कश्मीर के लिए आजादी, मुक्त फलस्तीन... आत्मनिर्णय का अधिकार जिंदाबाद' लिखा हुआ था। इस पोस्टर के लगने के बाद पहले जेएनयू परिसर में और फिर देश में बवाल हुआ। जल्द ही इस पोस्टर को भी जेएनयू प्रशासन के आदेश के बाद हटा लिया गया।

लोधी कॉलोनी में रंगाई, जेएनयू में सफाई

जेएनयू के विद्यार्थियों का कहना है कि हमारी सरकारें भी दो मानदंड अपनाती हैं। एक ओर 'स्वच्छ भारत' अभियान के तहत शहर के विभिन्न इलाकों को रंगाई करके सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं, उसी अभियान के नाम पर जेएनयू की दीवारों पर लगे पोस्टरों को उतारा जा रहा है। पीएचडी के एक छात्र ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी दीवारों पर हो रही पेंटिंग की बात की। उन्होंने विशेष रूप से लोधी कॉलोनी की दीवारों पर हो रही पेंटिंग को सराहा और इन्हें बनाने वाले कलाकारों की प्रशंसा भी की। छात्र सवाल उठाते हैं कि एक ही अभियान के तहत दो तरह के निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं? ■

कविताएं

यामिनी नयन गुप्ता

एक मुट्ठी मधुमास

रक्तिम आभा लिए सेमल
रोज सुबह प्रस्तुत हो जाता है
मेरे आंगन में
करने मुझसे संवाद,
सेमल फल दरीचे पर गिरते ही
टप की आहट से ही लहलहा उठता है
बंजर उदासीनता का;
लुभाता है मुझे उसके बुलाने का अंदाज .

अच्छा सुनो!
मुझे जो कभी मिली फुर्सत
अपने प्रियतम के खयालों से
एक दिन आकर देखूंगी मैं
तुम्हारी दग्धता विरह का संसार
पर तुम्हारा साथ तो है फाग तक
मेरी तरह कब तक जोहोगे
मिलन की आस

अच्छा सुनो ना!
हंसी का नृत्य,
मिलन का गायन
कब होंगे तुम-हम साथ
दहकती सांझ में
मुट्ठी में समेटे मधुमास
फकत
एक मुट्ठी मधुमास ही तो।

आहट बसंत की

सुनो न!
घंटों तक तुमसे बात करना
मुझे लबालब भर देता है प्रेम से
सच कहूं तो सकारात्मकता से ,
मैं भूलने-सी लगती हूं
मां के चले जाने का दर्द

चित्र: वाजदा खान

मां की रसोई में रखे ठंडे चूल्हे का इंतजार
अलमारी में रखी बिंदिया, सिंदूर और हार
रीतापन बाबुल की आंखों का
और मायके के आंगन में कुम्हलाया-सा हरसिंगार।

संवाद से बढ़ कर
कुछ और पाने की मेरी आस
जितना मुखर होता है मेरा प्रेम
तुम सिमटते जाते हो अपनी ही खोल में,
तुमने शायद पढ़ लिया है कहीं
हमारा मिलना ही
शुरुआत होगी राहें अलग होने की
भरसक टालना चाहते हो तुम वह पल
मुझे खो देने का खयाल ही
भर देता है तुम्हें एक शून्य से है न!

तुम्हारे आने की आहट से ही
अंतस के तपते रेगिस्तान में
जाग उठती हैं पानी की हिलोरें,
खलिशें कम चुभती हैं
जद्दोजहद जिंदगी की अब मुझको डराती नहीं,
तुम्हें पाने से ज्यादा जरूरी है
तुम्हारे साथ होने का एहसास,
गहरी आश्वस्ति
हवा के सुखद झोंके-सा है अस्तित्व
जो है तो पर दिखाई नहीं देता।

सुनाई देती है बसंत की आहट
पौधों में हरितिमा की सुगबुगाहट
सुनो न!
तुम भी आ जाओ न!
कुछ गीत बसंत के
जोह रहे हैं तुम्हारी राह
तुम आओ तो भावों को आकार मिले
शब्दों को व्याकरण का उपहार मिले
हां! तुम ही तो हो मेरा बसंत
बासंती रंग मेरे प्रेम का। ❑

एक अच्छी खबर

कहानी

रामदरश मिश्र

रोज की तरह आज भी अखबार दुनिया भर की बुरी खबरों का कूड़ा मुझ पर उड़ेल गया था। मैंने फरवरी की हलकी हलकी धूप में अपने को डाल दिया था, किंतु विचारों में बुरी खबरों की सीलन जमा हो गई थी। लग रहा था, कोई अपने पिता का वध कर रहा है, कोई पत्नी प्रेमी के साथ मिल कर पति को ठिकाने लगा रही है। कोई दोस्त दोस्त की हत्या कर रहा है। कोई उल्लू का पट्ठा किसी महिला का पर्स छीन कर भाग रहा है। कुछ लंपट किसी नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे बलात्कार कर रहे हैं और फिर पीट-पीट कर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दे रहे हैं। कोई बाप अपनी बेटी की, कोई भाई अपनी सगी बहन की इज्जत उतार रहा है। कुछ बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, अस्पतालों में बीमारों की कतार असहाय-सी खड़ी है। देश के बड़े कहे जाने वाले लोगों के चमकते चेहरों के नीचे आम लोगों के प्रति उपेक्षा और शोषण की कालिमा जमी हुई है और न जाने क्या-क्या हो रहा है, जो मनुष्यता को कलंकित कर रहा है।

अखबार इन कुरूप कृत्यों की खबरों से लदे-फंदे सवेरे-सवेरे दरवाजे पर गिरते हैं। मैं रोज सोचता हूं कि शायद कोई अच्छी खबर पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि अच्छी खबरें हैं ही नहीं, हैं पर अखबारों को उन तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं सूझता।

तो मैं आज भी अखबार की खबरों के बोझ से लदा खिन्न-सा बैठा था कि कूरियर वाला शादी का एक निमंत्रण कार्ड दे गया। उसे निहारता रहा। खोला तो मालूम पड़ा कि पत्र किसी महेश के यहां से आया है। उनकी बेटी की शादी है। पत्नी सुशीला मेरे पास आई, तो मैंने कहा कि किसी महेश की बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड आया है।

'किन्ही महेश के यहां से? अरे वही महेश तो नहीं, जो पुत्र प्रशांत का दोस्त है!'

'हां मां वही महेश।' पास आता हुआ प्रशांत बोला।

'लेकिन बेटा, उसे तो कोई बेटी थी ही नहीं! दो बेटे हैं, उनकी शादियां हो गई हैं।'

प्रशांत मुस्कुराया। बोला- 'तुम ठीक कह रही हो मां। यह बेटी वाली एक अलग कहानी है।'

'अलग कहानी? कैसी कहानी बेटा?'

'बताऊंगा मां। मेरा दोस्त मस्तमौला है, वह कुछ अजब-गजब करता ही रहता है।'

'तो इसमें बताने के लिए कोई मुहूर्त निकालोगे क्या? कुर्सी निकाल कर मेरे पास बैठ जाओ और हो जाओ शुरू।' मैंने कहा।

प्रशांत मुस्कुराया और बोला, 'पापा बहुत उत्सुकता हो रही है आपको मेरे दोस्त के अजब-गजब कार्य को सुनने की। लीजिए सुनाता हूं।'

प्रशांत अंदर से दो कुर्सियां उठा लाया। एक पर मां को बैठा कर दूसरे पर बैठ गया।

'पापा, आपको तो पता है न कि स्कूल में महेश मेरा सहपाठी था और मेरे कुछ अत्यंत प्रिय मित्रों में से है। वह है तो बहुत खेलंदड़ मिजाज का, लेकिन अत्यंत संवेदनशील है। स्वाभिमानी और नवचेतना संपन्न भी।'

'सो तो है, मगर इस निमंत्रण की कहानी क्या है?' मैंने हंसते हुए कहा।

'पापा जी निमंत्रण की कहानी की ही भूमिका बना रहा हूं।'

'अच्छा बना भाई बना।' मैंने कहा।

'आप हर बात में अड़ंगा डाल देते हैं, प्रशांत जो कह रहा है कहने दीजिए न।' सुशीला जी बोलीं।

'अच्छा सुशीला जी, मैं नहीं टोकूंगा। वैसे अड़ंगा लगाने की आदत तो आप में भी है।'

'पापा जी, कहीं ऐसा न हो कि महेश की कहानी छूट जाय और आप दोनों एक-दूसरे की कहानी कहने लगा जाएं।'

एक ठहाका लगा और महेश की कहानी आगे बढ़ने लगी।

चित्र: नरेंद्र नागदेव

'तो मैं कह रहा था कि महेश स्वाभिमानी और नवचेतना संपन्न है। वह उस घर का बेटा है, जिसमें गाएं और भैंसें पाली जाती रही हैं और दूध का व्यापार होता रहा है। महेश ने जब अनेक विरोधों के बावजूद बीए कर लिया तब उसके पिता ने कहा कि बहुत पढ़ लिया, अब गाय-भैंसों को संभाल और दूध के कारोबार को आगे बढ़ा।'

'महेश अपने दबंग पिता के क्रोध को जानते हुए भी कहा- यही सब करना होता तो पढ़ता क्यों? मैं नौकरी करूंगा। वह बाप के ताने और क्रोध की परवाह न करके नौकरी खोजने लगा। आखिर गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उसने अपनी पसंद की एक पढ़ी-लिखी लड़की से शादी कर ली। परिवार में लड़की की पढ़ाई पर भी व्यंग्य वाण छूटने लगे और उसकी उपेक्षा होने लगी। महेश यह सब देखता रहा और मन ही मन परेशान होता रहा। आखिर उसने एक दिन अपना फैसला सुना ही दिया कि रोज-रोज नोएडा से गुड़गांव जाना बहुत कष्टकर हो रहा है, मैंने गुड़गांव में ही किराए का एक मकान ले लिया है। वहीं जा रहा हूं। और हां साथ में मेरी पत्नी भी जाएगी।'

'तो, लग रहा है कि इस घर से सारा नाता तोड़ रहा है। तो सुन मेरी जमीन-जायदाद में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तेरा बड़ा भाई इस घर का है उसी के नाम सब कुछ लिख दूंगा।'

'जैसी आपकी मर्जी। मैं तो एक पढ़े-लिखे व्यक्ति की जिंदगी बिताना चाहता हूं। मैं जो कुछ अर्जित करूंगा, उसी में संतोष का अनुभव करता रहूंगा।'

तो महेश मन लगा कर कंपनी में काम करने लगा। वह संवेदनशील तो है ही, सबके सुख-दुख में साथ खड़ा दिखाई पड़ता रहा। अतः कंपनी के सारे लोगों का प्यारा हो गया और अपने काम के प्रति अत्यंत ईमानदार होने के नाते पदोन्नति पाता गया और कुछ वर्षों बाद उप प्रबंधक हो गया। पत्नी साधना प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। वह बहुत सरल नेक स्वभाव की है इसलिए पारिवारिक माहौल अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहा। दोनों बच्चों को भी मां बाप का मानवीय संस्कार प्राप्त है।

तो एक दिन महेश कहीं जा रहा था, देखा कि रास्ते में आठ-नौ साल की एक लड़की फुटपाथ पर पड़ी-पड़ी हो रही है। महेश वहां ठहर गया और लड़की से पूछा- 'बेटी तुम कौन हो और यहां पड़ी-पड़ी क्यों रो रही हो?'

पहले तो वह कुछ नहीं बोली, बस अहकती रही। जब महेश ने बार-बार सांत्वना के स्वर में पूछा तो बोली- 'मेरे मां-बाप मर गए हैं। कुछ दिनों तक लोकलाज से चाचा ने अपने घर रखा, फिर एक आदमी के घर में मुझे नौकरानी के रूप में रख दिया। मां-बाप थे तो मैं स्कूल में पढ़ती थी और बाद में पढ़ाई छूट गई। मालिक के घर मैं मन लगा कर काम करती गई। अब मैं कई महीनों से बीमार चल रही हूं। मालिक मेरी बीमारी से ऊब गए तो मुझे सरकारी अस्पताल में छोड़ गए। उसके बाद में कभी अस्पताल में नहीं आए। अस्पताल वालों ने दया करके मुझे भर्ती कर लिया। जब तबीयत संभली तो अस्पताल ने मेरी छुट्टी कर दी। अब मैं सोच रही हूं कि कहां जांऊ। मालिक का तो घर भी नहीं खोज पाऊंगी। और खोज भी लिया तो वे मुझे अपने यहां रहने थोड़े ही देंगे। रहने देना होता, तो मुझे दूर के अस्पताल में पटक कर गायब हो जाते?'

'तुम्हारा नाम क्या है बेटी?'

'मेरा नाम बेला है।'

'तो बेला बेटी, आज से तू मेरे घर रहेगी।' कह कर महेश ने बेला की बांह पकड़ ली। और उसे उठा कर कहा, 'चल घर चलते हैं।'

बेला अहकती हुई साथ चल पड़ी।

महेश ने कहा- 'आंसू पोंछ ले बेटी, अब समझ लो तुम्हारे रोने के दिन गए।'

बेला को लेकर जब महेश घर पहुंचा तो पत्नी ने आश्चर्य से देखा। पूछा- 'कौन है ये लड़की?'

'समझ लो तुम्हारी बेटी है। हमारी कोई बेटी नहीं थी न, भगवान ने बेटी दे दी है।' कह कर महेश ने सारा किस्सा बयान कर दिया। साधना की आंखें भर आईं और उठ कर बच्ची को छाती से लगा लिया और उससे बोली- 'मुझे मां कहो।'

'मां' लड़की अहकती हुई बोली। तब तक बच्चे भी आ गए। अचरज से लड़की को देखते रहे। साधना बोली- 'यह तुम्हारी बहन है बच्चो।' बच्चे भी सारी कथा सुन कर लड़की की ओर भाई की निगाह से देखने लगे।

'कितने अच्छे लोग हैं कि एक अनाथ लड़की को पनाह दी।' सुशीला जी बोलीं।

'पनाह ही नहीं मां, पारिवारिक प्यार दिया। मैं उस परिवार की रोज-ब-रोज की कथा तो नहीं कह सकता, पर अभिन्न मित्र होने के नाते काफी कुछ जानता हूं। जानता हूं कि भावावेश में आकर उस परिवार ने उस लड़की को दो दिन का प्यार नहीं दिया, उसे सचमुछ घर की बेटी बना लिया। उसे वे सारी सुविधाएं और प्रसन्नता दी, जो एक संवेदनशील घर में बेटी को मिलती है। स्कूल में उसका नाम लिखा दिया। वह पढ़ाई में धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई और बीए पास कर लिया। अब एक अच्छे खानदान में अच्छे लड़के से उसकी शादी कराई जा रही है। आप लोगों को जान कर आश्चर्य होगा कि महेश दहेज में बहुत कुछ दे रहा है। कार भी दे रहा है। अच्छा पापा मुझे अभी उसी के यहां जाना है चलता हूं।'

प्रशांत चला गया और आज के अखबार की कुरूप खबरों के अंधकार से लदे-फंदे मेरे मन को एक अच्छी खबर के उजास से भर दिया। सोचने लगा- अखबारों को पहुंच इन खबरों तक क्यों नहीं होती? ❑

छंद से मुक्ति का सवाल

प्रसंग

मिथिलेश श्रीवास्तव

कविता में छंद से मुक्ति मनुष्य की मुक्ति का रास्ता खोजने में सहायक हो सकती है। इंसान आज भी आदिम प्रवृत्तियों का गुलाम बना हुआ है। उसकी प्रवृत्तियों में बदलाव और उनके आधुनिकीकरण के रास्ते में छंद जंजीर की तरह जकड़ा हुआ है। छंदमुक्त कविता का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन समकालीन कविता का सर्वमान्य स्वरूप अब छंदमुक्तता ही है, लेकिन इसके बावजूद छंद के पैरोकार और छंद में लिखने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। हैरानी तो तब होती है जब विश्वविद्यालयों के विद्वान भी छंद की वकालत करते सुनाई पड़ते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि छंद का विरोध क्यों किया जाए।

दरअसल, छंदमुक्तता स्वच्छंदता का अहसास दिलाती है और भाषा बरतने की पूरी छूट देती है। समय बदलने के साथ मनुष्य के अहसास भी बदलते हैं और अहसास के साथ भाषा की तमीज भी बदलती है। मनुष्य के दुखों के रंग और रूप भी बदलते हैं। स्वतंत्रचेता और लोकतांत्रिक मनुष्य अपनी तकलीफों को बयान करते समय तुक बैठाने और मात्राओं की गिनती में अपनी ऊर्जा जाया नहीं कर सकता है और करनी भी नहीं चाहिए। छंदमुक्तता इंसान को लोकतांत्रिक मूल्यों की सकारात्मक समझ देती और जड़ विचारों और सोच से मुक्त होने में मदद करती है।

कविता में छंदमुक्तता उसी समय आई, जब उन्नीसवीं सदी में आजादी और लोकतंत्र के स्वर उभर रहे थे। जैसे-जैसे आजादी की मांग बढ़ती गई, छंदमुक्त कविता की स्वीकार्यता बढ़ती गई। इस तथ्य से मुंह फेरा नहीं जा सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और विष्णु खरे समकालीन छंदमुक्त कविता के महत्त्वपूर्ण कवि हैं। रघुवीर सहाय और विष्णु खरे से हम जान पाए कि वे दोनों व्यवहार-विचार में बेहद लोकतांत्रिक और समाज के लिए चिंतित व्यक्ति थे। उनकी लोकतांत्रिकता और इंसानियत और समाजोन्मुखतता का संबंध उनके व्यक्तित्व की छंदमुक्तता से था। उन्होंने अपना समय कविता को तुकांत बनाने और मात्राओं की गिनती में व्यर्थ कभी नहीं किया। रघुवीर सहाय कहते थे- समकालीन कविता के अपने नए छंद हैं, जिनकी पहचान होना बाकी है। उन्होंने अपनी कविता में संगीत और लय होने की बात कही है, लेकिन अगर उनकी कविता कोई लय में पढ़ने लगे तो उसे वे रोक देते और कहते- कविता वैसे पढ़िए जैसे गद्य का पाठ करते हैं।

विष्णु खरे की कविताओं की गद्यात्मकता इस बात का प्रमाण है कि वे कविता को छंद के करीब भी नहीं फटकने देते। 'सबकी आवाज के पर्दे में' संग्रह की कविता 'जो टेम्पो में घर बदलते हैं' की कुछ पंक्तियां हैं:

'बेटा बहू एक किशोर होती हुई लड़की अपने छोटे
दो भाई बहनों के साथ
बैठे हैं टेम्पोवाले और उसके क्लीनर से सटे हुए
जो किराए को लेकर हुए मोलभाव से ही समझ
गया था
और क्लीनर को सुनाते हुए चोली के पीछे क्या है
गाने लगा था
सिर नीचा किए किशोरी बरजने लगी छोटों को
कि साथ न गाएं ताल न दें
गिरस्तिन देखती है पति को
जो अतिरिक्त गौर से देख रहा है ट्रैफिक को'

चित्र: श्रीगोपाल व्यास

कविता न यहां से शुरू होती है, न खत्म होती है। चार पृष्ठों में फैली इस कविता का सर्वाधिक मार्मिक स्थल इन पंक्तियों में वर्णित हो रहा है- 'चोली के पीछे क्या है' अश्लील इशारों की अभिव्यक्ति है और इस अश्लील अभिव्यक्ति से शोहदे किस्म के टेम्पो ड्राइवर और क्लीनर एक किशोर होती हुई लड़की का अपमान कर रहे हैं। कवि रीतिकालीन कवियों की तरह किशोर होती लड़की का नख-शिख वर्णन नहीं कर रहा है, बल्कि एक लड़की की उपस्थिति और उस लड़की को लेकर समाज की रुग्ण मानसिकता का ब्योरेवार वर्णन कर रहा है। निम्नवर्ग में विरोध की क्षमता कहां कभी रही है, वह हर अश्लीलता और दमन का चुपचाप सहन करता रहा है। गुस्सा तो है, लेकिन गुस्सा निकल रहा है दो छोटे मासूम बच्चों पर।

इस पूरे प्रसंग में सबसे दयनीय स्थिति में है उनका पिता, जो अतिरिक्त गौर से देख रहा है ट्रैफिक को। निम्नवर्ग और निम्न मध्यवर्ग की दुर्दशा एक जैसा है। उनकी बेटियां और उनकी औरतें इसी तरह के अश्लील इशारों से जलील होती रही हैं। अब देखिए, अपने समाज की इस रुग्ण मानसिकता का बयान कोई कवि छंद और मात्राओं की गिनती करके नहीं कर सकता है। अपने समाज को समझने और कविता में उतारने के लिए आजाद मनोभूमि को आत्मसात करना होगा। औरत की इज्जत करना और उसकी आजादी को समझना होगा। यह समझना होगा कि औरत पूरा मनुष्य होती है। टेम्पोवाला 'किराए को लेकर हुए मोलभाव से ही समझ गया था।' क्या समझ गया था टेम्पोवाला? यही कि एक लाचार निम्नवर्गीय परिवार का सामान ले जा रहा है और उस परिवार की औरत के साथ अश्लील व्यवहार कर सकता है। इस सोच पर विष्णु खरे प्रहार करते हैं। विष्णु खरे ने लगभग तय कर दिया है कि आज की कविता के लिए विषय-वस्तु और उसके ब्योरे महत्त्वपूर्ण हैं, न कि छंद वैगरह।

मंगलेश डबराल ने एक साक्षात्कार में कहा था कि 'आज की ज्यादातर कविता छंद में नहीं है, पर उसे छंदोबद्ध कर दें या तुकांत कर दें तो कविता की जन-अपील बढ़ जाएगी, यह कहना कठिन है। अगर एक छंद नए विचारों का, नई संवेदना का वाहक है तो ठीक है। अगर वह हमारे समय के मनुष्य के बारे में, उसके व्यवहारों के बारे में कोई नई बात नहीं कहता, तो वह घटिया शिल्प है।'

छंद मनुष्य को मुक्ति नहीं देता या यों कहें कि बमुश्किल नए विचारों का वाहक बनता है। छंद के पक्ष में बोलने वाले यह कहते हैं कि समकालीन कवियों को अपनी कविता याद नहीं रहती, क्योंकि वह छंद में नहीं होती। कविता का लिखा हुआ या छपा हुआ रूप देख कर वे कविता पढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह ने कहा था, 'प्रेस के आने के बाद लिखित परंपरा की शुरुआत हुई और वाचिक परंपरा का क्षय होने लगा। प्रेस का मतलब छपी हुई सामग्री से है और छपी हुई सामग्री से जनता का कितना जुड़ाव है।' कविता याद न रहने का कारण वाचिक परंपरा के क्षरण में है, न कि कविता के छंदमुक्त होने में।

रघुवीर सहाय ने कहा है कि 'दुर्भाग्य है कि हिंदी में जो कवि हैं, जो अपने को गायक भी कहते हैं, वे न कवि हैं, न गायक हैं, पर गाते जा रहे हैं।' पर वे यह भी कहते हैं कि 'जबसे हमने छंद और संगीत के रिश्ते को छोड़ दिया, तब से हमारे पास केवल भाषा रह गई है, नंगी भाषा।' इस नंगी भाषा को बरतने की जिम्मेवारी आज के कवि पर है और शायद यह जिम्मेवारी छंदबद्ध कविता के सृजन से काफी जटिल और कठिन है। ❑

कहीं तो थमना होगा हमें

नासिरा शर्मा

समाज

यह समय जागरूकता का है, न कि थके हुए वक्तव्यों के उलझाव का। मानव अधिकार की चेतना लेकर ही इन्सान इस धरती पर आंखें खोलता है, मगर कुछ लोगों में यह चेतना समय के साथ घटते-घटते शून्य हो जाती है। ऐसा भी होता है कि जो अपने कठिन समय में समझौता करने पर मजबूर किए जाते हैं, उनके जीवन की दो सच्चाइयां होती हैं- या तो हर मोड़ पर समर्पण करना ही उनका जीवन-दर्शन बन जाता है या फिर उनके अंदर आक्रोश की लपटें सुलगती रहती हैं और उनकी चेतना में यह वाक्य उन्हें हमेशा चैकन्ना रखता है कि आगे किसी की मजबूरी से कोई फायदा न उठाएं।

शोषण शारीरिक रूप से केवल औरत या मासूम बच्चियों का नहीं होता, बल्कि बच्चों और किशारों का भी होता है, जो खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाता है। इसका कारण क्या है, यह तो पुरुषवर्ग ही बता सकता है। खासकर पत्रकार और समाज आलोचक कि इस लापरवाही की क्या वजह है?

इस संसार में औरत-मर्द का रिश्ता बहुत पेचीदा है। कब किसका किसके साथ नजदीकी रिश्ता बन जाता है। उसकी आलोचना भी होती है, चूंकि यह रिश्ता दोनों की मर्जी से अगर पनपता है, तो उसके गंभीर परिणाम के वे दोनों जिम्मेदार हैं। जिसमें उनके परिवार वालों के दुख भी शामिल होते हैं। मानती हूं, बहुत कुछ बेहूदा और घृणा भरा इस मानव भूमि पर शुरू से चला आ रहा है। अजीबो-गरीब रीति-रिवाज, जड़ मान्यताएं, संकीर्ण विचार आदि। मगर समय के साथ विवेक के बढ़ते आयाम के कारण इनमें परिवर्तन भी आते रहे हैं। उसी तरह यह दौर भी चेतना की जागरूकता का है। बदलाव का है और इस बात को दृढ़ता से समझने का है कि आप अपनी मर्जी और इच्छाओं के चलते किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको अपनी बेजा करतूतों पर प्रतिबंध लगाना होगा। आखिर आप जानवर नहीं हैं कि पेट (जिस्म) की भूख मिटाने के लिए किसी का भी शिकार कर लें। आपको किसने यह अधिकार दिया है कि बिना किसी की मर्जी के आप उसका शीलभंग करें? मासूम बच्चियों की बेबसी से अपने अपराधी स्वभाव को खुराक दें और सबूत मिटाने के लिए हिंसा पर उतर आएं और जान से मार डालें?

सामूहिक रूप से मानसिक रोगों से पीड़ित और अपराधी मानसिकता के इन व्यक्तियों के साथ क्या सुलूक किया जाए? सजा-ए-मौत, आजीवन कारावास या हमेशा की तरह कुछ दे-दिला कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल कर कहना कि उचित सबूत न मिलने पर उन्हें रिहा कर देना या फिर लड़की के आचार-व्यवहार पर तोहमत मढ़ देना। यह सारी लीपापोती और स्त्री के शीलभंग के अपराध को हल्के में लेना दरअसल, बलात्कारियों के हौसले बुलंद करना कि बच जाने की पतली गली तो है। सच तो यह है कि बलात्कार के मामले अब केवल सिर्फ औरत मर्द या क्षणिक वासना उन्माद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शहजोरी पर आ गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें न संतुलन रह गया है न अनुशासन और न ही उचित न्याय। जनता एक संदेह भरे वातावरण में सांस लेने पर दिन-प्रतिदिन मजबूर होती जा रही है और यह सिलसिला स्वतंत्रता मिलने के कुछ वर्षों बाद से शुरू हो गया था। जो सबका दुश्मन था उसे भारतीय एकता ने मिल कर बाहर निकाल दिया। मगर असंख्य लोगों के अंदर का जोश और उबाल बाद में भी मौजें मारता रहा। यह लावा शांत होने की जगह आपस में आरोप-प्रत्यारोप ऐसे सिलसिले में ढल गया, जिसकी उम्र सत्तर साल पुरानी हो गई है। वैसे तो मौत कभी भी किसी को आ सकती है। साठ-सत्तर साल की उम्र के आसपास यह खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इस बोसीदा जर्जर वृद्ध हुए बेतुके सिलसिले को मौत की नींद सुला देना जरूरी हो गया है। और इसका अंत तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जीवन के जरूरी मुद्दों पर एक आवाज में ढल नहीं जाती है।

बात केवल आसाराम और रामरहीम तक सीमित नहीं रह गई है और न ही केवल कठुआ और उन्नाव में हुए बलात्कार और हिंसक घटनाओं तक। अगर हम अतीत में जाएं तो स्वतंत्रता के बाद हुए दंगे-फसाद में महिलाओं पर जो कहर तोड़ा गया था (कुछ के तो वीडियों भी बने थे) उसका सिलसिला किसी न किसी रूप में एकल घटनाओं में उसी शिद्दत से नजर आता है। हकीकत यह है कि अब पानी सिर से ऊंचा जा चुका है। बात एक दो घटनाओं या चंद नामों की नहीं, बल्कि सैकड़ों और लाखों अपराधियों और अपमानित औरतों और नाबालिग बच्चियों की है, जो अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाती हैं। अफसोस तो यह है कि सबको अपनी आवाज और चेहरे से बेहद प्यार हो गया है। इसलिए टिप्पणियों की बारिश नजर आती है, मगर इतने महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर उचित और अनुशासित फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है! आखिर कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए न कि सोच विचार। जल्दबाजी में ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए, जिससे दूरगामी समाधान न होकर केवल वक्ती लीपापोती कर दी जाए। जहां चश्मदीद गवाह और पकड़-धकड़ के साथ सबूत भी हाथ लग जाते हैं वहां न्याय मिलने में इतनी देर हो जाती है कि जनता दूसरी दर्दनाक घटनाओं से एक बार फिर अचंभित और ठगी-सी रह जाती है और इस बीच पुराने मामलों के आरोपी शक और सबूत के न मिलने पर छोड़ दिए जाते हैं और ज्यादातर मामलों में औरत को ही कुसूरवार ठहराने की साजिश भी शामिल कर दी जाती है।

कुछ वक्तव्य भी बलात्कार पर ऐसे आए, जिसमें थकान, ऊब और हारने जैसी ध्वनि निकलती है, जैसे यह होता रहता है। अब इस होते रहने को बदलने और रोकने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इसमें हिंसा भी जुड़ चुकी है। हमारी हमदर्दी अपराधी की सजा की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह हरकत किसी भी हत्या से बढ़ कर है। किसी को जीते जी मार डालना। क्योंकि बाकी जिंदगी वह इस कलंक से उबर नहीं पाएगी, परिवार, समाज मित्र उसको ऐसी नजर से देखेंगे, जिसको सहना उसके लिए कठिन है। इसलिए बलात्कारियों को ऐसे दंड से गुजारना चाहिए, ताकि वे भी सारी जिंदगी आत्मप्रताड़ना से गुजरे और उन्हें अपनी हरकत पर आत्मग्लानि हो, और सारा जीवन आंखें झुका कर रहना पड़े, ताकि दूसरों के लिए ऐसा उदाहरण बन जाए कि आसपास वाले मनचले जीवन की इस लंबी प्रताड़ना को झेलने के भय से अपने तौर-तरीकों पर रोक लगा सकें।

आखिर यह होगा कैसे? कानून का खौफ, मौत की सजाओं से एक दुर्घटना का समाधान तो हम कर सकते हैं, मगर इसको रोकें कैसे? समझ में नहीं आता है। इसका मनोविज्ञान क्या है। बलात्कार के अपराधियों पर काम करने की जरूरत है। उनका मनोविज्ञान समझना होगा और उनका सामाजिक और देश के स्तर पर खुला इंटरव्यू लेना चाहिए जैसा कि दूसरे देशों में सियासी कैदियों और अपराधियों तथा आतंकवादियों का लिया जाता है। इनका इलाज या फिर ऐसी मानसिकता रखने वालों को समझ कर उनका इलाज भी जरूरी है।

सरकार हार गई। औरतें लिख कर, विरोध कर हार गईं, मगर ऐसी कुंठित मानसिकता नहीं बदल पाई, जिन्हें घर और बाहर छूट मिली है और कभी बदनामी, कभी रिश्तों को बचाने के लिए औरतें भी जबान पर ताला डाल लेने पर मजबूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मर्दों को अब मोर्चा संभालना होगा कि वे अपने पुरुष समाज में ऐसे रोगियों का उपचार कैसे करें। उन्हें भी अपने शरीर की मर्यादा रखनी चाहिए और पुरुषों को उस मानसिकता से निकलना होगा कि हर प्रतिशोध की अभिव्यक्ति औरत का शरीर नहीं होती और न ही यह बहादुरी है, बल्कि कायरता है। मर्दों के व्यक्तित्व के इस विकास को पुरुष वर्ग से अच्छा कौन समझ सकता है।

जब दुनिया भर के हर मुद्दे पर सिर जोड़ कर वे विकल्प तलाश लेते हैं तो इस मुद्दे को भी राष्ट्र स्तर की समस्या मान कर विचार करें और बुनियादी शारीरिक, मानसिक 'डिसआर्डर' के कारण को दूर करने का संकल्प लें। आखिर यह कब तक चलेगा, कहीं तो रुकना और रोकना होगा न? ■

मैथिलीशरण गुप्त

जन्म : 3 अगस्त, 1886
निधन : 12 दिसंबर, 1964

मैथिलीशरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्म दिवस यानी तीन अगस्त को 'कवि दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मैथिलीशरण गुप्त को साहित्य जगत में 'दद्दा' कह कर संबोधित किया जाता था।

आरंभिक जीवन

मैथिलीशरण गुप्त का जन्म झांसी के समीप चिरगांव में 3 अगस्त, 1886 को हुआ। उनकी कक्षा तीन तक की पढ़ाई गांव में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उनका दाखिला झांसी के मेक्डोनल हाई स्कूल में करवा दिया गया, पर उनका मन पढ़ाई में कम ही लगता था। इसलिए उनके पिता ने स्कूल से नाम कटवा कर उन्हें गांव बुला लिया। फिर घर पर ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी साहित्य का अध्ययन किया। पिता से प्रेरणा पाकर बाल्यावस्था से ही वे काव्य में रुचि लेने लगे थे।

शख्सियत

लेखन की शुरुआत

काव्य-लेखन की शुरूआत उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में अपनी कविताएं प्रकाशित कर की। इन्हीं पत्रिकाओं में से एक 'सरस्वती' थी, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिलीशरण गुप्त के गुरु थे और उन्हीं की प्रेरणा से गुप्त ने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया तथा खड़ी बोली को काव्य-भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। 1910 में उनका काव्य 'रंग में भंग' और बाद में 'जयद्रथ वध' प्रकाशित हुए। उन्होंने बांग्ला के काव्य ग्रंथ 'मेघनाथ वध' और 'ब्रजांगना' का अनुवाद भी किया। उनकी भाषा और सृजन से हिंदी की साहित्यिक भाषा का विकास हुआ।

'भारत भारती' से मिली पहचान

'भारत-भारती' (1912) मैथिलीशरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसके प्रकाशन के साथ ही वे लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित हो गए। इस रचना में उन्होंने स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का सफल प्रयोग किया है। यह कृति स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें 'राष्ट्रकवि' की पदवी दी थी।

मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीयता, आजादी, गांधीवाद, मानवता तथा नारी के प्रति करुणा और सहानुभूति के स्वर मुखर रहे। आजादी के आंदोलन के बाद जब देश हिंदू-मुसलिम मतभेद से जूझ रहा था, तब उनकी लिखी कविता 'काबा और कर्बला' ने लोगों के अंतर्मन को झकझोर दिया। उनकी हर रचना में राष्ट्रभक्ति की झलक दिखती है।

मानवीय रिश्तों का चित्रण करने में भी मैथिलीशरण गुप्त अग्रणी थे। रामकथा पर आधारित उनकी रचना 'साकेत' को विद्वानों ने महाकाव्य कहा। इसमें लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के हृदयस्पर्शी प्रसंग और विरह का चित्रण किया गया था। इसी तरह 'यशोधरा' में गौतमबुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा का प्रेम और विरह, तो 'विष्णुप्रिया' में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी से उनके प्रेम को जिस तरह से मैथिलीशरण ने चित्रित किया, वह शायद ही कोई दूसरा कर पाया।

उपाधि और सम्मान

कला और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 1952 में राज्यसभा की सदस्यता दी गई। 1964 तक वे राज्यसभा के सदस्य बने रहे। 'भारत-भारती' के लिए उन्हें 1954 में देश के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। काशी विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की।

निधन

उनका निधन 12 दिसंबर, 1954 को हो गया। ■

सदाबहार कलेवा

सुबह का कलेवा मन का मिल जाए, तो न सिर्फ ठीक से खाया जाता है, बल्कि दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। बहुत सारे लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग सादा और सुपाच्य। आपका शरीर जिस भोजन को सहजता से पचा सके, वही खाना चाहिए। वैसे ज्यादा गरिष्ठ खाने से बचें, तो अच्छा है। बहुत सारे लोग बाजार का नाश्ता जैसे कचौड़ी, छोले-भटूरे वगैरह पसंद करते हैं। उससे बेहतर है कि घर पर कुछ कम तेल-घी के इस्तेमाल से बनाएं, तो वह स्वाद और सेहत दोनों की दृष्टि से बेहतर होगा।

दाना-पानी

मानस मनोहर

बेसन भरा परांठा

परांठे तो तरह-तरह की चीजें भर कर बनाए जाते हैं। चने की दाल भर कर बने परांठे तो आपने खाए होंगे, पर बेसन भरा परांठा कम लोगों ने खाए होंगे। यह राजस्थान के मारवाड़ी समाज में खूब चलन में है। इस परांठे की खूबी यह है कि इसे कई दिन तक रखा जा सकता है और खराब नहीं होता। इसलिए यात्रा वगैरह में लेकर चलने के लिए यह परांठा अक्सर बनाया जाता है। वैसे नाश्ते के रूप में यह परांठा बहुत स्वादिष्ट, चटपटा और सुपाच्य होता है। राजस्थान में इसे बेसन की पूरी भी कहते हैं।

बेसन भरा परांठा बनाना बहुत आसान है। यह सामान्य परांठे से थोड़ा ही अलग तरीके से बनाया जाता है। इसमें सबसे कुशलता वाला काम है इसका मसाला तैयार करना। सो, इसके लिए एक कप बेसन लें। उसमें चुटकी भर हींग, आधा चम्मच चममच हल्दी और जरूरत भर का नमक डालें। अब एक चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच साबुत सौंफ, एक चम्मच साबुत धनिया को दरदरा कूट कर डालें। इसके साथ ही एक से डेढ़ चम्मच कुटी लाल मिर्च और एक चम्मच कसूरी मेथी को हथेली पर रगड़ कर डालें।

फिर एक कटोरी या तड़का पैन में एक से डेढ़ चम्मच खाने का तेल गरम करें। तेल की मात्रा आप अपने अनुसार रखें। इसमें यह ध्यान रखें कि तेल की मात्रा इतनी हो कि उससे बेसन का ठीक से पेस्ट बनाया जा सके। जब तेल ठीक से गरम हो जाए, तो मसाला मिले बेसन में डालें और चम्मच से मिलाते हुए पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत पतला न हो और न बहुत गाढ़ा हो। ऐसा हो कि उसे रोटी पर ठीक से फैलाया जा सके।

अब आटे की रोटी बैलें। उस पर बेसन का पेस्ट ठीक से फैलाएं और रोटी को गोल-गोल लपेटते हुए बेलनाकार बना लें। फिर इसे एक सिरे से पकड़ कर चकरी की तरह बना लें, जैसे लच्छा परांठा बनाने के लिए लपेटते हैं।

फिर दोनों तरफ सूखा आटा लगाते हुए चकरी को सावधानी से हल्के हाथों से बेल कर मनचाहा आकार दें। चाहें तो इसे गोल रोटी की तरह बेल सकते हैं और चाहें तो चौकोर भी बना सकते हैं।

फिर तवा गरम करें और उस पर परांठे को डाल कर तेल या घी लगाते हुए पलट-पलट कर दोनों तरफ से सेंक लें। परांछा सेंकते समय आंच को मध्यम ही रखें। तेज आंच पर परांठे जलने लगते हैं और खाने का स्वाद बिगाड़ देते हैं। इसलिए पलटते हुए सुनहरा होने तक दोनों तरफ से सेंकना चाहिए।

इस बेसन भरे परांठे को आलू-टमाटर की तरी वाली सब्जी या फिर अचार या चटनी, रायते, जिससे भी खाना चाहें, खाएं। ठंडा होने के बाद भी इसका स्वाद मजेदार रहता है। इसलिए नाश्ते के अलावा इसका उपयोग दोपहर के खाने, रात के खाने या फिर बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए टिफिन में भी कर सकते हैं।

खिला खिला उपमा

सूजी की खासियत यह है कि जिन लोगों को मधुमेह आदि की शिकायत है, डॉक्टरों ने उन्हें चावल खाने से मना किया हुआ है, वे भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि यह गेहूं से बनती है। उपमा भी सूजी से बनता है। यों उपमा बनाने की सामग्री बाजार में पैकेट में भी मिलने लगी है, पर लंबे समय से पैकेट में बंद होने की वजह से कई बार उस सामग्री के खराब होने की आशंका रहती है। इसलिए घर पर ताजा उपमा बनाएं। कई लोगों को लगता है कि घर पर बना उपमा बाजार की तरह खिला-खिला नहीं होता। उसमें वैसा स्वाद नहीं आ पाता, जैसा रेस्तरां या दुकानों पर मिलने वाले उपमा में आता है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। घर पर भी बाजार से बेहतर और स्वादिष्ट, खिला-खिला उपमा बनाया जा सकता है।

इसके लिए पहले एक कड़ाही में एक से डेढ़ चम्मच तेल गरम करें और फिर एक कप मोटी सूजी डाल कर भूनें। आंच मध्यम ही रखें। सूजी को चलाते रहें, ताकि उसके सभी दाने बराबर सिंकें और जलने न पाएं। जब सूजी रंग बदलने लगे यानी बादामी रंग की होने लगे, तो आंच बंद कर दें सूजी को ठंडा होने के लिए रख दें।

अब इसमें डालने के लिए कुछ सब्जियां काटें। जो भी सब्जी उपलब्ध हो उसे लें। वैसे उपमा में हरी मटर, बीन्स, गाजर, गोभी, ब्रोकली, प्याज वगैरह डाली जाती है। टमाटर का उपयोग न करें, वह पानी अधिक छोड़ता है और पोहा को गीला करेगा। सभी सब्जियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

एक कड़ाही में एक चम्मच तेल तड़का के लिए गरम करें। उसमें राई, जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का दें। इसके साथ ही एक चम्मच धुली मूंग और एक चम्मच चने की दाल भी डालें। इसके साथ कुछ काजू के टुकड़े या छिलके उतरे मूंगफली के दाने डाल दें। सारी चीजों को भुन जाने दें। फिर सब्जियां डालें और उन्हें चलाते हुए पांच से सात मिनट तक पकाएं। फिर जितना सूजी ली है, उससे दोगुनी मात्रा में पानी डाल दें और उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें जरूरत भर का नमक डालें और ऊपर से भुनी हुई सूजी डालें।

सूजी को चम्मच से चलाते रहें, ताकि गांठें न पड़ें। जब सूजी ठीक से पानी में मिल जाए, तो आंच को मद्धिम कर दें और कड़ाही पर ढक्कन लगा कर पांच मिनट तक पकने दें। जब सूजी पूरा पानी सोख ले और उसके दाने खिल उठें तो आंच बंद कर दें। कुछ देर तक कड़ाही पर ढक्कन लगा कर रखें। फिर चम्मच से उपमा को चला कर सारी चीजों को मिला लें। खिला-खिला, मुंह में घुल जाने वाला उपमा तैयार है। ■

हड्डियों की कमजोरी

सेहत

घर और बाहर की जिम्मेदारी निभाने की भाग-दौड़ में महिलाएं खुद की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सबकी जिम्मेदारी और सबका खयाल रखने में वे अपना ही खयाल रखना भूल जाती हैं। खानपान में लापरवाही और व्यायाम की कमी से महिलाएं हड्डी संबंधी गंभीर बीमारियों की शिकार बन रही हैं।

हर व्यक्ति के शरीर का अठारह से बीस साल तक विकास होता है। उसके शरीर की हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है। बीस से तीस साल तक हड्डियों का कैल्शियम यथावत रहता है। तीस के बाद हड्डियों से कैल्शियम का क्षरण शुरू हो जाता है और ध्यान नहीं देने पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियों के कमजोर होने पर शरीर में दर्द और हल्की-सी चोट पर हड्डियों के टूटने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि तीस की उम्र आते-आते ज्यादातर महिलाएं कमर, कंधे, पैर और जोड़ों के दर्द की शिकायत करती हैं। महिलाओं की इन शिकायतों पर चिकित्सक कैल्शियम, विटामिन-डी और आयरन की गोलियां लेने की सलाह देते हैं।

ऑस्टियोपोरोसिस

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में बीस करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के खोखले होने की समस्या से पीड़ित है। इसमें मरीज की हड्डियां जाले की तरह झिरझिरी दिखने लगती हैं। समय पर इलाज नहीं शुरू करने से हड्डियों में इतनी कमजोरी आ जाती है कि थोड़ा-सा टकराने या गिर जाने पर हड्डी टूट जाती है। बीमारी की चपेट में आने पर हड्डी के जुड़ने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है।

बीमारी की वजह

विटामिन डी की कमी

पिछले साल हुए एक शोध के मुताबिक उत्तर भारत में रहने वाली तकरीबन उनहत्तर फीसद महिलाओं में विटामिन-डी की कमी है। वहीं केवल पांच फीसद महिलाओं में ही सही मात्रा में विटामिन-डी पाया जाता है। शोध में इसकी वजह महिलाओं का धूप का सेवन कम करना और परिधान को बताया गया है। दरअसल, ज्यादातर भारतीय महिलाएं साड़ी पहनती हैं या सूट। इस वजह से उनके शरीर को धूप नहीं मिलती।

विटामिन-डी ऐसा विटामिन है, जिसे शरीर केवल धूप की रोशनी में ही बनाता है। विटामिन-डी की कमी होने पर शरीर में कैल्शियम सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इससे हड्डियां मुलायम और कमजोर हो जाती हैं और इनके टूटने की आशंका बढ़ जाती है। इस वजह से हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा खतरा हड्डियों के टूटने का होता है। सूर्य की रोशनी विटामिन-डी का सबसे अच्छा स्रोत है।

आहार में कैल्शियम की कमी

ज्यादातर महिलाएं अपने खानपान को लेकर लापरवाह होती हैं। वहीं कुछ महिलाएं छरहरी दिखने के चक्कर में हद से ज्यादा भूखे पेट रहती हैं। ऐसी महिलाओं के आहार में जरूरी पोषक तत्त्वों की भारी कमी हो जाती है।

लंबे समय तक दूध, दही सहित कैल्शियम युक्त दूसरे आहार के सेवन न करने से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और धीरे-धीरे व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस का मरीज बन जाता है।

व्यायाम की कमी

घरेलू महिलाएं हों या फिर कामकाजी, वे दिन भर घर और दफ्तर के काम में तो व्यस्त रहती हैं, लेकिन व्यायाम या योग के लिए आधे से एक घंटे का समय नहीं निकाल पातीं। व्यायाम की कमी और खुद के प्रति लापरवाही हड्डियों या ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी की बड़ी वजह है।

हॉर्मोन में बदलाव

महिलाओं में होने वाला हॉर्मोन में बदलाव भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है। चालीस के बाद अधिकांश महिलाओं की माहवारी बंद होने लगती है। उसके बाद हड्डियों का क्षरण तेजी से होने लगता है। बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं भी हड्डी के दर्द से परेशान रहती हैं।

उपाय

- नियमित व्यायाम य योग करें।
- अपने वजन को नियंत्रित रखें। वजन बढ़ने से हड्डियों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे हड्डियों के कमजोर होने या टूटने का डर हमेशा बना रहता है।
- धूम्रपान और शराब को ना कह कर हड्डियों को मजबूत रखा जा सकता है।
- कोल्ड ड्रिंक, जंकफूड, फास्टफूड से बचें।
- हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का सेवन महत्त्वपूर्ण है। इसलिए अपने आहार में दूध, दही, पनीर, चीज को शामिल करें।
- पालक और लाल साग जैसी पत्तेदार सब्जियों में भी आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है। आहार में राजमा, चना दाल, संतरा, मुसंबी, बादाम और बीन्स को भी शामिल करें।
- सुबह की धूप का सेवन करें। ■

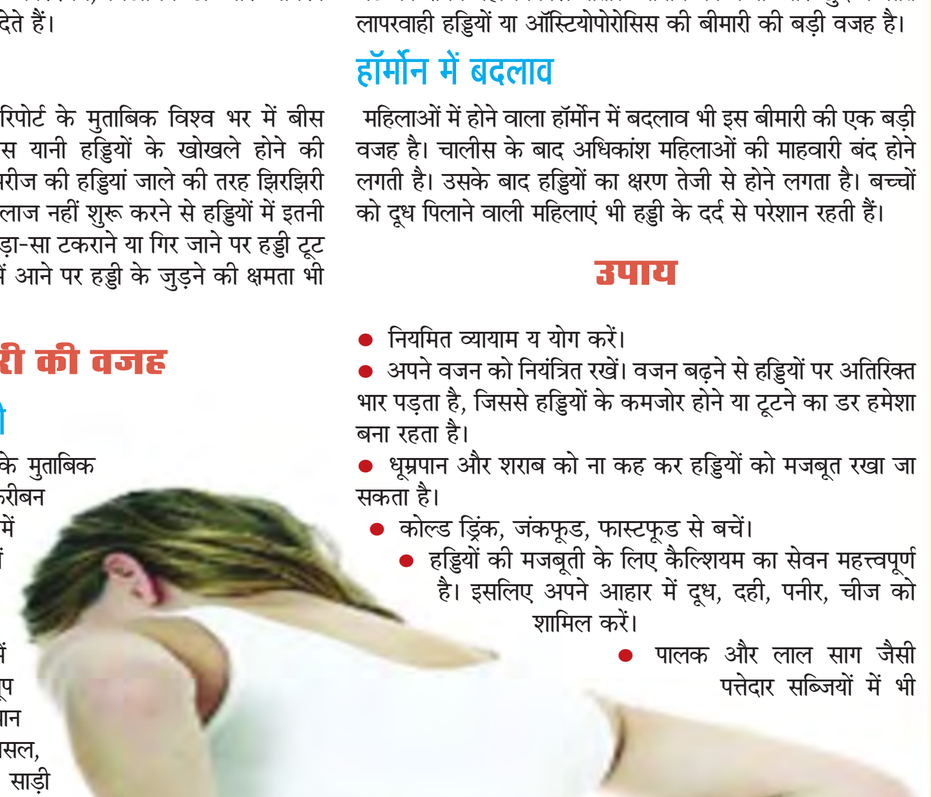

चमकते-दमकते फैशन का दौर

बहुत सारे लोग पहनावे और साज-सज्जा के मामले में फिल्मी हस्तियों से प्रेरणा लेते हैं। खासकर महिलाएं इस मामले में आगे रहती हैं। आजकल फैशन में चमकीले नियॉन रंगों का चलन है। कुछ सिने तारिकाओं ने सार्वजनिक समारोहों में इन रंगों के परिधान पहन कर लोगों का खासा ध्यान आकर्षित किया। तबसे ये रंग खूब चलन में हैं। नियॉन रंगों के परिधान ही नहीं, जूते-चप्पल, पर्स वगैरह भी खूब चल रहे हैं। मगर नियॉन रंगों को अपनी सज-धज में शामिल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। इस बारे में बता रही हैं रेनू दत्त।

कान्स फिल्म समारोह में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर सबकी नजरें यों ही नहीं टिकी थीं। बहुत सारी वजहों के साथ एक खास रंग भी उनको विशिष्ट बना रहा था। और इस रंग का नाम था नियॉन। नियॉन रंग की विशेषता यह है कि वे चमकीले होते हैं। चमकीले नियॉन रंग इस समय चलन में हैं। एसिड ग्रीन, म्यूटेड नियॉन पिंक, इलेक्ट्रिक ब्लू, फ्लोरोसेंट ग्रीन... ऐसे और भी कई रंग हैं, जिनको नियान रंग माना गया है। पहले लोग चमकते रंगों को पसंद नहीं करते थे। पर समय के साथ सोच बदली तो आज फैशन की हर सज-धज में चमकीले रंग बिखरे हुए हैं। सेलीब्रिटी की पसंद होने के कारण अब यह आमजन में भी स्वीकार किए जा रहे हैं। इस तरह के रंगों को कपड़ों में ही नहीं, बल्कि जूते-चप्पलों और सज-धज में उपयोग की जानी वाली चीजों में भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि चमकीली छतरियां भी चलन में हैं।

इस बीच कुछ मशहूर हस्तियों पर नजर डाली, तो देखा कि गायक अर्जुन कानूनगो काले रंग की पैंट और टी-शर्ट के साथ नियॉन ग्रीन यानी चमकीले हरे रंग की जैकेट पहनते हैं, तो यह स्टाइल युवाओं की पहली पसंद बन जाता है। इसी तरह फैशन की दौड़ में आगे बने रहने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री तारा सुतारिया ने भी नियॉन शेड वाली मिनी स्कर्ट के साथ म्यूटेड नियॉन पिंक स्टाइलिश जूते पहने तो उनके प्रशंसक बढ़ने लगे। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की तो फिर बात ही कुछ और है। अगर आप उनकी गतिविधियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनकी फैशन अभिरुचि से भी वाकिफ होंगे। वे उन लोगों में शामिल हैं, जो फैशन के साथ अपनी सज-धज को बदलती रहती हैं। नियॉन के चलन को अपनाते हुए दीपिका ने अपने पहनावे और सज-धज के साथ एक छोटा-सा हरे रंग का एनिमल प्रिंट वाला स्लिंग बैग लिया है, जो उनके स्टाइल में चार चांद लगा रहा है। नियॉन के स्टाइल को सही तरीके से पेश करने का उनका यह तरीका आपको भी पसंद आया होगा।

अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने सफेद रंग की लंबी जैकेट और पलाजो पैंट के साथ नियॉन हॉल्टर नेक का टॉप पहन कर सबको चौंका दिया। इस स्टाइल को आप भी अपनी अगले सैर-सपाटे के दौरान अपना सकती हैं। कृति के तो हमेशा अपने फैशन के कारण हैकर्स से परेशान होना पड़ता है। नियॉन ग्रीन कलर के टैंक टॉप में कृति सैनन के कूल लुक को देख कर आपको कैसा लगा, यह आप पर छोड़ती हूं। बात जूते-चप्पल से शुरू करें तो करीना कपूर खान के काले और सफेद रंग के अपने कैजुअल लुक के साथ जिस नियॉन फुटवियर को पहना है, वह बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा है। कुछ इस तरह का प्रयोग आप भी अपनी सज-धज के साथ कर सकती हैं।

फैशन डिजाइनर वारिजा बजाज का मानना है कि नियॉन एक ऐसा ट्रेंड है, जो आता-जाता रहेगा। लेकिन फिलहाल यह चलन में है और वह भी जोर-शोर से। इस रंग की एक खासियत यह है कि यह ध्यान तुरंत आकर्षित करता है, इसीलिए ऐसे लोग जो सबके साथ एकदम सहज नहीं हो पाते हैं, उन्हें इस रंग को नहीं चुनना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस तरह के रंगों के कारण अनायास ही सारे लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं।

त्वचा की रंगत का रखें ध्यान

नियॉन रंग पहनने से पहले अपनी त्वचा और बालों के रंग पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर त्वचा की रंगत पर ध्यान दिए बिना यह रंग पहन लिया तो आपकी रंगत और ज्यादा गहरी लग सकती है। दरअसल, भारतीय महिलाओं की त्वचा की रंगत औसतन गेहुंआ होती है। अब ऐसे में अगर त्वचा का रंग ज्यादा गहरा हुआ, तो यह आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर डालेगा। पीला और नारंगी रंग हर किसी पर नहीं जंचते। ये रंग गोरे रंग वालों पर ही खिलते हैं। चमकदार नियॉन गुलाबी या नीला रंग सांवले रंग पर जमता है।

नियॉन के साथ न करें मेल का खेल

आपको भले मैचिंग यानी अलग-अलग तरह के कपड़ों को मिला-जुला कर पहनने का बहुत शौक हो, लेकिन जब बारी नियॉन की आए, तो आपको मैचिंग के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यह खुद में ही काफी है। नियॉन रंगों को सिर्फ हल्के और कोमल रंगों के साथ पहना जाना चाहिए। इस तरह ये रंग आपके पहनावे में शामिल भी हो जाऐगे और आप एकदम चमकीली या तड़क-भड़क वाली भी नजर नहीं आएंगी।

शरीर के आकार का भी रखें ध्यान

नियॉन रंग शरीर के उसी हिस्से में पहनें, जिसे आप सच में अपने व्यक्तित्व में उभारना चाहती हैं। जब यह रंग शरीर के उस हिस्से में सजेगा तो आपका लुक ज्यादा प्रभावी लगेगा। इसको ऐसे समझ सकती हैं, जैसे आपके शरीर का निचला हिस्सा भारी है और आप बॉटम नियॉन रंग में पहनेंगी तो और ज्यादा मोटी लग सकती हैं। इसलिए यह रंग टॉप में पहनना अच्छा होगा। अगर पियर शेप फिगर है, तो नियॉन रंग टॉप में पहनें। एपल शेप फिगर है, तो नियॉन बॉटम में ही पहनें। शरीर की बिल्कुल सही बनावट है तो इस रंग को शरीर के किसी भी हिस्से में पहन सकती हैं।

बनाएं अलमारी का हिस्सा

नियॉन रंग का चुनाव करना सबके लिए आसान नहीं होता। अगर आप इसे अपनी अलमारी का हिस्सा बनाना तय कर चुकी हैं, तो शुरुआत किसी एक साधारण से नियॉन रंग से करें। जब उस रंग के साथ सहज हो जाएं, उसके बाद ही अन्य नियॉन रंगों को अलमारी का हिस्सा बनाएं। शुरुआत में इसे घर पर यों ही पहन कर देखें। फिर जब आप इसमें खुद को अच्छा महसूस करने लगें, तो घर के बाहर भी इसे बेफिक्र होकर पहनें। लेकिन इस दौरान आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी:

- नियॉन रंग के ढेर सारे कपड़े अपनी अलमारी में एक बार में ही शामिल न करें। यह ध्यान में रखें कि यह फैशन आता-जाता रहता है।
- ज्यादा से ज्यादा दो नियॉन रंगों में ही कपड़े बनवाएं और फिर उन्हें सामान्य रंगों के साथ पहनें। इस तरह आप एक ही कपड़े को अलग-अलग मौकों पर पहन पाएंगी। जैसे, एक नियॉन शर्ट स्किनी जींस के साथ बेहतरीन लगेगी।
- सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि नियॉन रंगों वाली बेल्ट या पर्स भी आपकी सज-धज को अनोखा पहचान दे सकते हैं।
- नियॉन रंगों में कपड़े चुनें तो उनके साथ इस्तेमाल होने वाली चीजों यानी एक्सेसरीज हमेशा ऐसे रंगों की इस्तेमाल करें, जो पूरे अंदाज में संतुलन लाए।
- मन में इन रंगों को लेकर ज्यादा ही पशोपेश है, तो कपड़ों से पहले नियॉन रंगों में एक्सेसरीज खरीदें। नेल पेंट से शुरुआत की जा सकती है।

तो तैयार हैं आप, चमकीले रंगों के साथ खुद को सजाने-संवारने के लिए। वैसे भी मौसम इस समय आपको इस तरह के प्रयोग करने की इजाजत दे रहा है। तो फिर देर किस बात की। ❑

खास दोस्त की चिट्ठी

सिराज अहमद

कहानी

श्याम प्रसाद बाहरी कमरे में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी- 'टिंग टोंग, टिंग टोंग।'

उनकी श्रीमती जी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने पोस्टमैन बाबू खड़े थे। उनसे चिट्ठी लेकर श्रीमती जी अंदर आ गईं।

'कौन था?' श्याम प्रसाद ने पूछा।

'पोस्टमैन था। आपके नाम चिट्ठी है।' श्रीमती जी ने बताया।

'कोई नहीं, रख दो, बाद में पढ़ूंगा।' श्याम प्रसाद ने टालते हुए कहा।

'अरे कितनी सुंदर है यह चिट्ठी! इस पर बनी चित्रकारी तो कमाल की है! श्रीमती जी चिट्ठी पर नजर फिराते हुए बोलीं। उनकी आवाज में चहक थी।

'किसने भेजी है?' श्याम प्रसाद ने जानना चाहा।

'किसी का भी नाम तो नहीं लिखा है इस पर?' चिट्ठी को उलट-पलट कर देखने के बाद श्रीमती बोलीं।

स्कूल से वापस आकर श्याम प्रसाद फुरसत में बैठे हुए थे। श्रीमती उन्हें चिट्ठी पकड़ा कर घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई।

चिट्ठी हाथ में लेते ही उनका चेहरा खुशी से दमक उठा। लिफाफे पर स्कूल का खूबसूरत फाटक बना था। स्कूल का नाम भी सुंदर-सुंदर अक्षरों में लिखा था।

चारों कोनों पर नन्हे-नन्हे गमले और उनमे रंग बिरंगे फूल लिफाफे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। अब तो वे चिट्ठी पढ़ने के लिए उतावले हो उठे।

चिट्ठी के पीछे 'प्रिंसिपल सर के लिए चिट्ठी' कई तरह के रंगों से लिखा हुआ था, जो दिखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। चिट्ठी को जहां से खोलना था, वहां एक सुंदर स्माइली चिपकी थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने लिफाफा खोला। उसमें एक कागज निकला।

थोड़े समय के लिए तो वे अवाक रह गए, क्योंकि कागज में तो कुछ भी नहीं लिखा था। एक पन्ने पर सिर्फ चित्रकारी थी। और चित्रकारी ऐसी कि जैसे उसमें किसी ने जान डाल दी हो।

उन्हें चिट्ठी बहुत पसंद आई। वे गौर से उसे देख कर बुदबुदाने लगे- 'अरे वाह! क्लास रूम कितना खूबसूरत बनाया है, सच्ची तारीफ के काबिल है। मगर ये क्या, क्लास रूम में कुछ सीटें टूटी हैं?

तभी उनकी नजर दूसरी ओर गई।

स्कूल का मैदान तो ऐसा बनाया है जैसे मैं वहीं बैठा हूं। बहुत उम्दा! यकीनन यह तो सचमुच कोई कलाकार का काम लगता है। लेकिन मैदान के किनारे-किनारे जो पौधे लगे हैं, वे सूखे सूखे मुरझाए से क्यों?

थोड़ा सोचने के बाद फिर से वे चिट्ठी देखने लगे-

'खूबसूरत मैदान के बीच-बीच में गड्ढे कितने बुरे लग रहे हैं।'

अंत में उनकी नजर चिट्ठी के एक हिस्से पर पड़ी, जहां एक प्रधानाचार्य कक्ष बना था। उसमें प्रिंसिपल साहब बैठे थे। उनकी भौहें गुस्से से ऊपर चढ़ी हुई थीं और उनके हाथ में एक मोटा डंडा था।

चिट्ठी पर श्याम प्रसाद की नजरें जमी हुई थीं। भेजने वाले का नाम भी नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने इसका अंदाजा लगा लिया कि यह जरूर उनके स्कूल के किसी छात्र ने ही भेजी है।

वह उन चित्रों में अभी कुछ और ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उधर से गुजरती हुई श्रीमती पूछ पड़ीं- 'किसकी चिट्ठी है?'

'एक खास दोस्त ने भेजी है।' श्याम प्रसाद बोल कर फिर से चिट्ठी में बने चित्रों में खो गए। ❑

कविता

सूर्यकुमार पांडेय

पेड़

संग हवा के गाते पेड़
पत्ते-फूल लुटाते पेड़।

चिड़ियों के हैं इन पर घर
डालें बंदर का बिस्तर
काम सभी के आते पेड़
फल देते, हरसाते पेड़।

सूखे तब लकड़ी होकर
बनते ईंधन, फर्निचर
आंधी से घबराते पेड़
पानी से लहराते पेड़।

गरमी में छाया देकर
सुख पहुंचाते डगर-डगर
हैं वसंत को भाते पेड़
पतझड़ में झड़ जाते पेड़। ❑

शब्द-भेद

कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं। इस तरह उन्हें लिखने में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आइए उनके अर्थ जानते हुए उनका अंतर समझते हैं।

तराशना / तलाशना

जब किसी पत्थर, लकड़ी या धातु को छेनी-हथौड़े या अन्य तीखे औजार से उकेर कर कोई आकृति या कलाकृति बनाई जाती है, तो उस क्रिया को तराशना कहा जाता है। जबकि जब कोई चीज कहीं गुम हो जाए या गायब हो, उसे खोजा जाता है, तो उस क्रिया को तलाशना कहा जाता है।

इच्छा / ईक्षा

जब हम किसी चीज की लालसा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, कोई चीज चाहते हैं, तो उसे इच्छा कहते हैं। जबकि ईक्षा का अर्थ है देखना। जांच-परख करना। इसका एक अर्थ आंख भी है। इसी से समीक्षा शब्द बना है।